Par. S. 17. 1. 4. 52
285

अंक १

संख्या ४

बृहस्पतिवार,

२२ मई, १९५२

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग १५७—२०२]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २०२—२०८]

(मूल्य ४ आने)

175 PSD;

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २२ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय [अध्यक्षा पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति

*९३. **ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन दावों की जांच की जा चुकी है उन के सम्बन्ध में क्षति पूर्ति के कब तक, किस सीमा तक और कितनी किस्तों में दिये जाने की आशा है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): इस विषय म अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : मैं आनरेबुल मिनिस्टर (माननीय मंत्री) को ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, सिर्फ यह सवाल पूछता हूं कि आया क्लेम्स (दावे) मिलेंगे या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं, परेशान तो आप काफ़ी कर सकते हैं, उस से तो मुझे कोई इन्कार नहीं है। लेकिन क्लेम्स मिलने के बारे में और न मिलने के बारे में गवर्नमेंट

नोटिफिकेशन (सरकारी अधिसूचना) निकल गया है। मेरे ख्याल में उस से ज्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री कास्लीवाल : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि निर्णय के कब तक किये जाने की आशा है ?

श्री ए० पी० जैन : हम इसे शीघ्रातिशीघ्र करने का प्रत्येक संभव प्रयत्न कर रहे हैं।

बाबू राम नारायण सिंह : निर्वासित व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच किस तरह हुई है ? जांच के समय निर्वासित व्यक्ति और भारत सरकार का प्रतिनिधि वहां पर रहता था या नहीं ?

श्री ए० पी० जैन : जांच तो यहां पर हिन्दुस्तान में हो रही है। हर एक आदमी जो इस बात का दावा करता है कि उसने वहां पर कोई अचल सम्पत्ति छोड़ी है, तो वह अपनी क्लेमशीट (दावापत्र) दाखिल करता है। फिर उस को मौका दिया जाता है कि वह किसी काग़ज़ी शहादत (साक्ष्य) से या ज़बानी शहादत से तसदीक (पुष्टि) करे और तब उस की कीमत का अन्दाज़े (अनुमान) लगाया जाता है और उस अन्दाज़े के बाद कीमत क़ायम (निश्चित) की जाती है।

श्री हुक्म सिंह : क्या सरकार विस्थापित व्यक्तियों द्वारा अधिकृत सम्पत्ति के किराये की वसूली को स्थगित करने तथा उन्हें बाद

में जो क्षतिपूर्ति मिलेगी उस में से उसे काट लेने के सुझाव पर विचार करने के लिये तैयार है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे विचार से यह अधिक निर्धन शरणार्थियों के लिये और विशेषतया असहाय स्त्रियों, वृद्धजनों तथा अशक्त व्यक्तियों के लिये, जिन के प्रति मुझे पूर्ण विश्वास है, इस सदन के प्रत्येक सदस्य के मन में बहुत अधिक सहानुभूति है, बहुत ही अन्यायपूर्ण होगा ।

विस्थापित व्यक्तियों के दावे

***९४. ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा पंजीबद्ध किये गये विस्थापित व्यक्तियों के दावों की कुल राशि; तथा

(ख) उन दावों की राशि, जिन की अब तक जांच हो चुकी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख). इस समय यह सूचना नहीं दी जा सकती ।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि जो मुस्लिम निवासी यहां से जायदाद छोड़ गये हैं उस की मालियत (मूल्य) कितनी है और जो जायदाद वैस्ट (पश्चिमी) पाकिस्तान में हिन्दू और सिख छोड़ कर आये हैं उस की मालियत कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : मैं समझता हूं कि यह अवाम (जनता) के मफ़ाद (हित) में नहीं है कि इस मौक़े पर यह इत्तिला (सूचना) दी जाये ।

श्री नन्द लाल शर्मा : सरकार को दावों के सम्बन्ध में इस सदन को सूचना देने में कितना समय लगेगा ?

श्री ए० पी० जैन : जब सारी सूचना एकत्रित हो जायेगी और कोई नीति निर्धारित कर दी जायेगी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या म मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि जो पाकिस्तान से लोग इधर आये उन के डाकखानों के जो सेविंग्स सर्टिफिकेट्स (बचत प्रमाणपत्र) हैं उन के कैश (भुनाने) करने में क्या दिक्कत है ?

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान्, इस का तो इस सवाल से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

पंडित ए० आर० शास्त्री : मैं जानना चाहता था कि जो नीति इस मामले में निर्धारित की गई है वह क्या है ? क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे ?

श्री ए० पी० जैन : अभी कोई नीति निर्धारित नहीं की गई है ।

सीमान्त धावे

***९५. श्री हुक्म सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) दोनों पंजाबों की मध्यवर्ती सम्पूर्ण भारत-पाकिस्तान सीमा पर सन् १९४९, १९५० तथा १९५१ में हुए सीमान्त धावों की संख्या ;

(ख) भगा ले गये पशुओं की संख्या; तथा

(ग) इन धावों में हुई जन हानि की अनुमानित संख्या ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) :

	१९४९	१९५०	१९५१
(क)	६५	३४	२२
(ख)	८१५	१२५	१३७
(ग)	२५	४	९

श्री हुक्म सिंह : क्या इन में से किसी भी हानि के लिये पाकिस्तान से कोई क्षतिपूर्ति मिली ?

श्री सतीश चन्द्र : क्षतिपूर्ति तो आक्रमणकारी पक्ष द्वारा अन्य पक्ष की सन्तुष्टि के लिये दी जाती है ।

श्री हुक्म सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या दोनों सरकारों ने इन पीड़ितों को कोई क्षतिपूर्ति दी है, और यदि दी है, तो कितनी रकम दी गई है ?

श्री सतीश चन्द्र : प्रत्येक पक्ष को जो क्षति हुई उस के अनुसार सभी पीड़ितों को क्षतिपूर्ति मिली थी । इस प्रश्न का सम्बन्ध सैंकड़ों धावों से है और प्रत्येक मामले में अलग अलग आंकड़े देना सम्भव नहीं है ।

श्री कास्लीवाल : क्या आप इन वर्षों में राजस्थान तथा सिन्ध के मध्य हुए सीमान्त आक्रमणों के सम्बन्ध में कोई जानकारी दे सकते हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : श्रीमान्, यह प्रश्न तो दोनों पंजाबों के मध्य हुए सीमान्त धावों के सम्बन्ध में है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या आप के लिये इस समय यह बताना सम्भव होगा । यदि आप के पास इस समय जानकारी हो .....

श्री सतीश चन्द्र : जी नहीं, श्रीमान् । मेरे पास यह जानकारी नहीं है । यह प्रश्न तो दोनों पंजाबों के सम्बन्ध में है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं यह जान सकता हूं कि गत तीन वर्षों में सीमान्त धावों की संख्या में क्रमशः हुई कमी क्या हमारे सीमान्त के गश्ती दस्तों के अधिक सुदृढ़ कर दिये जाने के कारण हुई है, अथवा पाकिस्तान सरकार में सद्बुद्धि आ जाने के कारण हुई है ?

श्री सतीश चन्द्र : दोनों ही बातें हैं ।

बाबू रामनारायण सिंह : जब जब बाहर से या पाकिस्तान से इस मुल्क पर हमला होता है, तो हर बार लिखा जाता है या नहीं और लिखा जाता है तो वहां से उत्तर आता है या नहीं ?

श्री सतीश चन्द्र : जी हां, हर बार लिखा जाता है और उस के बाद जो बार्डर (सीमान्त) के डिस्ट्रिक्ट (जिले) के पुलिस आफिसर्स (अधिकारी) हैं वह दूसरी तरफ के डिस्ट्रिक्ट के आफिसर्स से मिलते हैं और उस मामले का जो फैसला होता है उस पर अमल किया जाता है ।

श्री एन० एस० नायर : क्या माननीय सदस्य यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत-पाकिस्तान सीमान्त पर रहने वाले भारतीय नागरिकों को इन आक्रमणकारियों के विरुद्ध मुक्त रूप से शस्त्रों का प्रयोग करने की आज्ञा है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): मुझे आशा है कि जिन के पास शस्त्र होंगे वह, यदि उन के ऊपर कोई आक्रमण होगा तो उन का निश्चय ही प्रयोग करेंगे अन्यथा नहीं । परन्तु इन में से अधिकांश धावे वस्तुतः पशु-चोरों की छोटी-मोटी चोरियां होती हैं जो कि सीमा को पार कर के पशुओं को इधर उधर ले जाने का प्रयत्न करते हैं । यदि इस प्रकार का कोई धावा अन्यत्र कहीं हो जाय तो इस की ओर कोई ध्यान भी नहीं देता है—मेरा तात्पर्य यह है कि पुलिस की कार्यवाही के अतिरिक्त । यदि यह सीमान्त पर होता है तो स्वाभाविकतया यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है । किन्तु मैं इतना और कह दूं कि हमारे बहुत से लोग, हमारे नागरिक, सीमान्त पर रहते हैं, जिन के पास साधारणतया

लाइसेंस प्राप्त शस्त्र हैं और यदि उन पर कोई आक्रमण करे तो वह निश्चय ही उन शस्त्रों से अपनी रक्षा कर सकते हैं।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या भगाये गये पशुओं की संख्या में पाकिस्तान से भगाये गये पशुओं की संख्या भी सम्मिलित है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह पाकिस्तान के नागरिकों द्वारा हमारी सीमा के अन्दर से भगाये गये पशुओं की संख्या है।

ज्ञानी जी० एस० मुसाफिर : क्या सरकार इस बात पर गौर कर सकती है कि बार्डर (सीमान्त) पर रहने वाले जो इस तरफ के लोग हैं उन को ज्यादा हथियार-बन्द किया जाये और ज्यादा हथियार दिये जायें ताकि वह अपनी अच्छी तरह हिफ़ाज़त (रक्षा) कर सकें ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि यह तो सब सुझाव हैं।

विस्थापित राज सेवकों के लिये क्वार्टर

*९६. **श्री हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, उत्पादन तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) उन विस्थापित राज सेवकों की संख्या जिन को सन् १९५१-५२ में ऐस्टेट आफ़िस (सम्पत्ति कार्यालय) द्वारा निवास स्थान दिये गये; तथा

(ख) इस अवधि में आवास-स्थानों की व्यवस्था किये जाने के लिये प्राप्त हुए प्रार्थनापत्रों की संख्या ?

निर्माण/गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :

(क) ६५४ ।

(ख) २१६२ ।

श्री हुक्म सिंह : क्या मैं उन विस्थापित सरकारी सेवकों की संख्या जान सकता हूं जिन्हें अभी भी पुनः बसाने तथा निवास-स्थान दिये जाने की आवश्यकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उनको पुनः बसाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को स्थान देने के लिये सरकार जो कुछ भी संभव हो सकता है वह सब कुछ कर रही है।

श्री हुक्म सिंह : अब जिन को मकानों की आवश्यकता है उन की संख्या क्या है—अर्थात् उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन के मामले अभी सरकार के पास विचाराधीन हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : उन की संख्या १,९५८ है।

श्री हुक्म सिंह : क्या सरकार उन सब को मकान देने का वचन देती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार उन सब को स्थान देने के लिये अधिक से अधिक प्रयत्न कर रही है। पहिले उन के साथ कुछ विशेष व्यवहार किया जाता था, किन्तु गत २९ फरवरी से उन के साथ वह विशेषता का व्यवहार नहीं किया जाता है तथा अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ उन्हें भी अपने अवसर की प्रतीक्षा करनी होती है।

श्री हुक्म सिंह : इस वर्ष अर्थात् सन् १९५२-५३ में कितनों को स्थान दिया जा सकेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह बात तो पहले दिये गये उत्तर में आ जाती है। पहली जनवरी से प्रश्न में पूछी गई अन्तिम तिथि तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु मैं इतना और कह दूं कि जिन विस्थापित

सरकारी कर्मचारियों को अभी तक मकान नहीं मिले हैं उन की स्थिति साधारणतया अन्य सामान्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में अधिक अच्छी है और जहां तक इन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है उन्हें कोई वास्तविक कठिनाई नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन २,००० व्यक्तियों के लिये मकानों की व्यवस्था करने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं ने यह उत्तर दिया है कि सामान्यतया जिन सरकारी कर्मचारियों को अभी तक सरकारी मकान नहीं दिये गये हैं उन की संख्या बहुत अधिक है और जिन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को सरकारी मकान नहीं दिये गये हैं उन की संख्या सामान्यतया उन अन्य सरकारी कर्मचारियों की तुलना में, जिन्हें कि अभी तक सरकारी मकान नहीं मिले हैं, अधिक नहीं है ।

श्री हुक्म सिंह : क्या सरकार अन्य सरकारी कर्मचारियों को उन विस्थापित व्यक्तियों के समान ही समझती है जिन का कि भारत में कोई घरबार नहीं है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : सरकार ने उन्हें कभी समान नहीं समझा--सत्य तो यह है कि सरकार ने उन्हें (विस्थापित व्यक्तियों को) अधिक सुविधायें दी हैं । एक समय ऐसा भी था जब कि सामान्य सरकारी कर्मचारियों को आवंटन पूर्णतया रोक दिया गया था और सारे मकान केवल विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को ही दिये जाते थे । इस के बाद कुछ समय तक उन के साथ विशेषता का व्यवहार किया जाता रहा और प्रत्येक पांचवां खाली मकान विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को मिलता था । इन तरीक़ों को अपनाने से स्थिति बहुत सुधर गई है और जैसा कि बताया गया है अब विशेषता प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु अब भी इस विषय की जांच की जा रही है और यदि कुछ करने की आवश्यकता हुई तो उसे अवश्य किया जायेगा ।

टेलीफ़ोन तार फ़ैक्टरी

*९७. **श्री हुक्म सिंह :** क्या निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मिहीझम में टेलीफोन तार फ़ैक्टरी के निर्माण में ३१ मार्च १९५२ तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उपकरणों के कब तक उस स्थान पर पहुंचने की सम्भावना है; तथा

(ग) इस के कब उत्पादन आरम्भ करने की आशा है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) से (ग). फ़ैक्टरी तथा आवासी भवनों का निर्माण जारी है। संयंत्र तथा मशीनों के क्रय के लिये आदेश दे दिये गये हैं और उपकरणों के चालू वर्ष के अन्त तक प्राप्त होने की आशा है। यह अनुमान है कि फ़ैक्टरी १९५३ के मध्य तक उत्पादन आरम्भ कर देगी ।

श्री हुक्म सिंह : क्या निर्माण पूर्णतया विदेशी आयात पर निर्भर रहेगा या हम अब भी कुछ ख़रीद रहे हैं ?

श्री बुरागोहिन : जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया स्थिति ऐसी ही है। हमें पूर्णतया आयात पर ही निर्भर रहना पड़ता है ।

श्री हुक्म सिंह : इस वस्तु विशेष पर गत वर्ष कितना विदेशी विनिमय व्यय किया गया था ?

श्री बरागोहिन : भारत की आवश्यकता प्रति वर्ष लगभग ८० लाख रुपये की आंकी जाती है ।

श्री हुक्म सिंह : क्या स्टैन्डर्ड टेलीफोन केबल्स कम्पनी के साथ केवल इस फैक्टरी के निर्माण का ही ठेका किया गया है अथवा उस का आगे इस के चलाने में भी कोई हाथ होगा ?

श्री बुरागोहिन : क़रार के अनुसार परामर्शदाता सार्थ फैक्टरी की स्थापना के लिये उस के नक़शे, नमूने और प्राक्कलन आदि तैयार करेगा, इस के निर्माण की देखभाल करेगा, प्रारम्भिक निर्माण अवधि में अपने खर्च पर इंजीनियरों की व्यवस्था करेगा और निर्मित संयंत्र तथा मशीनों को चलाने का अपने ऊपर विशेष दायित्व लेगा। वह इस को निर्माण सम्बन्धी प्रविधिक सूचना भी देगा और ब्रिटेन में स्थित अपनी कर्मशालाओं में भारतीय कारीगरों को प्रशिक्षित करेगा।

श्री ए० वी० टामस : क्या सरकार का विचार भारत में सभी डाक घरों में टेलीफोन लगाने तथा सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों की व्यवस्था करने का है ?

श्री बुरागोहिन : यह इस प्रश्न से कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री ए० सी० गुहा : क्या यह विशुद्ध रूप से एक सरकारी कारखाना होगा या स्टैन्डर्ड टेलीफोन केबल्स कम्पनी का भी इस में कुछ हाथ रहेगा ?

श्री बुरागोहिन : यह विशुद्ध रूप से एक सरकारी कारखाना होगा, किन्तु कम्पनी को विक्रय पर कुछ स्वामिस्व मिलेगा।

श्री ए० सी० गुहा : स्वामिस्व की दर क्या होगी ?

श्री बुरागोहिन : विक्रय का दो प्रति शत।

दक्षिण अफ़्रीका में दण्डित भारतीय

*९८. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या प्रधान मंत्री दक्षिण अफ्रीका की सरकार द्वारा उस की रंग-भेद नीति के विरुद्ध सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के कारण अब तक दण्डित किये गये भारतीयों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

प्रधान मंत्री के संसदीय सचिव (श्री सतीश चन्द्र) : भारत सरकार की सूचना के अनुसार अफ़्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस तथा दक्षिण अफ़्रीकन भारतीय कांग्रेस का प्रस्तावित सत्याग्रह आन्दोलन अभी आरम्भ नहीं हुआ है, यद्यपि इन दोनों संस्थाओं ने वर्ण-भेद के नियमों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित करने के लिये दक्षिण अफ़्रीका के विभिन्न भागों में ६ अप्रैल, १९५२ को सभायें तथा प्रदर्शन किये थे।

पंडित ए० आर० शास्त्री : क्या सरकार कृपा कर के यह बतायेगी कि दक्षिण अफ़्रीका में भारतीयों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उस को रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है या नहीं, और अगर की है, तो क्या कार्यवाही की है ?

श्री सतीश चन्द्र : यह एक दूसरी गवर्नमेंट का मामला है। वहां के लोगों का जो स्ट्रगल (संघर्ष) है, गवर्नमेंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की मारल सपोर्ट (नैतिक सहानुभूति) ही उस के साथ हो सकती है।

सेठ गोविन्द दास : जो आन्दोलन दक्षिण अफ़्रीका में चल रहा है उस की निस्बत (विषय में) क्या भारतीय सरकार के पास वहां की कांग्रेस समय समय पर कोई रिपोर्ट भेजती है, और इस रिपोर्ट से क्या इस बात का भी पता लगता है कि वहां के इस आन्दोलन में वहां के मूल निवासी कितनी दूर तक भाग ले रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : भारतीय सरकार का वहां की कांग्रेस से सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है और न कोई रिपोर्ट उस को कांग्रेस से मिलती है। हमारे वहां

एक एजेंट रहते हैं, एक सेक्रेटरी (सचिव), और उन के ज़रिये से वहां की खबरें आती हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस सम्बन्ध में भी कोई ख़बर प्राप्त हुई है, कि वहां के मूल निवासियों का इस आन्दोलन में कितना भाग है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : ऐसी हजारों ख़बरें आती हैं, अख़बार के ज़रिये से, एजेंट के ज़रिये से जो ख़बरें आती हैं, वह सब आती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : अभी वहां की इंडियन कांग्रेस के सभापति श्री दादू के विरुद्ध वहां एक आर्डर (आदेश) जारी किया गया है कि वह वहां की अफ़्रीकन कांग्रेस के सभापति के पद से त्यागपत्र दे दें और उन का मूवमेंट (गतिविधि) दो वर्ष के लिये केवल ट्रांसवाल में ही रहे, तो क्या इस से यह माना जा सकता है कि वहां के पैस्सिव रज़िस्टेंस मूवमेंट (सत्याग्रह आन्दोलन) को रोकने के लिये यह आर्डर जारी किया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस के समझने में तो कोई तेज़ दिमाग की ज़रूरत नहीं है कि वहां की हुकूमत (सरकार) की तरफ़ से इस को रोकने की कोशिश की जा रही है ।

सेवा योजनालयों में पंजीकरण

*९९. **श्री वैलायुधन :** क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्रमशः अर्नाकुलम, कालीकट तथा त्रिवेन्द्रम के सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की संख्या;

(ख) जिन्हें काम मिल गया उन व्यक्तियों की संख्या; तथा

(ग) क्या जनता की ओर से इन सेवायोजनालयों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई थी ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) अर्नाकुलम, त्रिवेन्द्रम तथा कोझीकोडे के सेवा योजनालयों की चालू पंजिकाओं में मार्च, १९५२ के अन्त में काम ढूंढने वालों की संख्या इस प्रकार थी :

श्रेणी	अर्नाकुलम	त्रिवेन्द्रम	कोझीकोडे
१	२	३	४
प्रविधिक	४५८	७१३	३१४
लेखक आदि	१४४८	१०२१	१४४५
अकुशल	१९४८	४५८०	२२०१
अन्य	५०९	४२६	४९४
कुल योग	४३६३	६७४०	४४५४

(ख) इन योजनालयों द्वारा काम पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी :—

अर्नाकुलम :— ९९१, मई १९५० से मार्च १९५२ तक ।

त्रिवेन्द्रम :— ६२६, मई १९५० से मार्च १९५२ तक ।

कोझीकोडे :— २०, ५०४, दिसम्बर, १९४५ से मार्च १९५२ तक ।

(ग) जी हां । जनवरी, १९५१ से मार्च, १९५२ तक त्रिवेन्द्रम् के सेवा योजनालय के सम्बन्ध में दो तथा कोझीकोडे के सेवा योजनालय के सम्बन्ध में दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं । इसी अवधि में अर्नाकुलम के सेवा योजनालय के सम्बन्ध में कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई ।

श्री वैलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि त्रिवेन्द्रम तथा कोझीकोडे के सेवा योजनालयों के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री जगजीवन राम : त्रिवेन्द्रम से प्राप्त शिकायत ठीक पाई गई थी और कर्मचारियों को उचित दण्ड दे दिया गया है। कोझीकोडे के सम्बन्ध में प्रादेशिक निदेशक द्वारा अभी जांच की जा रही है ।

श्री वैलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार शिकायत का कुछ स्वरूप बतला सकती है ?

श्री जगजीवन राम : जी हां। त्रिवेन्द्रम के बारे में यह शिकायत थी कि पत्रादि के उत्तर बहुत देर में मिलते थे। कोझीकोडे के बारे में यह शिकायत थी कि सम्बद्ध व्यक्ति के मामले पर एक उम्मीदवार के रूप में किसी सुरक्षित रिक्ति के लिये विचार नहीं किया गया था ।

श्री वैलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या इन श्रम योजनालयों के पदाधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में भी कोई शिकायत थी ?

श्री जगजीवन राम : एक शिकायत यह थी कि जो व्यक्ति पर्चियां या सिफारिशें ले कर आते हैं उन्हें विशेषता दी जाती है। इस की जांच की गई थी किन्तु इस में अधिक सच्चाई नहीं दिखाई दी। शिकायत इस कारण की गई थी क्योंकि शिकायत करने वाले को स्वयं कोई सहायता नहीं मिल रही थी। उस के बाद से उसे काम मिल चुका है ।

श्री वैलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या अर्नाकुलम का नियोजन पदाधिकारी उस विशेष योजनालय में नामों को पंजीबद्ध करने से इन्कार कर रहा है ?

श्री जगजीवन राम : यह शिकायत हमारे ध्यान में तो नहीं आई है ।

श्रीमती रेण चक्रवर्त्ती : क्या माननीय मंत्री गत चार वर्षों में सम्पूर्ण भारत के सेवा योजनालयों में पंजीबद्ध किये गये व्यक्तियों के आंकड़े बतलायेंगे ?

श्री जगजीवन राम : यह दिय जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसे एक अनुपूरक प्रश्न के रूप में पूछने की अपेक्षा वह अलग से एक प्रश्न पूछ सकती हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती : क्या कृषि श्रमिकों के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में कोई नियोजनालय हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह नियोजनालय कुशल श्रमिकों के लिये हैं और उन में कृषि श्रमिक भी आ जाते हैं ।

श्री नम्बियार : मैं यह जान सकता हूं कि क्या फिर से नवीकरण के करने के सम्बन्ध म बार बार प्रार्थना-पत्र दिये जाने के पश्चात् भी प्रार्थियों को काम न देने के लिये २५ वर्ष की आयु का प्रतिबन्ध लागू किया जाता है ?

श्री जगजीवन राम : जी नहीं, श्रीमान्। केवल उन्हीं का नाम चालू पंजिका में नहीं रखा जाता है जो फिर से नाम का नवीकरण करवाने के लिये अपने प्रार्थना-पत्र नहीं भेजते हैं। अन्य बातों से सेवा योजनालय की कोई सम्बन्ध नहीं है, किन्तु वह तो सेवायुक्त करने वाले अधिकारी का काम है ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

स्वास्थ्य बीमा योजना

*१००. **श्री वैलायुधन** : क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अभी हाल में आरम्भ की गई स्वास्थ्य बीमा योजना में हुई प्रगति;

(ख) कर्मचारियों की डाक्टरी परीक्षा के लिये किन सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी और क्या कर्मचारियों से इस के लिये कोई शुल्क भी लिया गया था; तथा

(ग) क्या डाक्टरी परीक्षा तथा प्रमाणपत्र देने के लिये केवल ऐलोपैथिक प्रणाली को ही स्वीकार किया जाता है ?

संचरण मंत्री (श्री जगजीवन राम) : (क) कर्मचारियों की राज्य बीमा योजना दिल्ली राज्य तथा उत्तर प्रदेश के कानपुर क्षेत्र में २४ फरवरी, १९५२ से जारी की गई थी। एक विवरण जिस में इस की प्रगति का वृतान्त दिया हुआ है सदन पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २६**]

(ख) कारखानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को, जिन पर कि यह योजना लागू होती है, बिना डाक्टरी निरीक्षण या परीक्षा के बीमा किया हुआ व्यक्ति मान लिया जाता है, और इसलिये शुल्क लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार के बीमा किये हुए व्यक्तियों की डाक्टरी चिकित्सा तथा देखभाल के लिये निम्नलिखित प्रबन्ध किये गये हैं :—

दिल्ली :—आठ राज्य बीमा औषधालय तथा बाहर के स्थानों के लिये एक चलता-फिरता राज्य बीमा औषधालय खोला गया है। इस के अतिरिक्त तीन वर्तमान सरकारी औषधालयों में भी प्रति दिन कुछ निश्चित घंटों में कर्मचारियों के उपचार के लिये व्यवस्था कर दी गई है।

डाक्टरों की एक पेनल (बीमा कराने वालों की परीक्षा करने वाले डाक्टरों की सूची) को दिल्ली छावनी के लिये नियुक्त कर दिया गया है।

कानपुर :—तेरह राज्य बीमा औषधालय खोले गये हैं। बाहर के क्षेत्रों के लिये दो चलते-फिरते राज्य बीमा औषधालयों की भी व्यवस्था की गई है।

इन औषधालयों में बीमा किये हुए व्यक्तियों का बाहरी रोगियों जैसा उपचार किया जाता है, औषधियां तथा इन्जैक्शन दिये जाते हैं व मरहम-पट्टी की जाती है। जब आवश्यकता होती है तो डाक्टर बीमा किये हुए व्यक्तियों को उन के घर भी देखने जाते हैं। संघातिक तथा तुरन्त उपचार के योग्य रोगियों को हस्पताल में भर्ती कर के भी उन का उपचार किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत बीमा किये हुए व्यक्तियों का जो डाक्टरी उपचार किया जाना चाहिये उस के लिये किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है।

(ग) केवल योजना के अधीन नियुक्त किये गये बीमा चिकित्सा पदाधिकारियों को ही डाक्टरी प्रमाणपत्र देने का अधिकार है और क्योंकि वर्तमान व्यवस्था के अनुसार वह सब ऐलोपैथ ही हैं, अतः केवल उन के द्वारा दिये गये प्रमाणपत्र ही स्वीकार किये जाते हैं।

यदि कर्मचारीगण पर्याप्त संख्या में भारतीय चिकित्सा पद्धति द्वारा उपचार की मांग करें और राज्य सरकारों ने इस प्रकार की पद्धति की अर्हताओं को मान्यता प्रदान कर दी हो तो उन पद्धतियों द्वारा भी उपचार की सुविधाओं की व्यवस्था कर दी जायेगी। तब उन पद्धतियों के अन्तर्गत विधिपूर्वक नियुक्त किये गये चिकित्सा व्यवसायियों के उन के द्वारा उपचार किये गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिये गये प्रमाणपत्र भी स्वीकार कर लिये जायेंगे।

श्री वैलायुधन : मैं यह जान सकता हूं कि क्या उपचार के सम्बन्ध में आयुर्वेदिक

वैद्यों के प्रमाणपत्र स्वीकार किये जाने की क्या बार बार मांग की गई थी ?

श्री जगजीवन राम : मैं उत्तर के अन्तिम भाग में इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। किन्तु हम से तो बार बार ऐसी कोई मांग नहीं की गई है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या कर्मचारियों की ओर से ऐसी कोई मांग की भी गई थी, चाहे यह बार बार न की गई हो ?

श्री जगजीवन राम : जहां तक हमें जानकारी है, हमें तो दिल्ली राज्य सरकार तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने यही सूचना दी है कि श्रमिकों की अधिकांश संख्या ऐलोपैथिक पद्धति द्वारा ही उपचार कराना चाहती है और मैं ने फिर यही उत्तर दिया है कि यदि किसी अवस्था में यह देखा जाय कि श्रमिकों की पर्याप्त संख्या भारतीय पद्धति से उपचार कराने की मांग करे तो उस के लिये सुविधायें प्रदान की जायें ।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या सरकार को यह विदित है कि जिन रोगों के लिये पेटेन्ट औषधियों तथा इंजैक्शनों की आवश्यकता होती है उन के लिये कर्मचारियों को अपने पास से धन व्यय करना पड़ता है ?

श्री जगजीवन राम : बहुत अधिक कीमती औषधियों के सम्बन्ध में ऐसी बात हो सकती है। इस समय यह व्यवस्था है कि नियोजकों को उस का व्यय उठाना पड़ेगा ।

श्री घुलेकर : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने कोई ऐसा परिपत्र भेजा है कि इन लोगों को विधि के अन्तर्गत पंजीबद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सकों से भी परामर्श लेने की अनुमति दे दी जाये ?

श्री जगजीवन राम : जैसा कि मैं ने निवेदन किया, यदि अधिक पर्याप्त संख्या में आयुर्वेदिक पद्धति से उपचार करवाना चाहें तो उन के लिये इस सुविधा की व्यवस्था कर दी जायेगी ।

श्री एच० एन० शास्त्री : क्या सरकार को यह विदित है कि जब से यह योजना लागू हुई है तब से श्रमिकों को छुट्टी लेने में बड़ी कठिनाइयां होने लगी हैं ?

श्री जगजीवन राम : यह बात हमारे ध्यान में आई है और मैं समझता हूं कि श्रम मंत्रालय अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रहा है ।

श्री वैलायुधन : कितने कर्मचारियों को नकदी लाभ दिया गया था और अब तक कुल कितनी राशि दी जा चुकी है ?

श्री जगजीवन राम : मेरे विचार से अभी कोई आंकड़े बताने का समय नहीं आया है । अभी हमारे पास आंकड़े नहीं आये हैं ।

श्री वैलायुधन : क्या मैं यह जान सकता हूं .....

अध्यक्ष महोदय : अब हम अगला प्रश्न लेंगे ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, केवल एक प्रश्न; यह बहुत ही महत्वपूर्ण है ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

नेपाल को सहायता

*१०१. **श्री बी० आर० भगत** : क्या प्रधान मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नेपाल सरकार ने नेपाल के विकास के लिये भारत से कोई सहायता मांगी है ;

(ख) यदि मांगी है, तो किस रूप में तथा किस आधार पर;

(ग) सहायता की सीमा; तथा

(घ) क्या भारत सरकार नेपाल को कोई ऋण देने के लिये तैयार हो गई है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (घ): जी हां। अपेक्षित जानकारी भारत सरकार द्वारा गत मास के अन्त में जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति में दी गई थी। उस प्रेस विज्ञप्ति की एक प्रति सदन पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २७]**

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या ऋण के अतिरिक्त नेपाल सरकार के शिष्ट मंडल ने, जो कि अभी हाल ही में भारत आया था, एक ऐसे आर्थिक विकास का कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया था जिस में कि नेपाल तथा भारत दोनों की सरकारों को रुचि है, और एतदर्थ आधार पर कुछ अनुदान मांगा था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य ६ सप्ताह पूर्व या दो मास पूर्व नेपाल के प्रधान मंत्री के यहां आने की ओर निर्देश न कर रहे हों तो हाल ही में नेपाल सरकार का कोई शिष्ट मंडल यहां नहीं आया। यदि उसी की ओर निर्देश किया गया है, तो यह सत्य है कि जब वह यहां आये थे तो उन्हों ने नेपाल के लिये एक विकास कार्यक्रम पर चर्चा की थी और वह भारत से एक ऋण चाहते थे। हम ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, उस में भी बिल्कुल यही कुछ दिया हुआ है।

श्री बी० आर० भगत : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार भारतीय सीमान्त को सड़क द्वारा काठमाण्डू से मिलाने की परियोजना के विषय में तथा काठमाण्डू की हवाई पट्टी को विकसित करने के लिये नेपाल सरकार को धन की सहायता देने के लिये सहमत हो गई है और क्या भारत सरकार इन पर ऋण के अतिरिक्त एतदर्थ आधार पर धन लगाने के लिये भी सहमत हो गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत सरकार भारत से काठमाण्डू जाने वाली सड़क के निर्माण में तथा काठमाण्डू में वायुयानों के उतरने की वर्तमान हवाई पट्टी को सुधारने में सहायता करने के लिये सहमत हो गई है। वह इसे पूरा कर रहे हैं और वास्तव में इसे ऋण में जोड़ दिया जायेगा।

वस्त्र तथा सूत

***१०२. श्री बी० के० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हाल के सुधारों के लागू किये जाने के पश्चात् वस्त्र तथा सूत पर नियंत्रण की क्या स्थिति है ?

(ख) इन सुधारों का क्या फल निकला है; तथा

(ग) इन सुधारों को जारी करने के बाद से कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य के वस्त्र तथा सूत के निर्यात की कितनी अनुज्ञप्तियां दी गई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २८]**

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या हाथ करघे के बने कपड़े के निर्यात के सम्बन्ध में कोई सुधार किया गया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे तो विदित नहीं है।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में लागू की गई निर्यात नीति के परिणामस्वरूप मोटे तथा मध्यम श्रेणी के कपड़े के मूल्य में क्या कोई वृद्धि हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नियंत्रण आदेशों में यह नवीनतम परिवर्तन अभी १७ मई को ही किये गये हैं। अतः इस समय यह बताना, कि इन का भावों पर किसी प्रकार से कोई प्रभाव पड़ा है, समय से बहुत पूर्व होगा ।

श्री बी० के० दास : विवरण में यह कहा गया है कि इन सुधारों के लागू किये जाने के फलस्वरूप राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा अपना अपना अभ्यंश न उठाये जाने के बावजूद भी वस्त्र तथा सूत राज्यों को सन्तोषजनक रूप से जाता रहा है। राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों की असफलता का कारण तो दिया हुआ है । इस सम्बन्ध में मिलों द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की सफलता के क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक ऐसा प्रश्न है जिस में किसी व्यक्ति को कुछ बातों का अनुमान लगाना पड़ता है। वस्तुतः जब मिलें अपने व्यापार साधनों को स्वयं चुनती हैं, तो वह संभवतः राज्य द्वारा मनोनीत व्यक्तियों से कपड़े के वितरण में अधिक योग्य व्यक्तियों को चुनती हैं। यह एक ऐसा विषय है, जिस के सम्बन्ध में मैं कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दे सकता हूं ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : क्या सलेम के बुनकरों ने माननीय मंत्री से कोई अभ्यावेदन किया है--वहां हाल ही में एक सम्मेलन हुआ था--कि हाथ करघे के बने कपड़े के विदेशों को निर्यात किये जाने के लिये समुचित सुविधायें दी जायें ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय कोई प्रतिबन्ध नहीं है; सुविधायें तो मिली ही हुई हैं। विशेष रूप से सलेम के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में मैं अभी यह नहीं कह सकता कि मैं ने इसे देखा है। किन्तु, हाथ करघे के बुनकरों की संस्थाओं की ओर से अभ्यावेदन तो आ ही रहे हैं और अब इस विषय के सब पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। जहां तक निर्यातों का सम्बन्ध है, वह तो खुले हैं। प्रश्न वस्तुतः यह है कि निर्यातों को बढ़ाया कैसे जाय। उन के खुले होने के बावजूद भी न तो उन से इस देश के निर्यातकों ने लाभ उठाया प्रतीत होता है और न ही अन्य देशों के आयातकों ने ।

श्री बी० के० दास : क्या यह सोचा जा रहा है कि सारी वितरण प्रणाली को राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों से ले कर मिलों को ही सौंप दिया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य ने विवरण को ध्यान से पढ़ा होता तो उन्हें ज्ञात हो गया होता कि वर्तमान ढील तो विशुद्ध रूप से प्रयोगात्मक है और केवल अप्रैल तथा मई मास के लिये ही दी गई है। हम तो वस्तुतः अपना मार्ग टटोल रहे हैं । और यह ढील बाज़ार में संभावित बहुलता के कारण दी गई है । अभी तक तो परिणाम काफी अच्छे दिखाई देते हैं। भविष्य में सरकार क्या करेगी यह तो अधिकांशतया स्थिति पर पुनरीक्षण करने के समय की, अर्थात् इन रियायतों के समाप्त होने से पहिले के समय की अवस्थाओं पर निर्भर करता है ।

सन् १९५० का भारत-पाकिस्तान करार

*१०३. **श्री बी० के० दास :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा पूर्वी बंगाल की सरकार अथवा पाकिस्तान की सरकार के द्वारा अप्रैल, १९५० के दिल्ली करार का उल्लंघन करने की कार्यवाहियों के विरुद्ध प्रदर्शित किये गये विरोधों के प्रत्युत्तर में उन्होंने अब तक अल्पसंख्यकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही की है ;

(ख) अन्तिम विरोध कब तथा किस विषय के सम्बन्ध में किया गया था ; तथा

(ग) क्या करार का पूर्णतया पालन करने के लिये अब भी प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) मुझे खेद है कि इस प्रश्न का कोई स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि कुछ व्यक्तिगत मामलों में तथा कुछ कम महत्व के विषयों में पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के अभ्यावेदनों के फलस्वरूप कठिनाइयों को दूर कर दिया है। किन्तु बहुत से महत्वपूर्ण मामलों में कोई कार्यवाही नहीं की गई है अथवा जो कार्यवाही की गई है वह असन्तोषजनक है ।

(ख) जब कभी इस प्रकार के मामले, जिन में कि ऐसी कार्यवाही की आवश्यकता होती है, भारत सरकार के ध्यान में लाये जाते हैं, तो विरोध या अभ्यावेदन किये जाते हैं। अन्तिम अवसर, जब कि एक सामान्य महत्व के विषय के सम्बन्ध में विरोध प्रदर्शित किया गया था, अगस्त १९५१ में आया था। यह विरोध पूर्वी बंगाल सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के विरुद्ध की गई कुछ भेदभाव पूर्ण कार्यवाहियों के सम्बन्ध में था। कई अनुस्मारक भेजने के पश्चात् फरवरी, १९५२ में पाकिस्तान सरकार से यह उत्तर मिला था कि इस बात की अभी जांच हो रही थी ।

प्रश्न के भाग (ग) का उत्तर, पारपत्र जारी करने के नये प्रश्न को छोड़ कर, जो कि इस से बिल्कुल अलग है, हां में है।

श्री बी० के० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिन के बारे में पाकिस्तान सरकार के उत्तर असन्तोषजनक हों, उन विषयों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है या मतभेदों को दूर करने के लिये कोई प्रक्रिया अपनाई गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : सीमान्त सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में साधारण प्रक्रिया यह है कि सीमा के दोनों ओर के स्थानीय अधिकारी परस्पर मिलते हैं। वह आयुक्त या इसी प्रकार का कोई पदाधिकारी होता है। अन्य कठिनाइयों के सम्बन्ध में मुख्य सचिवों के मिलने की व्यवस्था है तथा इस से भी अधिक महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में सरकारें आपस में बातचीत करती हैं और मेरे माननीय सहयोगी श्री विश्वास इन विषयों में हमारा प्रतिनिधित्व करते थे। प्रक्रियायें तो काफी अच्छी हैं और उन के बारे में कोई कठिनाई नहीं है। बात तो यह है कि उन प्रक्रियाओं से जो परिणाम निकलते हैं वह सदा सन्तोषजनक नहीं होते हैं और उन में प्रायः स्थगित करने की प्रवृत्ति होती है। यदि मेरे माननीय मित्र यह जानना चाहते हैं कि अच्छे परिणाम निकालने के लिये हम और कौन सी प्रक्रिया अपनायें, तो मैं उन्हें वह अभी यहीं तो नहीं बता सकता क्योंकि यह तो दो सरकारों के बीच की बात है। कूटनीतिक प्रक्रियाओं के अतिरिक्त और कोई ऐसी प्रक्रियायें नहीं हैं जो कि सुगमता से अपनाई जा सकें ।

श्री बी० के० दास : क्या अल्पसंख्यक आयोग, जिन्हें करार को क्रियान्वित करने के कार्य की देखभाल करने का काम सौंपा गया था, अब भी कार्य कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा अपना यह विचार है कि वह ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हैं। वह हैं तो सही किन्तु वह वस्तुतः बहुत अधिक समय तक काम नहीं करते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या माननीय प्रधान मंत्री हमें यह बतलायेंगे कि भारत सरकार ने पूर्वी बंगाल की सरकार या पाकिस्तान की सरकार से दिल्ली करार के उल्लंघन

किये जाने के सम्बन्ध में कुल कितनी बार विरोध प्रदर्शित किया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं कुल संख्या एक दम तो नहीं बतला सकता ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या आप हमें कुछ लगभग अनुमान दे सकते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह तो भिन्न भिन्न होते हैं । भारत सरकार के विरोध तो अपेक्षतया अधिक महत्वपूर्ण विषयों तक ही सीमित रहते हैं । हमारे अल्पसंख्यक कार्यों के प्रभारी मंत्री कुछ न कुछ बात बता कर निरन्तर पत्र-व्यवहार करते ही रहते हैं । उन बातों को स्मरण रखना कठिन है । पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल की सरकारें परस्पर एक दूसरे से व्यवहार करती हैं । परस्पर विरोध प्रदर्शित करने तथा उत्तर देने के बहुत से तरीके हैं । इस प्रश्न का एक दम कोई उत्तर देना कठिन है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार से यह बात कह दी है कि पारपत्र प्रणाली को जारी करना दिल्ली करार को ठुकरा देने के समान होगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, भारत सरकार ने भी यही रुख अपनाया था और पाकिस्तान सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया तथा कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी ।

कपड़े का आवंटन

*१०४. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों की कपड़े की आवश्यकतायें ज्ञात हो गई हैं ;

(ख) क्या उन्हें अभ्यंश का आवटन कर दिया गया है; तथा

(ग) यदि कर दिया गया है तो प्रत्येक मामले में आवंटन के आंकड़े बता कर यह बताया जाये कि विभिन्न राज्यों की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) राज्यों के कपड़े के मासिक अभ्यंश दिसम्बर, १९४८ में जनसंख्या के आधार पर निश्चित किये गये थे । किसी राज्य को किसी विशेष मास में कपड़े का वास्तविक आवंटन उस मास में नियंत्रित वितरण के लिये उपलब्ध कपड़े पर निर्भर करता है । राज्यों से उन की आवश्यकता के कोई अलग अलग आंकड़े प्राप्त नहीं किये जाते हैं ।

(ग) एक विवरण, जिस में जनवरी, फरवरी तथा मार्च के आंकड़े दिये हुए हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या २९]

अप्रैल के बाद से राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा अपना अपना अभ्यंश न उठाया जाने के कारण नियंत्रित वितरण प्रणाली को ढीला कर दिया गया है । अब मिलें समस्त बारीक तथा बहुत बारीक कपड़ा तथा ८० प्रतिशत मोटा और मध्यम श्रेणी का कपड़ा अपने मनचाहे ग्राहकों को बेच सकती हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सन् १९५२ में किये गये मासिक आवंटनों में मोटे तथा मध्यम श्रेणी के कपड़े की मात्रा निश्चित कर दी गई थी और क्या उसी के तदनुसार कपड़ा दिया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे पास अलग अलग आंकड़े नहीं हैं ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या मोटे तथा मध्यम श्रेणी के कपड़े की आवश्यकताओं को जानने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि मोटे तथा मध्यम श्रेणी के और बारीक तथा अधिक बारीक कपड़े के उत्पादन की प्रतिशतता समय समय पर बदलती रही है। संभवतः मध्यम श्रेणी के कपड़े का उत्पादन सब से अधिक है और मैं समझता हूं कि यह परिवर्तन समय समय पर विभिन्न राज्यों की मांगों के अनुसार किये जाते हैं। मैं यह बतलाने की स्थिति में नहीं हूं कि इस बात के कारण कोई विशेष जांच की गई है अथवा उत्पादन म कोई अन्तर पड़ा है अथवा इस प्रकार की मांग के कारण या इस प्रकार की किसी जांच के फलस्वरूप आवंटन में कोई अन्तर हुआ है ।

श्री एस० एन० दास : माननीय मंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से कोई मांगें प्राप्त नहीं हुईं । यदि ऐसी बात है, तो यह आवंटन किस आधार पर किये जाते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के भाग (क) तथा (ख) के उत्तर में आधार सूचित है। वस्तुतः आवंटन का आधार जनसंख्या के आंकड़े ही हैं और जनसंख्या की गणना के लिये आंकड़े सन् १९४१ की जनगणना पर आधारित होते हैं। जब नई जनगणना के आंकड़े मिल जायेंगे तो इस का पुनरीक्षण कर दिया जायेगा ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि ज़्यादातर स्टेट नौमिनीज़ (राज्य द्वारा मनोनीत व्यक्तियों) ने अपना कोटा (अभ्यंश) उठाना बन्द कर दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों द्वारा अपना अभ्यंश न उठाये जाने की बात तो बिल्कुल ठीक है। अधिकांशतया, कुछ एक अपवादों को छोड़ कर, राज्यों के मनोनीत व्यक्तियों ने अपने अभ्यंशों को उठाने से इन्कार कर दिया है। मैं समझता हूं कि मैं ने इस सम्बन्ध में कल एक प्रश्न का उत्तर दिया था ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या यह सत्य है कि राज्यों के मनोनीत व्यक्ति इस कारण अपना अभ्यंश उठाने में असमर्थ हो गये हैं क्योंकि अभ्यंशों के अनुसार उन्हें बारीक तथा अधिक बारीक कपड़े की कुछ मात्रा अनिवार्य रूप से लेनी पड़ती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस समय तो यह सत्य नहीं है । क्योंकि अति बारीक तथा बारीक कपड़े के लिये अन्य प्रबन्ध कर दिया गया है, किन्तु संभव है कि पहले यह सत्य रही हो ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : मैं जान सकता हूं कि इस ढील का क्या परिणाम हुआ है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैं ने पहले निवेदन किया हमें १७ मई को दी गई सुविधाओं के सामान्य प्रभाव के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, परन्तु हमें जो कुछ भी सूचनायें मिली हैं उन से ज्ञात होता है कि वस्तुएं इधर उधर जाने लगी हैं और बहुत संभव है कि—मैं केवल अनुमान ही लगा रहा हूं—निकट भविष्य में जो संभावित संकट आने वाला था हम उसे पार कर जायेंगे ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि सरकार विशाल जनसंख्या के उपयोग के लिये मोटे तंथा मध्यम श्रेणी के कपड़े के उत्पादन को प्रोत्साहित क्यों नहीं कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रस्थापना को मानने में असमर्थ हूं ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या मोटे तथा मध्यम श्रेणी के कपड़े पर से ८० प्रति शत तक नियंत्रण का हटा देना तथा मिलों को अपने मनोनीत व्यक्तियों को स्वयं ही कपड़ा बेचने की अनुमति दे देना नियंत्रणों को बिल्कुल हटा देने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पहला पग है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, यदि माननीय सदस्य कोई ऐसे परिणाम निकालते हैं जिन का कि नियंत्रण की नीति पर कोई स्थायी प्रभाव पड़ता हो, तो वह भूल में हैं। जैसा कि मैं ने पहले निवेदन किया कि इस समय यह जो एक विशिष्ट प्रकार के नियंत्रण को हटाया गया ह यह कार्य तो केवल एक सीमित अवधि के लिये ही किया गया है और इसलिये केवल प्रयोगात्मक सा है। यदि इसी प्रकार की स्थिति जारी रही जैसी कि सुविधा देने से पहिले थी, तो संभवतः इस अवधि को बढ़ा दिया जाये। चाहे कुछ भी हो, सरकार ने नियंत्रण हटाने की कोई नीति अपनाने का निश्चय नहीं किया है। और इस के बारे में मैं और अधिक कुछ नहीं कह सकता हूं ।

भारतीय तथा विदेशी उपक्रम

*१०५. **श्री एस० एन० दास :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान अखिल भारतीय निर्माता संघ के बारहवें वार्षिक सम्मेलन में सरकार की विदेशी तथा भारतीय उपक्रमों में भेदभाव न करने की नीति को सुधारने के सम्बन्ध में पारित किये गये संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि किया गया है, तो क्या उस के बाद से इस प्रश्न को पुनरीक्षित किया गया है; तथा

(ग) क्या उस के बाद से नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री एस० एन० दास : सरकार द्वारा अपनाई गई भेदभाव न करने की नीति के वह महत्वपूर्ण अंश कौन से हैं जिन में कि यह अखिल भारतीय निर्मातागण सुधार करवाना चाहते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : स्थिति यह है कि भिन्न भिन्न महत्व रखने वाले निकायों द्वारा पारित किये गये संकल्पों की प्रतिलिपियां प्रति दिन सरकार को मिलती रहती हैं और मैं समझता हूं कि यह प्रायः एक बिल्कुल असम्भव कार्य है कि यदि जब कभी भी कोई संस्था कोई संकल्प पारित कर के सरकार के पास भेज दे तो सरकार उस संकल्प की बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी नीति का पुनरीक्षण करने के लिये बैठ जाये । अतः मैं माननीय सदस्य को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ६ अप्रैल, १९४९ को विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य से संशोधित या स्पष्टीकृत ६ अप्रैल, १९४८ की तिथि के भारत सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी संकल्प में सूचित सरकार की वर्तमान नीति की ओर निर्देश करूंगा।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि इस भेद भाव न करने की नीति को अपनाने से विदेशी पूंजी कहां तक इस देश में आकृष्ट हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि क्या भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने की सरकार की कोई

निश्चित नीति है और विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में उस की क्या नीति है ?

श्री टी०टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न के प्रथम भाग के सम्बन्ध में सरकार भारतीय पूंजी को उद्योगों में लगाये जाने के हेतु अपनी शक्तिभर प्रोत्साहन देने के लिये सदा तैयार है। विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में वर्तमान नीति भारत सरकार के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य तथा विदेशी पूंजी सम्बन्धी प्रधान मंत्री के वक्तव्य में आ जाती है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि इस नीति के अपनाये जाने के कारण भारतीय पूंजी झिझकने तथा घटने लगी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रस्थापना को मानने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार को दक्षिण भारत से उस क्षेत्र में, जिस के लिय कि हमें यह ज्ञात हुआ है कि सरकार ने अपना समर्थन नहीं दिया है, कतिपय बड़े बड़े उद्योग आरम्भ करने के लिये कोई प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जिस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है उस के सम्बन्ध से यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है, किन्तु यदि माननीय सदस्य कोई ऐसा विशेष उदाहरण बतायें जिस में कि सरकार ने दक्षिण भारत के किसी व्यवसायी को प्रोत्साहन न दिया हो तो मैं उस की छानबीन करने को तैयार हूं।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री ने जिन दस्तावेजों का निर्देश किया है उन में भारत में स्थापित विदेशी समवायों के सम्बन्ध में, अर्थात् भारत में चाल विदेशी समवायों को निमंत्रण देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश नहीं किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो थोड़ा बहुत अपनी अपनी सम्मति का विषय है।

श्री टी० के० चौधरी : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या उन समवायों को, जिन्हों ने भारत में पूंजी लगा रखी थी, किन्तु जो विदेशों में निगमित हैं, भारतीय समवायों से प्रतिद्वन्दता करने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं इस प्रश्न का तात्पर्य नहीं समझ सका हूं, किन्तु फिर भी मैं यह कहूंगा कि जो समवाय पहले ही स्थापित हो चुके हैं उन की स्थिति कुछ भिन्न है। इन दोनों वक्तव्यों में तो उन समवायों के सम्बन्ध में निर्देश किया गया है जिन्हें सन् १९४८ तथा १९५० के पश्चात् स्थापित करने की आज्ञा मांगी गई थी। अतः यदि, माननीय सदस्य के मन में पहले से स्थापित समवाय हों तो यह बतलाई गई नीति उन पर लागू नहीं होगी।

मिलों का बन्द होना

*१०६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि पश्चिमी भारत की कुछ कपड़ा मिलों ने पानी की कमी के कारण मिलों के बन्द हो जाने का भय प्रकट किया था; तथा

(ख) यदि किया है, तो यह मिलें कहां स्थित हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). पश्चिमी भारत की चार मिलों ने पानी की कमी के कारण मिलों के बन्द किये जाने की सूचना दी है। एक जलगांव, दूसरी बड़ौदा तथा

दो भावनगर में स्थित हैं। इन चारों में से कोई भी वस्तुतः बन्द नहीं हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : म जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों ने उन मिलों में पानी की कमी को दूर करने के लिये कोई व्यवस्था की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इन मिलों ने तो केवल सूचनायें ही दी हैं, किन्तु वह काम तो कर रही हैं। प्रत्यक्षतया यह कमी बहुत अधिक नहीं है।

श्री कास्लीवाल : क्या यह सत्य नहीं है कि कतिपय मिलें पानी के अभाव के कारण नहीं अपितु विद्युत शक्ति के अभाव के कारण बन्द हो गई हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हो सकता है।

आसाम के गांवों का विकास

*१०७. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम के गांवों का विकास करने की कोई अग्रिम परियोजना आरम्भ कर दी गई है;

(ख) यदि कर दी गई है, तो कब और कहां;

(ग) इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है; तथा

(घ) इस योजना का व्यय कैसे पूरा किया जायेगा तथा योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य सामूहिक परियोजनाओं की ओर निर्देश कर रहे हैं। आसाम में दो सामूहिक परियोजनायें, एक तो कछार ज़िले में तथा दूसरी धारंग ज़िले में तथा जनजाति क्षेत्रों में दो विकास खण्ड नियत किये गये हैं। इन पर अक्तूबर के प्रारम्भ में अर्थात् ठीक रबी की फसल के समय कार्य आरम्भ होने की आशा है।

(ग) किसी सामूहिक विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य उस क्षेत्र के भौतिक तथा मानवीय साधनों का पूर्ण विकास करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये खाद्य तथा कृषिजन्य उत्पादनों में शीघ्र ही वृद्धि करने के निमित्त कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है।

(घ) विदेशी मुद्रा में होने वाला व्यय तो भारत-अमरीका प्रविधिक सहकारिता करार के अधीन निधि के आवंटनों से पूरा किया जायेगा। रुपये मुद्रा में होने वाला व्यय आंशिक रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष विकास निधि में से, जिसे निधि ख कहते हैं, तथा आंशिक रूप से राज्य सरकारों द्वारा पूरा किया जाता है। यह आशा है कि इन परियोजनाओं का कार्य तीन वर्ष में पूरा हो जायेगा।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा स्वयमेव अथवा केन्द्रीय सरकार के सहयोग से गांवों के लिये और कौन सी विकास परियोजनायें आरम्भ की जानी हैं ?

श्री नन्दा : फोर्ड फाउन्डेशन के साथ किये गये करार के अन्तर्गत एक परियोजना और भी है और उस के इस वर्ष फ़रवरी में आरम्भ होने की आशा थी।

श्री एस० सी० सामन्त : हम जान सकते हैं कि क्या सरकार का इन कार्यों के सम्पादन में गैरसरकारी निकायों की सहायता लेने का विचार है ?

श्री नन्दा : जी हां, श्रीमान्, जितनी अधिक सम्भव हो सके उतनी।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : मैं जान सकता हूं कि फ़ोर्ड फ़ाउन्डेशन इन क्षेत्रों में किस प्रकार का कार्य करना चाहती है ?

श्री नन्दा : उन परियोजनाओं में प्रायः उसी प्रकार का किन्तु कुछ सीमित सा कार्य किया जायेगा—अधिकांशतया यह कृषि को बढ़ाने का कार्य होगा ।

श्री ब्रह्मो-चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार की परियोजनायें आसाम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी आरम्भ की जायेंगी ?

श्री नन्दा : ये दो तो पहाड़ी क्षेत्रों में हैं।

श्री ब्रह्मो-चौधरी : कछार तो कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है ।

श्री नन्दा : आप का प्रश्न क्या है ?

श्री ब्रह्मो-चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन परियोजनाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में भी आरम्भ किया जायेगा ?

श्री नन्दा : दो विकास-खण्ड पहाड़ी क्षेत्रों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं ।

जनाब अमजद अली : मैदानों के आदिम-जाति क्षेत्रों के बारे में क्या स्थिति है ? क्योंकि मैदानों में भी तो आदिमजाति क्षेत्र हैं ।

श्री नन्दा : यह दो विकास क्षेत्र आदिम-जाति क्षेत्रों के लिये हैं ।

जनाब अमजद अली : क्या आप उन क्षेत्रों के नाम बतलायेंगे जिन की आदिम जातियों को इस से लाभ पहुंचेगा ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री समझते हैं कि यह परियोजनायें पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। श्री हजारिका ।

श्री जे० एन० हजारिका : कार्य वस्तुतः आरम्भ कब किया जायेगा, अथवा क्या यह पहले ही आरम्भ किया जा चुका है ?

श्री नन्दा : इस विषय में यह निश्चय किया गया है कि इन परियोजनाओं का जांच कार्य जुलाई के मध्य तक पूरा कर दिया जायेगा; ३१ जुलाई तक परियोजना के प्राक्कलन तैयार कर दिये जायेंगे, १५ अगस्त तक इन का अनुमोदन हो जायेगा; और पहली अक्तूबर तक पूरे ज़ोरशोर से काम आरम्भ कर दिया जायेगा ।

श्री एस० सी० देव : क्या भारत सरकार कछार ज़िले में इस प्रकार की कोई परियोजना आरम्भ करने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो कब ?

श्री नन्दा : जी हां, श्रीमान् । हम ऐसा सोच रहे हैं ।

विस्थापित व्यक्तियों को दान

*१०८. **श्री ए० सी० गुहा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कैम्पों में रहने वाले प्रत्येक विस्थापित व्यक्ति को दिया जाने वाला साप्ताहिक या मासिक दान ;

(ख) क्या हाल ही में परिवारों के सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखे बिना ही प्रत्येक परिवार के लिये कुछ अधिकतम सीमा निश्चित कर दी गई है; तथा

(ग) यदि की गई है, तो इस का कारण ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक विवरण, जिस में अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग). अभी हाल में नहीं । कैम्पों में दी जाने वाली सहायता को बस्तियों के जीवनधारण भत्ते के समान स्तर पर लाने के लिये एक वर्ष पूर्व उच्चतम सीमा निश्चित की गई थी ।

विवरण

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को दिया गया दान

(१) जब नकदी अथवा जिन्स में दिया जाये—

(१) आठ वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को दो रुपये प्रति सप्ताह नकद अथवा इस के बराबर की जिन्स के रूप में ।

(२) प्रति वयस्क (८ वर्ष से अधिक) को ३ रुपये प्रति सप्ताह नकद अथवा इस के बराबर की जिन्स के रूप में ।

(२) जब नकदी तथा जिन्स में दिया जाये—

(१) आठ वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को १ रु० ६ आ० नकद तथा प्रति सप्ताह १ सेर ३½ छटांक चावल तथा ३½ छटांक दाल ।

(२) प्रति वयस्क (८ वर्ष से अधिक) को २ रुपये नकद तथा प्रति सप्ताह दो सेर ७ छटांक चावल तथा ७ छटांक दाल ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि प्रत्येक परिवार के लिये अधिकतम मात्रा कितनी निश्चित की गई है ?

श्री ए० पी० जैन : साधारणतया ५० रुपये तथा विशेष मामलों में ६० रुपये तक ।

श्री ए० सी० गुहा : परिवार के सदस्यों की संख्या का विचार किये बिना ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां । अधिकतम सीमा का तो यही अर्थ है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या भारत सरकार को इस विषय में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि इस अधिकतम सीमा से उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है क्योंकि कुछ परिवारों में आठ-आठ या दस-दस व्यक्ति होते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : जी नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या मैं यह समझूं कि सरकार को कोई शिकायत नहीं मिली है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां ।

विस्थापित व्यक्तियों को ऋण

***१०९. श्री ए० सी० गुहा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) ग्रामीण तथा नगरीय बस्तियों के विस्थापित व्यक्तियों को गृह-निर्माण तथा छोटे छोटे धन्धों के लिये किस दर पर ऋण दिये जाते हैं ?

(ख) क्या यह ऋण एक बार में ही दे दिये जाते हैं अथवा किस्तों में दिये जाते हैं ; तथा

(ग) यदि किस्तों में दिये जाते हैं, तो दो किस्तों के बीच का समय प्रायः कितना होता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) नगरीय बस्तियों में गृह-निर्माण के लिये ऋण सरकार द्वारा ७ सितम्बर, १९५० को जारी किये गये आदेशों के अनुसार दिये जाते हैं, इस की एक प्रति सदन पटल पर रखी गई है। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३०**]

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इस प्रकार के ऋणों की रकम किसी स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार प्रति परिवार ३०० रुपये से १००० रुपये के बीच होती है ।

किसी व्यापार या धन्धे को चलाने के लिये नगरीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक

५००० रुपये तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ८०० रुपये तक के छोटे छोटे ऋण दिये जाते हैं ।

(ख) तथा (ग) व्यापार तथा धन्धों के लिये साधारणतया ऋण एक मुश्त ही दे दिये जाते हैं । गृह निर्माण के लिये ऋण किस्तों में दिये जाते हैं तथा जहां तक सम्भव हो निर्माण-सामग्री के रूप में ही दिये जाते हैं । किस्तों का दिया जाना निर्माण कार्य की प्रगति पर निर्भर होता है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या सरकार को कोई ऐसी शिकायत मिली है कि कभी कभी दो किस्तों के बीच का समय एक एक या दो दो वर्ष तक लम्बा हो गया है ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिस में ठीक ठीक यह तो नहीं कहा गया था कि बीच का समय एक वर्ष तक का हो गया है, परन्तु उस में यह कहा गया था कि यह काफी लम्बा हो गया है ।

श्री ए० सी० गुहा : जब किस्तें इतनी लम्बी अवधि के बाद दी जाती हों तो क्या कोई घर बनाना सम्भव हो सकता है ?

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्पष्टतया अपनी अपनी सम्मति का प्रश्न है । अगला प्रश्न ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : प्रश्न संख्या ११०.

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : मुझे ज्ञात हुआ है कि यह प्रश्न मेरे सहयोगी वित्त मंत्री को सौंप दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ने प्रश्न संख्या ११० को पुकारा ही नहीं । मैं तो संख्या १११ को पुकारने जा रहा था जब कि माननीय सदस्य ने गलती से ११० कह दिया ।

प्रश्न संख्या १११ ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : जी हां, श्रीमान् ।

उत्पादन पर मन्दी का प्रभाव

***१११. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बाज़ार में आई हाल की मन्दी का वस्तुओं के उत्पादन पर कहां तक प्रभाव पड़ा है ?

(ख) उत्पादन पर मन्दी के विपरीत प्रभाव को रोकने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किय हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कतिपय वस्तुओं के भावों में गिरावट होने से उन के उत्पादन पर पड़ने वाले प्रभाव को आंकना अभी समय से बहुत पूर्व की बात होगी ।

(ख) स्थिति को ध्यान से देखा जा रहा है । जब कभी भी मूल्यों में गिरावट अथवा प्रत्याशित गिरावट के फलस्वरूप वस्तुओं के भण्डार इकट्ठे हो जाते हैं, जिस से कि उत्पादन में बाधा उत्पन्न होने का भय होता है, तो जहां कहीं नियंत्रण होते हैं उन के परिपालन में उचित ढील दे दी जाती है ।

सरकार पहले ही घोषित किये गये निम्नतम मूल्यों पर रुई खरीदने के लिये भी आवश्यक कार्यवाही कर चुकी है ।

श्री पी० सी० बोस: मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय मंत्री की सम्मति में यह मूल्यों में हुई कमी थोड़ी कमी है या काफी अधिक मन्दी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो केवल कहने कहने का भेद है। मैं अपने माननीय

मित्र के इसे मूल्यों में हुई थोड़ी कमी कहने के अधिकार पर विवाद नहीं करता ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि मन्दी के कारण बम्बई तथा अहमदाबाद आदि में कपड़ा उद्योग की बहुत सी मिलों में श्रमिकों के काम के घण्टों में तथा पालियों में भी कमी हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पालियों में सम्भावित कमी की सूचनायें तो दी गई हैं, किन्तु कोई अधिक कमी तो नहीं हुई है।

श्री नम्बियार : क्या मैं उन कर्मचारियों की संख्या जान सकता हूं जिन पर कि इन का प्रभाव पड़ा है अथवा शीघ्र ही पड़ने वाला है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का उत्तर पहले किसी दिन दिया जा चुका है। मैं समझता हूं कि पालियों में कमी होने के कारण अथवा मिलों के बन्द हो जाने के कारण सारे भारत में जिन कर्मचारियों पर इस का प्रभाव पड़ेगा उन की संख्या ५,००० के आस पास है ।

भारत तथा पाकिस्तान के मध्य प्रत्यर्पण सन्धि

***११२. डा० एम० एम० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत के गणराज्य बनने के पश्चात् भारत तथा पाकिस्तान के मध्य कोई प्रत्यर्पण सन्धि हुई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की सन्धि न होने के क्या कारण हैं ;

(ग) भारत द्वारा अपेक्षित उन व्यक्तियों की कुल संख्या, जो पाकिस्तान भाग गये हैं और किसी प्रत्यर्पण सन्धि के अभाव में जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता है, क्या है; तथा

(घ) पाकिस्तान भारत से जिन व्यक्तियों को चाहता है उन की संख्या ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय भारत सरकार पाकिस्तान सरकार के साथ इस प्रकार की कोई सन्धि करना सुविधाजनक नहीं समझती है ।

(ग) तथा (घ). आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं ।

शिक्षा सम्बन्धी योजना

***११३. डा० पी० एस० देशमुख** : (क) क्या **योजना** मंत्री अन्तिम रूप से निर्धारित शिक्षा सम्बन्धी विकास योजना की रूपरेखा बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) यदि यह योजना तैयार नहीं हुई है तो कब तक इस को अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ?

(ग) क्या सन् १९५२-५३ में शिक्षा सम्बन्धी विकास पर कोई धन राशि व्यय करने का विचार है ?

(घ) यदि है, तो यह राशि कितनी है तथा किन मदों पर व्यय की जायेगी ?

(ङ) इस राशि को राज्य-वार कैसे व्यय करने का विचार है ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा): (क) शिक्षा सम्बन्धी विकास की योजना अभी तक विचाराधीन है ।

(ख) योजना को जून, १९५२ के अन्त तक अन्तिम रूप दिये जाने की आशा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सन् १९५२-५३ के आयव्ययक अनुमानों में

इस योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के लिये ४,३७,१९,००० रुपये का प्रावधान किया गया है । एक विवरण, जिस में वह सब मदें दी हुई हैं जिन पर कि यह धन व्यय किया जायेगा, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१**]

(ङ) राज्य सरकारों से परामर्श किये जाने के कारण यह विषय अभी विचाराधीन है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं यह समझूं कि यह अन्तिम संख्या नहीं है और यदि आवश्यकता हुई तो और अतिरिक्त धन के भी दिये जाने की सम्भावना है ?

श्री नन्दा : मैं अतिरिक्त धन की सम्भावना के सम्बन्ध में उत्तर नहीं दे सकता । योजना का पुनरीक्षण किया जा रहा है और कुछ भी हो सकता है ।

डा० पी० एस० देशमुख : विवरण में उल्लिखित आंकड़ों से यह ज्ञात होता है कि इस धन का बहुत अधिक भाग एक या दो संस्थाओं तथा उच्च वैज्ञानिक शिक्षा पर व्यय किया जायगा । क्या इस धन में से किसी प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा की योजना को सहायता दिये जाने की संभावना है ?

श्री नन्दा : इस में सभी प्रकार की शिक्षा के लिये प्रावधान किया गया है और मेरे पास उन संस्थाओं के नाम तथा प्रत्येक के लिये स्वीकृत की गई राशि के आंकड़े हैं ।

डा० पी० एस० देशमुख : यह तो मेरे पास भी हैं ।

श्री नन्दा : शिक्षा पर व्यय करने के लिये योजना में जो प्रावधान किये गये हैं यह राशि उन सब के लिए पूर्णतया पर्याप्त नहीं होती है ।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या मैं यह समझूं कि प्रौढ़ शिक्षा तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिये अधिक सुविधायें प्रदान करने के हेतु कोई विशेष प्रावधान नहीं किया जाने वाला है ? मैं इसलिये पूछ रहा हूं क्योंकि यहां जो प्रावधान किया गया है वह बहुत ही थोड़ा है—यह सारी राशि का कठिनता से १५ प्रति शत है ।

श्री नन्दा : प्रौढ़ शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा की देखभाल तो मुख्यतया राज्यों द्वारा की जाती है, परन्तु यह प्रावधान तो केन्द्र द्वारा कतिपय संस्थाओं को दिये गये विशेष अनुदानों के सम्बन्ध में किया गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

फ़्रांसीसी भारत की पुलिस का भारतीय सीमा में अनाधिकार प्रवेश

*११४. **श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने इस आरोप के सम्बन्ध में, कि फ़्रांसीसी भारत की पुलिस का एक निरीक्षक चार सशस्त्र सिपाहियों तथा कुछ एक गुण्डों के साथ कुड्डलोर के निकट १२ अप्रैल, १९५२ को सीमा को पार कर के भारतीय प्रदेश में घुस आया था और उस ने कतिपय भारतीय नागरिकों को अपहृत करने का प्रयत्न किया था, कोई जांच की है, और यदि की है, तो उस जांच का परिणाम क्या निकला है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इसी प्रकार का एक धावा जनवरी, १९५२ में भी किया गया था; तथा

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये कोई पग उठाये हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :

(क) जी हां, श्रीमान् । हम ने इस घटना की जांच की थी तथा फ़्रांसीसी

भारत की सरकार से विरोध प्रकट किया था। वह इस आरोप को स्वीकार नहीं करती है।

(ख) जी हां, हम ने उस समय भी फ़्रांसीसी भारत की सरकार से विरोध प्रकट किया था और उस से अपनी पुलिस को भारतीय प्रदेश का अतिक्रमण करने से रोकने की प्रार्थना की थी।

(ग) फ़्रांसीसी भारत की सरकार से विरोध प्रकट करने के अतिरिक्त हम ने सीमान्त पर अपने पुलिस बल को अधिक सुदृढ़ भी बना दिया है।

विस्थापित व्यक्तियों के लिए घर

*११५. **श्री बाल्मीकी :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विस्थापित व्यक्तियों के लिये जो घर बन रहे हैं उन की संख्या;

(ख) यह कब तक तैयार हो जायेंगे ;

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को घरों के आवंटन का आधार; तथा

(घ) विस्थापित हरिजनों के हितों का कहां तक ध्यान रखा जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख): विस्थापित व्यक्तियों के लिये घरों का निर्माण सारे भारत में अनेक स्थानों पर हो रहा है और अपेक्षित जानकारी को एकत्रित करने में जो श्रम तथा समय लगेगा वह परिणाम की तुलना के सम-मात्रिक नहीं होगा।

(ग) घरों के आवंटन में सब से पहले प्राथमिकता सामान्यतया उन व्यक्तियों को दी जाती है जो कि सड़क के किनारे टूटी फूटी झोंपड़ियों में रहते हों, या जो सार्वजनिक अथवा सरकारी स्वामित्व की भूमि पर अधिकार किये हुए हों अथवा जो सार्वजनिक या धार्मिक स्थानों या सरकारी क्वार्टरों में रहते हों।

(घ) लगभग २,००० घर विशेष रूप से विस्थापित हरिजनों के लिये दिल्ली, अजमेर तथा अहमदाबाद में बनाये गये हैं। इस के अतिरिक्त हरिजनों को सामान्य गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत अन्य विस्थापित व्यक्तियों के समान घर प्राप्त करने का अधिकार है तथा उन्हें मिल भी रहे हैं।

जीवनधारण भत्ता

*११६. **श्री बाल्मीकी :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री अशक्त, रोगी तथा वृद्ध विस्थापित व्यक्तियों को सन् १९५१-५२ में जीवन धारण भत्ते के रूप में दी गई कुल राशि बतलाने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या सरकार जीवनधारण भत्ता पाने वालों को स्वयं उपस्थित होने या सूचनापत्र में उल्लिखित पदाधिकारियों के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में होने वाली कठिनाइयों से परिचित है ?

(ग) यदि है, तो इस विषय में सरकार का क्या करने का विचार है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) विधवाओं तथा असहाय स्त्रियों, अल्पवयस्कों तथा अन्य विस्थापित व्यक्तियों को, जो वृद्धावस्था, अशक्तता, रुग्णावस्था या अन्य कारणों से अपने जीविकोपार्जन में असमर्थ हैं, सन् १९५१-५२ में लगभग ३० लाख रुपये जीवनधारण भत्ते के रूप में दिये गये थे। अशक्त, रोगियों तथा वृद्धों को दिये गये भत्ते के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) तथा (ग) निर्दिष्ट प्रक्रिया सामान्य तथा वित्तीय प्रश्न के औचित्य के विचार के अनुकूल ही है। सरकार यह नहीं समझती कि इस में कोई ऐसी असुविधा है जिसे दूर किया जा सकता है।

पूर्वी बंगाल विस्थापित सरकारी कर्मचारी

*११७. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५२ के बाद से पूर्वी बंगाल से भारत आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

(ख) प्रव्रजन से पूर्व इन में से कितने व्यक्ति पूर्वी बंगाल में सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवक थे ?

(ग) उपरोक्त भाग (ख) में निर्दिष्ट इस प्रकार के सरकारी सेवकों के पुनर्वास के लिये, जो कि सन् १९५० के बाद पूर्वी बंगाल से आये हैं, क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) १३,००० से अधिक ।

(ख) इन विस्थापित व्यक्तियों में सरकारी या अर्ध-सरकारी सेवकों की संख्या ज्ञात नहीं है। इस सूचना को एकत्रित करने में बहुत अधिक श्रम तथा समय लगेगा जो कि प्राप्त परिणामों के सममात्रिक नहीं होगा ।

(ग) इस प्रकार के सरकारी कर्मचारी नौकरी के लिये अपने आप को सेवायोजनालयों में पंजीबद्ध करवा सकते हैं । वह प्रायः मध्यम वर्ग के अ-कृषक विस्थापित व्यक्तियों को दी जाने वाली इस प्रकार की पुनर्वास सुविधाओं से, जैसे घर बनाने के लिये स्थान, घर बनाने के लिये ऋण तथा व्यापार, व्यवसाय अथवा उद्योग के लिये ऋणों से भी लाभ उठा सकते हैं।

कुचला (निर्यात)

*११८. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुचला नाम की औषधि को ब्रिटेन तथा डालर क्षेत्रों को निर्यात करने के सम्बन्ध में कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

(ख) अन्य कौन से देशों को इस औषधि की आवश्यकता होती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री करमरकर) : (क) कुचला का निर्यात खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के आधार पर होता है ।

(ख) मुख्यतया जर्मनी, मलाया, हांगकांग तथा फ्रांस ।

पत्थर फोड़ने के संयंत्रों के लिये मूल्य वेदन-पत्र

*११९. **श्री एम० आर० कृष्ण :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या 'भाईथान बांध' के निर्माण के लिये पत्थर फोड़ने, छानने तथा इकट्ठा करने के संयंत्रों की व्यवस्था करने के लिये मूल्य वेदन-पत्र (टैंडर) प्राप्त हो चुके हैं ?

(ख) यदि हो चुके हैं, तो कितने प्राप्त हुए हैं ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां ।

(ख) तेईस

पंचवर्षीय योजना (अन्तिम रूप देना)

*१२०. **श्री हेडा :** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार को पंचवर्षीय योजना के अन्तिम रूप दिये जाने की कब तक आशा है; तथा

(ख) यदि विलम्ब का कोई कारण हो, तो वह भी बताया जाये ?

योजना तथा नदी घाटी परियोजना मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख) पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रतिवेदन के जून, १९५२ के अन्त तक पूरा होने की आशा है ।

व्यापार सन्तुलन

*१२१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री इस देश के डालर क्षेत्रों के साथ जुलाई से दिसम्बर, १९५१ तक के व्यापार सन्तुलन की स्थिति को बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : भारत की डालर क्षेत्रों के साथ जुलाई–दिसम्बर, १९५१ की अवधि में हुए व्यापार संतुलन की स्थिति इस प्रकार थी :

आयात	१३०.४५ करोड़ रुपये
निर्यात (पुनर्निर्यातों सहित)	७५.७६ करोड़ रुपये
व्यापार सन्तुलन अवशेष	५४.६९ करोड़ रुपये

(यह आंकड़े अस्थायी हैं तथा इन में मार्ग का व्यापार भी सम्मिलित है) ।

औद्योगिक पूंजी

१३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में सन् १९४७-४८ तथा सन् १९५०-५१ में भारत के विभिन्न उद्योगों में लगाई गई कुल उत्पादक पूंजी;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा इन दो वर्षों में अंशदान के रूप में दी गई राशि ; तथा

(ग) किसी राज्य द्वारा सन् १९४७-४८ के बाद से पूंजी में की गई वृद्धि की अधिकतम प्रतिशतता ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): दो विवरण, जिन में सन् १९४७ तथा सन् १९४९ के अन्त में २९ अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थिति दी हुई है, सदन पटल पर रखे जाते हैं। [**देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३२**] बाद के वर्षों के लिये सूचना अभी उपलब्ध नहीं है ।

आयात

१४. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) जुलाई से दिसम्बर, १९५१ तक की अवधि में भारत के आयातों का मूल्य—

(१) डालर क्षेत्रों से;

(२) स्टर्लिंग क्षेत्रों से; तथा

(३) डालर से भिन्न तथा स्टर्लिंग से भिन्न क्षेत्रों से ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर):

(मूल्य लाख रुपयों में)

(१) १,३०,४५ ।

(२) २,०८,५२ ।

(३) १,४०,३४ ।

(उपरोक्त आंकड़े अस्थायी हैं तथा इन में संशोधन किया जा सकता है ।)

विदेशी मुद्रा विनिमय

१५. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री जुलाई से दिसम्बर, १९५१ तक की अवधि में निर्यातों के कारण विदेशी मुद्रा विनिमय से भारत को हुई आय बतलाने की कृपा करेंगे :

(१) डालर क्षेत्रों से;

(२) स्टर्लिंग क्षेत्रों से; तथा

(३) डालर से भिन्न तथा स्टर्लिंग से भिन्न क्षेत्रों से ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) :

(करोड़ रुपयों में)

(१) ७५.७७ ।

(२) २०८.४१ ।

(३) ७२.३४ ।

बृहस्पतिवार,
२२ मई, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

प्रथम ल

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13.3.92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

बृहस्पतिवार, २२ मई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९-१५ म० पू०

स्थगन प्रस्ताव

रेल कर्मचारियों पर गोली वर्षा

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है जिस का सम्बन्ध —मैं इस सूचना का सारांश अंग्रेज़ी में बता रहा हूं क्योंकि इसकी मूल्य सूचना हिन्दी में दी गई है—२५ अप्रैल, १९५२ को स्थानीय अधिकारियों द्वारा बिना उचित पूर्वसूचना दिये रेल कर्मचारियों पर गोली चलाने से है जिस के परिणामस्वरूप दो व्यक्ति मारे गये तथा कई अन्य आहत हुए।

यह तो स्पष्ट है कि मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। यदि कुछ नये सदस्य न आये होते तो मैं ने इस की ओर ध्यान भी न दिया होता। मैं इस का सदन में केवल इस लिये उल्लेख कर रहा हूं ताकि वह किसी स्थगन प्रस्ताव के लिये जो बातें आवश्यक होती हैं उन्हें समझ सकें।

प्रथम बात तो यह है — मैं फिर यह कहता हूं कि चाहे घटना कैसी भी हो, कितनी भी खेदजनक हो — इस प्रस्ताव में अत्यावश्यकता का तो कोई आधार नहीं है। स्पष्ट है कि यह घटना २५ अप्रैल को घटी थी और साधारणतया यह प्रथा है तथा नियम भी है कि इस प्रस्ताव की पूर्वसूचना सत्र के आरम्भ होने के प्रथम दिन ही दी जानी चाहिये थी। सूचना देने में चौबीस घंटे के विलम्ब को पिछले निर्णयों के अनुसार यह समझा गया है कि इस की अनुमति नहीं दी जा सकती और निर्णयों की एक प्रकरणसंगत लड़ी से यह निश्चय किया गया था कि अत्यावश्यकता समाप्त हो गई है। पहला आधार तो यह है।

इस के बाद दूसरा आधार यह है, और यह इस प्रस्ताव का सारांश ही है, कि यह गोलीवर्षा स्थानीय ज़िला अधिकारियों या राज्य अधिकारियों द्वारा की गई थी जिन पर कि विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने का उत्तरदायित्व था। इस विषय में भारत सरकार के उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न ही नहीं है। यह तो उत्तर प्रदेश की सरकार का उत्तरदायित्व है, अतः यदि इस विषय में किसी स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दी भी जा सकती है तो उस पर उत्तर प्रदेश की विधान सभा में चर्चा की जा सकती है, इस सदन में नहीं।

इस के अतिरिक्त इस पर और भी आपत्तियां हैं, मैं उन का आपत्तियों के रूप में

[अध्यक्ष महोदय]

उल्लेख नहीं कर रहा हूं मैं केवल तथ्य बतला रहा हूं। इस गोलीवर्षा के विषय में श्री ए० के० गोपालन ने इसी सदन में एक प्रश्न की पूर्वसूचना दी थी और इस का इसी मास की बीस तारीख को उत्तर भी दे दिया गया था। मैं ने इस प्रश्न की इसलिये अनुमति दे दी थी क्योंकि इस में उत्तरदायित्व का कोई प्रश्न नहीं उठाया गया था। इस में कुछ जानकारी मांगी गई थी और मैंने सोचा था कि भारत सरकार के पास आवश्यक सूचना होगी, क्योंकि इस घटना से कुछ रेल कर्मचारियों का सम्बन्ध था। किसी सूचना का मांगना और बात है तथा उस प्रश्न को चर्चा का विषय बनाना एक बिल्कुल ही भिन्न बात है। जब तक सरकार का कुछ उत्तरदायित्व न हो तब तक उस प्रश्न पर कोई वाद विवाद नहीं हो सकता।

इस प्रश्न का समयानुसार उत्तर दे दिया गया था। उसके पश्चात् श्री गोपालन ने आगे एक और संवाद भेजा है कि वह हमारे प्रक्रिया नियमों के अधीन आधे घंटे की चर्चा करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं और मैं उन की सूचना को केवल वहीं तक स्वीकार करने जा रहा हूं जहां तक कि अग्रेतर जानकारी प्राप्त करने का प्रश्न है, इस से अधिक नहीं। किन्तु यह तो एक भिन्न बात हुई। सदन को इस घटना के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने का तो अवसर मिलेगा, किन्तु उत्तरदायित्व की चर्चा करने का कोई प्रश्न नहीं होगा।

इस अवस्था में, मैं यह भी बतला दूं — कदाचित् नये माननीय सदस्य इस बात को न जानते हों — कि जब तक किसी माननीय सदस्य को उन के प्रस्ताव अथवा प्रश्न की पूर्वसूचना के स्वीकार किये जाने की सूचना न मिले तब तक उन को प्रकाशित करना सदन का अवमान तथा विशेषाधिकार का उल्लंघन करना समझा जाता है। यदि मैं ग़लती नहीं करता, तो मेरे विचार से कल ही समाचारपत्रों में श्री गोपालन की चर्चा उठाने के सम्बन्ध में की गई प्रार्थना का उल्लेख था। मैं इस महत्वपूर्ण पहलू की ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित करने के अतिरिक्त इस विषय में और कोई कार्यवाही नहीं करूंगा। जब तक किसी पूर्वसूचना को स्वीकार न कर लिया जाये, तब तक इस बात को समाचारपत्रों में प्रकाशित करना कि अमुक् व्यक्ति यह प्रश्न पूछेगा अथवा अमुक् व्यक्ति यह मामला या वह मामला रखेंगे अथवा अमुक् प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे अनुचित है। यह सर्वथा गलत है। यह संभव हो सकता है कि जिन प्रश्नों की पूर्व सूचना दी गई हो — जैसा कि बहुत बार होता है — सभापति द्वारा उन को प्रस्तुत किये जाने की आज्ञा न दी जाये और इस सदन के उत्तरदायी सदस्यों के लिये एक ऐसी चीज़ को प्रकाशित करवाना, जो सदन के समक्ष प्रस्तुत नहीं होगी, ग़लत है।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा — रक्षित – अनुसूचित जातियां): कदाचित् यह बात संसद् सचिवालय से ज्ञात हो गई हो।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों को यह बात समझ लेनी चाहिये कि संसद् सचिवालय पर आक्षेप करने से कोई लाभ नहीं है। जहां तक संसद् सचिवालय का सम्बन्ध है, मैं दृढ़तापूर्वक यह कह सकता हूं कि इस में प्रत्येक चीज़ को गुप्त रखा जाता है। इस प्रकार की आड़ लेने से कोई लाभ नहीं है। माननीय सदस्य के हस्तक्षेप करने तथा पृष्ठपोषण करने से मुझे यह विश्वास हो गया है कि इस का स्रोत उन्हीं

की ओर से कोई था। जब तक यह बात उन पर लागू न हो, उन्हें इसे अपने ऊपर नहीं लेना चाहिये था। मैं ने तो किसी व्यक्ति को इस के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया था। बहुत संभव है कि यह सूचना उसी स्रोत से ज्ञात हुई हो जिसने कि इसकी पूर्व सूचना दी थी। मैं ने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने ऐसा जानबूझ कर किया था। मैं ने यह मान लिया था कि ऐसा उन की संसदीय प्रक्रिया से अनभिज्ञता होने के कारण ही हुआ होगा और मैं इसी के अनुसार चल भी रहा था। यह वस्तुतः पृष्ठपोषण का एक बुरा तरीक़ा है और उन के सहयोगी संभवतः इस बात को अनुभव करेंगे कि इस प्रकार के मित्र से जो संसद् सचिवालय पर उत्तरदायित्व डाल कर उन्हें बचाना चाहता हों, उन्हें भगवान् बचाये।

अतः मैं इस प्रस्ताव के लिये अपनी अनुमति देना तो दूर इस पर विचार करने में भी असमर्थ हूं।

सदस्यों को कार्यसूचियों का दिया जाना

अध्यक्ष महोदय : वर्तमान प्रथा के अनुसार निम्नलिखित पत्रों की प्रतियां सदस्यों को उन के निवासस्थान पर दी जाती हैं और उन से इस प्रकार के पत्रों की प्रतियों को सुरक्षित रखने तथा बाद में सदन में जब उन विषयों को लिया जाये तो सदन में उन को काम में लाने की प्रार्थना की जाती है :

(१) विधेयक – पुरःस्थापित रूप में ;

(२) विधेयकों पर प्रवर समितियों के प्रतिवेदन, प्रस्तुत होने के पश्चात्;

(३) विधेयकों, संकल्पों तथा प्रस्तावों में संशोधनों की सूचियां जिन में अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्तावों की सूचियां भी सम्मिलित हैं।

अन्य पत्र भी हैं जिनका उल्लेख कुछ दिन पूर्व संसदीय विवरणिका में दिया गया था।

सदन में सदस्यों को प्रतिदिन जो पत्रों के सेट दिये जाते हैं उन में इन पत्रों की प्रतियां सम्मिलित नहीं की जाती हैं, किन्तु उन सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये, जो अपनी प्रतियों को भूल आते हैं, इन की कुछ प्रतियां लाबी कार्यालय तथा संसदीय सूचनालय में उपलब्ध हो सकती हैं। यह प्रणाली अब तक बड़ी अच्छी तरह चली है और आर्थिक दृष्टि से उपयोगी भी रही है। माननीय सदस्यों ने इस बात को देखा होगा कि कतिपय पत्र-प्रश्नों की सूचियां, कार्यसूची तथा कुछ अन्य पत्र सदैव सदस्यों के आसनों पर रखे रहते हैं। यह अभिप्राय था कि पहिले परीक्षण के परिणाम को देखा जाये और तब बचत के लिये अन्य प्रपत्रों के सम्बन्ध में भी इसी प्रणाली को अपनाया जाये। हम काग़ज़ों तथा छपाई पर निरन्तर व्यय करके धन का अपव्यय नहीं करते जा सकते।

मेरा विचार है कि कार्यक्रम की सूची की प्रतियों तथा प्रश्नों की सूची की प्रतियों के सम्बन्ध में भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाय जो विधेयकों तथा संशोधनों व कटौती प्रस्तावों की सूचियों के सम्बन्ध में व्यवहार में लाई जाती हैं। आगे से कार्यक्रम की सूची तथा प्रश्नों की सूची सदस्यों में पहिले से बांट दी जाया करेगी कन्तु भविष्य में पुनः उन के स्थानों पर नहीं रखी जायेगी। सदस्यों से प्रार्थना है कि वह

[अध्यक्ष महोदय]

कार्यसूची तथा प्रश्न सूचियों की प्रतियों को सम्भाल कर रखें और प्रतिदिन सदन में उन्हें उपयोग के लिये लायें । कार्य सूचियों तथा प्रश्न सूचियों की कुछ प्रतियां लाबी कार्यालय में भी रख दी जायेंगी और यदि कोई सदस्य अपने पत्र लाना भूल जायेंगे तो उन्हें मांगने पर एक प्रति दे दी जायेगी । अन्त में मैं यह आशा प्रकट करता हूं कि माननीय सदस्य अपने पत्रों को लाना नहीं भूलेंगे ।

सन १९५२-५३ के रेलवे आय-व्ययक की प्रस्तुति

(रेल तथा यातायात मंत्री (श्री एल० बी० शास्त्री) : मुझे वर्ष १९५२-५३ के रेलवे के आयव्ययक प्राक्कलनों को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । मुझे आयव्ययक को प्रस्तुत करने के लिये अपनी तैयारी के हेतु बहुत कम समय मिला है । किन्तु मेरा सौभाग्य है कि मेरे पूर्वाधिकारी श्री गोपालस्वामी आय्यंगार ने इस वर्ष के प्राक्कलनों को फ़रवरी मास में संसद् में प्रस्तुत करने से पूर्व भली प्रकार जांच लिया था । मुझे पूरा निश्चय है कि इन व्यापक वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधारों को करने में जिन का प्रभाव धीरे धीरे भारतीय रेलों के संचालन तथा प्रबन्ध में चहुं ओर दिखाई दे रहा है, उन्होंने जिस उच्च कोटि की सामान्यबुद्धि, दूरदर्शिता तथा सूझ बूझ का परिचय दिया है उस के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने में सदन मुझे से सहमत होगा ।

मेरे पूर्वाधिकारी ने इस वर्ष फ़रवरी में ही चालू वर्ष के आयव्ययक के प्राक्कलनों में अनुमानित रेलों के वित्तीय प्रशासन की मुख्य मुख्य बातों को बतला दिया था । उन्होंने रेल संचालन के अन्य बड़े बड़े पहलुओं का भी दिग्दर्शन कराया था । उस समय जो श्वेतपत्र प्रस्तुत किया गया था उस में भारत में रेल यातायात के विकास, रेलों को जिन भिन्न भिन्न समस्यायों का सामना करना पड़ता है तथा नये भारत की अर्थ व्यवस्था में भारतीय रेलों को अपना भाग पूरा करने के लिये उन समस्याओं को सुलझाने के निमित्त जो योजनायें आरम्भ की गई हैं उन की समीक्षा दी हुई है । सदस्यों में जो आयव्ययक के प्रपत्र परिचालित किये गये हैं उन में रेलवे के संचालन तथा प्रशासन सम्बन्धी सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन है और विशेष रूप से वित्त आयुक्त के व्याख्यात्मक ज्ञापन में, जो कि अब पुनरीक्षित हो चुका है, सारी स्थिति संक्षेप में दी हुई है । अतः मैं केवल फ़रवरी में अनुमानों को प्रस्तुत करने के बाद हुई दो या तीन बड़ी बड़ी बातों के सम्बन्ध में ही कुछ कहूंगा ।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है कि गत १४ अप्रैल को प्रधान मंत्री द्वारा दिल्ली में उत्तरी, उत्तर पूर्वी तथा पूर्वी रेलवे के उद्घाटन के साथ भारतीय रेलों के एकीकरण तथा छै प्रशासनिक महाखण्डों के बनाये जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई थी । भारत में विभिन्न रेल व्यवस्थाओं को मिला कर एक संगठित रेल व्यवस्था स्थापित करने का जो कि प्रशासनिक तथा संचालनीय कार्यकुशलता को तथा अन्त में मितव्ययता को मूल आधार मान कर बनाई गई थी, साधारणतया सारे देश में समर्थन किया गया था और दक्षिणी, पश्चिमी तथा केन्द्रीय महाखण्डों के निर्माण का तो राज्य सरकारों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों, श्रमिकों तथा जनता सभी ने स्वागत किया था । किन्तु यह खेद की बात है कि इस महान् प्रशासनिक सुधार की अन्तिम अवस्था में, अर्थात् अन्तिम तीन महाखण्डों के निर्माण के अवसर

पर एक कटु विवाद खड़ा कर दिया जाये जिस से कभी कभी कुछ लोगों को बुरा भी लगे। स्वाभाविक रूप से भारत के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों में रेलों का एकीकरण करते समय रेल मंत्रालय ने सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा इन राज्यों के व्यापारिक तथा औद्योगिक हितों के मध्य, सदा ही प्रशासनिक तथा संचालनीय कार्यकुशलता की सर्वोपरि आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, अधिक से अधिक एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया है। जब जनवरी, १९५२ में रेल मंत्रालय ने अपनी प्रयोगात्मक योजना परिचालित की थी तो विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी अपनी आवश्यकताओं तथा अपने राज्य के व्यापारिक तथा व्यावसायिक हितों की आवश्यकताओं के अनुसार बहुत से सुझाव भेजे थे। यह सुझाव इतने विवादास्पद थे कि इन में पूर्णतया समझौते की गुंजाइश नहीं थी। सरकार एक ऐसी योजना बनाना चाहती थी जिस में इन सुझावों को उचित स्थान भी मिल जाये और न केवल संचालनीय कार्यकुशलता ही बनी रहे अपितु और अधिक उन्नत हो जाये तथा इस में निकटवर्ती प्रदेशों का आर्थिक मेलमिलाप तथा यातायात के स्वाभाविक प्रवाह के पुनर्वर्गीकरण का मूल सिद्धांत भी सुरक्षित रहे। कोई भी योजना जिस में देश तथा जाति की आवश्यकताओं को सर्वोपरि स्थान दिया जायेगा निश्चय ही कुछ ऐसी विशुद्ध रूप से स्थानीय अथवा प्रादेशिक वरीयताओं अथवा विचारधाराओं के विरूद्ध होगी तथा किन्हीं अन्य व्यक्तियों के हितों के अनुकूल होगी। मुझे विश्वास है कि यह कहते हुए मैं सारे सदन की भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं —— कि आज इस नन्हे से गणतंत्र के लोग सारे राष्ट्र की एकता, संगठन तथा समृद्धि के लिये संकुचित, ग्राम्य तथा प्रान्तीय मनोवृत्ति तथा पक्षपात का बलिदान करने में समर्थ हैं। अतः मुझे इस सुझाव का कि हम ने कार्यकुशलता, मितव्ययता और एकीकरण के सिद्धांतों का राजनैतिक तथा प्रान्तीय हितों के लिये बलिदान कर दिया है, खेद है और मैं इस की निन्दा करता हूं। इस निर्णय की न्यायसंगतता का पहिले ही काफ़ी प्रमाण मिल चुका है।

अब जो उत्तर पूर्वी रेलवे अवध तिरहुत रेलवे तथा आसाम रेलवे को मिला कर बनाई गई है उस में तो केवल छोटी लाइन ही है, अतः इसके मुख्य कार्यालय को छोटी लाइन के किसी स्टेशन के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर रखने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि इस स्थिति को एक बार स्वीकार कर लिया जाये और जैसा कि होना भी चाहिये तो मतभेद का केवल एक बड़ा प्रश्न रह जाता है और वह इलाहाबाद डिवीज़न को उत्तरी महाखण्ड में सम्मिलित करने का प्रश्न है।

इलाहाबाद डिवीज़न को पूर्वी महाखण्ड में रखने के सम्बन्ध में, समाचार पत्रों में तथा रेलवे पर्षद् को गत कुछ सप्ताहों में जो बहुत से ज्ञापन मिले हैं, और जिन्हें वैजवुड तथा कुंजरू समितियों की सम्मति पर आधारित बतलाया जाता है, उन में बहुत कुछ कहा गया है। इलाहाबाद डिवीज़न को उत्तरी रेलवे में मिलाने का निर्णय करते समय सरकार ने स्वाभाविकतया इन सब सम्मतियों पर आजकल की अवस्था के अनुसार उचित ध्यान के साथ विचार किया था। कुछ लोगों ने इलाहाबाद तथा लखनऊ और संभवतः मुरादाबाद डिवीज़न को भी पूर्वी रेलवे में रखने के लिये मुख्यतया यह युक्ति दी थी कि उस से कोयला क्षेत्र को पर्याप्त माल के ख़ाली डब्बे मिल सकेंगे। उन्होंने यह कहा था कि इन दो या तीन डिवीज़नों को पूर्वी महाखण्ड

[श्री ऐल० बी० शास्त्री]

में मिलाने से इस उद्देश्य की प्राप्ति में पर्याप्त सुविधा होगी तथा कार्यसंचालन में सुचारुता आ जायेगी। किन्तु इस विचार धारा का प्रतिपादन करने वाले व्यक्तियों ने स्वयं यह स्वीकार कर लिया है कि इन तीन डिवीज़नों से मिला कर भी ४०० से अधिक डब्बे नहीं मिल सकते जब कि मुग़लसराय पर प्रतिदिन १,००० डब्बों की आवश्यकता होती है और वह भी उस समय जब इन सभी डिवीज़नों में अन्य सभी वस्तुओं का लदान बन्द कर दिया जाये। सभी उद्योगों के लिये कोयला एक मुख्य कच्चा पदार्थ है और सारे भारत में इस की खपत के केन्द्रों को इस का निरन्तर प्रवाह बनाये रखना देश की अर्थ-व्यवस्था के लिये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस में ज़रा सी गड़बड़ होने से स्वाभाविकतया सारे भारत में भारी हलचल मच जाती है। अतः ईस्ट इंडियन रेलवे कोयले के भेजने को बहुत महत्व देती थी और अपने प्रादेशिक क्षेत्राधिकार से परे इस के भेजे जाने पर कोई अधिकार न होने के कारण वह कोयला क्षेत्रों में आवश्यक संख्या में डब्बे पहुंचाने के लिये निकटवर्ती डिवीज़नों में लदान पर रोक लगा देती थी ताकि इस की प्रशासनिक तथा संचालनीय कार्यकुशलता की कोई आलोचना न की जाये। यह बात विचारणीय है कि क्या एकीकृत भारतीय रेलें इसी प्रकार का सीमित दृष्टिकोण अपनायेंगी अथवा इस हलचल में ग्रस्त अन्य महाखण्डों की भूलों के लिये केवल इन्हीं डिवीज़नों को दण्डित करके इस स्थिति को स्थायी बना देगी। मैं अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कोयले के महत्व को कम नहीं करता हूं, किन्तु मैं यह समझता हूं कि यह अखिल भारतीय आधार पर यातायात को संगठित करने तथा इस मामले से सम्बन्धित सभी महाखण्डों द्वारा इस विषय में अपने उत्तरदायित्व को समझने से ही हो सकता है। इस हाल के एकीकरण के परिणामस्वरूप यह जो न्यायसंगत विचार प्रतिपादित हुआ है उसी के आधार पर अधिक अच्छा तथा प्रभावशाली संगठन करने के लिये पूरे प्रबन्ध कर लिये गये हैं। अब मुग़लसराय में रेलवे पर्षद् का एक उप-संचालक रहेगा। और वह मुग़लसराय के रास्ते ख़ाली डब्बों को पर्याप्त संख्या में कोयला क्षेत्रों को लगातार पहुंचाते रहने के लिये सभी महाखण्डों के प्रशासनों तथा रेलवे पर्षद् के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेगा। किन्तु यह लक्ष्य किसी विशेष डिवीजन या भारतीय रेलों के किसी भाग को दण्डित करके नहीं अपितु सम्पूर्ण रेल व्यवस्था के यातायात में यथासम्भव विनियमन तथा समन्वय स्थापित करके प्राप्त किया जायेगा। श्रीमान्, मेरा यह निवेदन है कि यह एकीकरण से पूर्व की व्यवस्था में निस्सन्देह एक सुधार हो।।।

सियालदह डिवीज़न के सम्बन्ध में भी कुछ विवाद रहा है। रेल मंत्रालय ने जो प्रयोगात्मक योजना प्रस्तुत की थी उस में यह इरादा था कि इस डिवीज़न को उत्तरी छोटी लाइन के भाग के साथ मिला दिया जाये ताकि इसे कलकत्ता के पत्तन तक पहुंचने के लिये एक रास्ता मिल जाये। यद्यपि एक छोटे से बड़ी लाइन के भाग को पूर्णतया छोटी लाइन की व्यवस्था से मिला देना संचालन की दृष्टि से कोई अच्छी योजना नहीं थी किन्तु उस समय यह अनुभव किया गया था कि इस व्यवस्था से कलकत्ता के पत्तन से यातायात में सुविधा होगी। बंगाल के व्यापारिक क्षेत्रों ने इस व्यवस्था का विरोध किया और बंगाल सरकार ने भी उन के दृष्टिकोण का समर्थन किया। उन की यह सम्मति थी कि बंगाल में बड़ी लाइन की एकता को बनाये रखने के लिये

इस डिवीज़न को पूर्वी रेलवे में ही रहने दिया जाना चाहिये। इन सब अभ्यावेदनों पर ध्यान से विचार करने के पश्चात् सरकार इस परिणाम पर पहुंची कि बंगाल की बात मान लेनी चाहिये। प्रयोगात्मक योजना की पुनः परीक्षा तथा पुनरीक्षा करने पर यह अनुभव किया गया था कि कलकत्ता पत्तन से यातायात के प्रवाह को निरन्तर बनाये रखने के लिये मूल योजना में नदियों घाटों में जितने समन्वय की व्यवस्था की गई थी उससे कहीं अधिक विस्तृत तथा अधिकर्य प्रभावशाली समन्वय की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। क्योंकि व्यवहारिक रूप से किसी भी योजना में इन सब बातों को एक ही रेल महाखण्ड के नियंत्रण में नहीं लाया जा सकता था अतः केवल एक ही प्रभावपूर्ण प्रबन्ध किया जा सकता था और वह कलकत्ता में एक ऐसी व्यवस्था का गठन था जो समय समय पर आवागमन के लिये यातायात सामर्थ को ध्यान में रखते हुए इन वैकल्पिक स्थानों में यातायात को विनियमित करने की शक्ति रखता हो। रेलवे पर्षद् के संचालक की स्थिति का एक पदाधिकारी जिस का पद "संचालक, रेल आवागमन" है, वह पहिले ही नियुक्त कर दिया गया है और उस ने इस क्षेत्र में यातायात को विनियमित करने का सर्वोपरि अधिकार ले लिया है।

कर्मचारियों की मिथ्या आशंकाओं को दूर करने के लिये मैं उस आश्वासन को पुनः दुहराता हूं जो प्रधान मंत्री ने तथा मेरे पूर्वाधिकारी ने दिया था कि इन तीन महाखण्डों के बनने के कारण कोई छंटनी नहीं होगी तथा न ही किसी सूचनापत्र में घोषित पदाधिकारी को बिना उस की सहमति के स्थानान्तरित किया जायेगा। मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रेल मंत्रालय श्रेणी ३ तथा श्रेणी ४ के कर्मचारियों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों व भविष्य में उन्नति के उचित क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का सदा प्रयत्न करता रहेगा। अतः इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये संगठन सम्बन्धी प्रबन्धों में, जिन में कार्यालयों का स्थान निश्चित करना भी सम्मिलित है, समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

क्या मैं इस सदन में तथा बाहर के अपने मित्रों से यह प्रार्थना कर सकत हूं कि वह इस प्रशासनिक पुनर्संगठन की समस्या पर वस्तुस्थिति के विश्लेषण की दृष्टि से तथा सहानुभूतिपूर्वक विचार करें? मुझे विश्वास है कि इस बात पर हम सब सहमत होंगे कि जो कार्यवाही की गई है उस में देश की अधिकांश जनता के हितों को ध्यान में रखा गया है।

तीन नये रेल महाखण्डों के बनाये जाने के परिणामस्वरूप आयव्ययक में कुछ परिवर्तन करने पड़े और गत फ़रवरी के प्राक्कलनों में जो इकाइयां दी गई थीं उन के स्थान पर अनुदानों के उपशीर्षों के रूप में इन नई रेलों को दिखाया गया है। भारतीय रेलों के एक संयुक्त उपक्रम के रूप में एकीकरण की प्रक्रिया के पूरा होने के साथ साथ रेलों के वित्तीय तथा लेखा सम्बन्धी ढांचे में भी कुछ परिवर्तन करना आवश्यक समझा गया। अब तक प्रत्येक रेल व्यवस्था का आय तथा व्यय का व्यौरा बड़े विस्तार से तैयार किया जाता था और उस में बहुत सा व्यय ऐसा होता था जिसे बचाया जा सकता था। इस व्यवस्था का मुख्य कारण ऐतिहासिक था, क्योंकि प्रत्येक रेल-व्यवस्था मूल में एक समवाय के रूप में निगमित हुई थी, अतः उस की स्वतंत्र प्रशासनिक तथा वित्तीय सत्ता थी। एकीकरण के पूरा होने के साथ भारतीय रेल व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हो गया है क्योंकि अब तो भारत में एक ही रेलवे उपक्रम है, हाल में बनाये गये छै महाखण्ड तो केवल प्रशासनिक इकाइयां

[श्री ऐल० बी० शास्त्री]

हैं। इस नई विचार धारा का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि भारतीय रेलों का लेखा विभिन्न इकाइयों का अलग अलग नहीं, अपितु सम्पूर्ण व्यवस्था का एक साथ तैयार किया जाना चाहिये, अन्यथा यह अस्वाभाविक होगा। अतः वित्तीय लेखों से अनावश्यक अन्तर्विभागीय तथा अन्तर-रेलवे समायोजनों को, जैसे भाण्डारों के, जिस में कि ईंधन भी सम्मिलित है, रेल से ले जाने के भाड़े आदि के उन समायोजनों को निकाल देने का निश्चय किया गया है जिन से आय तथा व्यय के आंकड़े बहुत बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार इस समय एक रेलवे के कारखाने में दूसरी रेलवे के चल-स्कन्ध के निर्माण, मरम्मत तथा सफाई के लिये दोनों रेलों के मध्य जो लेखे का समायोजन होता है उसे चालू वित्तीय वर्ष से बन्द कर देने का विचार है। इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप रेलों की यातायात से सकल प्राप्ति में जो कि फरवरी १९५२ में प्रस्तुत किये गये प्राक्कलनों में २९८·४७ करोड़ रुपये दिखाई गई थी, १६·३१ करोड़ रुपये की कमी हो जायगी और इस के साथ ही व्यय में भी इतनी ही कमी हो जायेगी।

गत फरवरी में आयव्ययक को प्रस्तुत करने तथा लेखानुदान के पारित होने के पश्चात् से अब तक उपलब्ध सांख्यिकीय आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए वित्तीय स्थिति का अग्रेतर पुनरीक्षण भी कर लिया गया है। इस के फल-स्वरूप कतिपय अतिरिक्त कार्यों को जिन से रेलों के कुछ भागों में यातायात की कठिनाई दूर हो जायेगी, कुल आंवटित निधियों के अन्तर्गत ही स्थान देना सम्भव हो सका है। आरम्भ में श्रम कल्याण के लिये जो उपबन्ध किया गया था उसमें विशेषतया गृह-व्यवस्था के सम्बन्ध में उसे काफ़ी हद तक वृद्धि करना संभव हो सका है। रेल विभाग ने चित्तरंजन में श्रमिकों के लिये गृह व्यवस्था का अपने समक्ष एक प्रमाप निश्चित कर लिया है जिस की कि भारत में सर्वत्र आदर्श गृह व्यवस्था के रूप में सराहना की गई है। इस देश में श्रमिकों के सब से बड़े नियोजक के रूप में रेल मंत्रालय का निरन्तर यही प्रयत्न रहा है कि हमारे सर्वहितकारी राज्य में श्रमिकों के लिये काम की अवस्था उन के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन की स्थिति के अनुरूप बनाई जाये। इस में सन्देह नहीं कि सदन इस बात को समझता है कि सारे रेल उपक्रम में इस नई नीति को पूरा करना एक विशाल कार्य है और इसे क्रमशः कई वर्षों के समय में करना होगा। हमने न केवल नये घर बनाने की बड़ी व्यापक योजनाऐं बनाई हैं, अपितु वर्तमान घरों को आधुनिक स्तर पर लाने के लिये उन के आकार प्रकार को बदलने तथा पुनर्नवीकरण का काम भी आरम्भ कर दिया है। इस विषय में जैसा कि और भी बहुत सी चीज़ों में हुआ है, हमें ऐसी प्रथाऐं तथा स्तर उत्तराधिकार में मिले थे जिन्हें इस समय हमारे सब से बड़े राष्ट्रीयकृत उपक्रम के लिये उपयुक्त नहीं समझा जा सकता है। पुराने कम्पनी दिनों में यात्रियों की सुविधाओं की, विशेषतया निचली श्रेणियों में उपेक्षा की जाती थी और श्रमिकों की गृह-व्यवस्था की ओर बहुत थोड़ा ध्यान दिया जाता था और इसे प्रायः निष्फल व्यय समझा जाता था। इस प्रकार हमें उत्तराधिकार में मिली हुई कुछ एक बस्तियां, यदि मैं प्रधान मंत्री के ही शब्दों में कहूं देश के लिये अपमान-जनक हैं। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि रेलवे बोर्ड इस विषय में अपने उत्तरदायित्व के प्रति बहुत अधिक सजग है। अपने सामग्री सम्बन्धी, जनशक्ति सम्बन्धी तथा वित्त सम्बन्धी सीमित साधनों के अनुसार रेलवे की गृह-व्यवस्था के सारे क्षेत्र को चित्त-रंजन के स्तर पर लाने के लिये योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं। इस का ठोस प्रमाण

प्राक्कलनों के अन्तर्गत गृह-व्यवस्था तथा श्रम कल्याण के लिये किये गये बड़े उपबन्ध से स्पष्ट प्रकट होता है ।

सदन को विदित है कि रेल संचालन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का अधिकतम अधिकारयुक्त समितियां पुनरीक्षण कर रही हैं । भारतीय रेलवे भाण्डार समिति तो पहिले ही अपना प्रतिवेदन दे चुकी है और ईंधन समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्राप्त होने की आशा है । भाण्डार समिति की मुख्य सिफारिश विशिष्ट रेलवे भाण्डारों के समाहार का उत्तरदायित्व रेल मंत्रालय को दे देने के सम्बन्ध में थी । परन्तु इस सिफारिश को क्रियान्वित करने से पूर्व इस पर निर्माण, उत्पादन तथा रसद मंत्रालय की स्वीकृति लेना आवश्यक हो गया और वर्तमान समाहार व्यवस्था में भी कुछ हेर फेर करने पड़े । अन्तर्विभागीय चर्चाओं के परिणामस्वरूप अब सम्बद्ध मंत्रालय विशिष्ट रेलवे भाण्डरों के समाहार कार्य को रेलवे बोर्ड को दे देने के लिये सहमत हो गये हैं । आशा है कि इस के फलस्वरूप रेलवे कारखानों में मरम्मत की सुविधाओं में काफी सुधार होगा और कारखानों की उत्पादन शक्ति भी बढ़ जायेगी । पुर्जों तथा अलग २ भागों के पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण उत्पादन योजना में बाधा पड़ रही थी जो रुकावट अब शीघ्र ही दूर कर दी जायेगी । इस बात के लिये भी सहमति प्रकट कर दी गई है कि विशिष्ट उपकरण के निरीक्षण का काम प्रविधिक रेलवे पदाधिकारी संभाल लें, क्योंकि वह न केवल किये हुए कार्य के उचित स्तर को देख कर स्वीकार करने के लिये ही अधिक योग्य हैं, अपितु देश में उत्पादन की सुविधा के लिये नमूनों में सुधार कर सकते हैं अथवा परिवर्तन भी करवा सकते हैं । ईंधन जांच समिति का अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उस से यह संकेत मिलता है कि उस की अन्तिम सिफारिशों के फलस्वरूप भारतीय रेलों में ईंधन की खपत में काफी बचत हो जायेगी और इस से संचालन व्यय में भी पर्याप्त बचत होगी ।

जैसी कि पहिले ही घोषणा की जा चुकी है, भारतीय रेलें सन् १९५३ में अपनी शताब्दि मनायेंगी । उस उत्सव के सम्बन्ध में दिल्ली में एक रेलवे प्रदर्शनी करने का आयोजन किया जा रहा है, जो कि न केवल इस देश में रेल यातायात के ऐतिहासिक विकास का द्योतक होगी, अपितु आजकल प्रयोग में आने वाली रेलवे सम्बन्धी मुख्य मुख्य चीजें भी उसमें प्रदर्शित की जायेंगी और इस प्रकार भारतीय उद्योगों को इस समय की अपेक्षा अधिक बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य आरम्भ करने की संभाव्यता पर विचार करने का अवसर मिलेगा । आयव्ययक अनुमानों में नई दिल्ली में एक उपयुक्त यात्री स्टेशन के निर्माण की व्यवस्था की गई है । उस में यात्रियों को सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी तथा निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिये विश्रामगृहों का भी प्रबन्ध होगा ।

क्या सदन को मुझे यह आश्वासन देने की आवश्यकता है कि मैं संचालन कार्य कुशलता में क्रमशः हुई प्रगति को बनाये रखने का, श्रम तथा प्रशासन के मध्य अधिक अच्छे तथा निकट सम्बन्धों व मित्र भाव को बढ़ाने का और यात्रियों तथा श्रमिकों को मिली हुई सुविधाओं के उच्च स्तर में उन्नति करने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा । मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इस सदन तथा बाहर की जनता से पूरा समर्थन तथा प्रोत्साहन और सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों का स्वेच्छापूर्ण सहयोग व सेवा प्राप्त होगी और मैं इस वृहत्तम राष्ट्रीयकृत उपक्रम के अभिरक्षक के रूप में अपने भारी उत्तरदायित्व को निभा सकूंगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार —समाप्त

अध्यक्ष महोदय : अब हम धन्यवाद प्रस्ताव तथा संशोधनों पर अग्रेतर विचार करेंगे ।

[अध्यक्ष महोदय]

मैं समझता हूं कि हमारे पास अग्रेतर चर्चा करने के लिये लगभग डेढ़ या दो घंटे का समय है।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): श्रीमान् जी, इस अभिभाषण में इस देश की जनता की जीवन दशा की सर्वथा उपेक्षा की गई है और मुझे अपने माननीय मित्र डा० काटजू को ऐसे कार्यों का जिन का किसी भी सभ्य व्यक्ति द्वारा समर्थन नहीं किया जा सकता पक्षपोषण करते देख कर और भी आश्चर्य हुआ।

सदन में इस ओर बैठने वाले मुख्यत: हमी लोगों को वाद विवाद का लक्ष्य बनाया गया है। हमारी देशभक्ति में सन्देह प्रकट किया गया है। किन्तु मैं पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ यह कहना चाहता हूं कि क्योंकि हम देशभक्त हैं अतएव हम साम्यवादी हैं और हमें देश के चप्पे चप्पे से प्यार है और सदन के उस ओर बैठने वालों से मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिस सुख-समृद्धि का आप राग अलापते हैं और जिसे आप स्वतंत्रता की कसौटी कहते हैं वह सुख-समृद्धि हमारे देश को पांच वर्ष के स्वतंत्र प्रशासन के पश्चात् कहां तक प्राप्त हुई है? माननीय वित्त मंत्री कहते हैं कि लोगों की अवस्था अब बहुत कुछ सुधर गई है क्योंकि वस्तुओं के दाम साधारणतया गिर गये हैं। वह कहते हैं: हमें यह घाटा होगा, हम इसे पूरा नहीं कर सकते; हमें अनाज का आयात करना होगा और "कुछ कष्ट भी सहने पड़ेंगे"। मुझे उनकी बातें सुन कर आश्चर्य होता है।

क्या सरकार इस बात से इन्कार करती है कि आजकल देश में अकाल नहीं है? वह देश के विभिन्न भागों से सूचनाएं न मिलने की बात कह सकते हैं। मैं उन्हें कलकत्ता का एक कांग्रेसी पत्र दिखाता हूं जिस में कलकत्ते की गलियों में पड़े भूखे लोगों के चित्र छपे हुए हैं। इसमें रायलासीमा जैसे सूखे देश से नहीं; अपितु सुन्दर बन जैसे हरे-भरे प्रदेश से लोगों के आने के समाचार छपे हैं। यह एक ऐसा प्रदेश है जहां यदि सरकार ने किसी एक आधारभूत भूमि सम्बन्धी नीति को अपनाया होता तो वहां घी और दूध की नदियां बहती होतीं।

मैं माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहूंगा: क्या उन्होंने कभी यह पता लगाने का प्रयत्न किया है कि आज हमारे देश में इतनी बंजर भूमि क्यों पड़ी है? क्या वह सदन को यह बतायेंगे कि योजना आयोग ने यह क्यों कहा है कि इतनी सारी भूमि बंजर पड़ी है? देश में १ करोड़ एकड़ भूमि बंजर पड़ी है। क्या इसका कारण यह ह कि हैदराबाद में कुछ बातें हुई हैं? हम चीन को सांस्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल तो भेज देते हैं, किन्तु हम इस बात का पता नहीं लगाते कि चीन दो वर्ष के अन्दर खाद्यान्न में आत्मनिर्भर कैसे हो गया है? यदि हम इस सारी बंजर भूमि में कृषि करने लगें और जमींदारी का उन्मूलन करके किसानों को भूमि का स्वामी बना दें तो मुझे पूरा निश्चय है कि खाद्य का उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जायेगा और हमारे सब कष्ट दूर हो जायेंगे।

रायलासीमा के सम्बन्ध में हमें यह बताया गया है कि यह एक शुष्क प्रदेश है। वहां गत चार या पांच वर्ष से सूखा पडा हुआ है। इन चार पांच वर्षों तक सरकार गहरी नींद सोती रही और उस ने वहां के लोगों के कष्टों को दूर करने के लिये कुछ भी नहीं किया। यदि वहां गत चार या पांच वर्ष से सूखा पड़ा हुआ है तो सरकार ने उस के प्रतिकार के लिये कोई कार्यवाही क्यों नहीं की।

योजना मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने इस बात से इन्कार करने का प्रयत्न किया है कि वह अमेरिकन पूंजी के चाकर हैं। योजना आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि हम पांच वर्ष में अर्थात् सन् १९५७-५८ तक

खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो जायेंगे--ईश्वर ही जानता है कि होंगे भी या नहीं। प्रतिवेदन में यह भी लिखा है कि सन् १९५७ तक हम पूरी मोटर कार तो नहीं, परन्तु इस के २५० पुर्जे अपने देश में बनाने लगेंगे। यह हमारी औद्योगिक प्रगति का एक नमूना है। रही अमेरिकन पूंजी की दासता की बात। मैं भारत-अमरीकी प्रविधिक सहकारिता क़रार के कतिपय खंडों का उल्लेख करता हूं जिस से हमारी स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। इस क़रार के अनुच्छेद १ की कंडिका ४ में यह लिखा हुआ है कि भारत-अमरीकी प्रविधिक करार निधि का प्रशासन प्रविधिक सहकारिता के एक अमरीकी संचालक तथा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के एक पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। संचालक, निस्सन्देह, संयुक्त राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त एक अमरीकी पदाधिकारी होगा जो श्री गुलज़ारी लाल नन्दा की नहीं, अपितु भारत स्थित अमरीकन राजदूत की निगरानी में कार्य करेगा और उसे सभी प्रकार के राजनयिक विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रकार का क़रार हम ने किया है। यदि यह अमरीकन पूंजी की दासता नहीं है, तो ईश्वर ही जाने दासता और क्या होती है। जैसा कि मेरे माननीय मित्र श्री गोपालन ने कहा कि हमें चारों ओर अमरीकन ही अमरीकन दिखाई देते हैं। वह न केवल बन्दूक के बल पर अपितु कीटाणु युद्ध के द्वारा भी लोगों पर छा जाना चाहते हैं। किन्तु हम तो इस विषय में कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं "हम एक वास्तविक, रचनात्मक निष्पक्ष नीति" का अनुसरण कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि प्रधान मंत्री की स्थिति अत्यधिक महत्वपूर्ण है और उन्हें इस का प्रयोग ट्यूनीशिया से ले कर हिन्देशिया और वीतनाम तक के लोगों के स्वतंत्रता संग्राम को प्रोत्साहित करने के लिये करना चाहिये। किन्तु हम तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की सहायता करने के लिये मलाया भेजने को उन के सैनिक भर्ती करने वाले चाकर बने हुए हैं। प्रधान मंत्री जी को चाहिये कि वह संसार के समस्त देशों को यह स्पष्ट बता दें कि वह स्वतंत्रता संग्राम में जूझे हुए संसार के सभी देशों का साथ देंगे तो मैं आप को वचन देता हूं कि हम सब इस स्वतंत्रता संग्राम में उन का पूरा पूरा साथ देंगे।

डा० काटजू ने साम्यवादियों द्वारा किये गये अत्याचारों के सम्बन्ध में एक लेख्य का प्रमाण दिया है। मैं नहीं जानता कि यह कहां तैयार हुआ था। हम भी इस के विरुद्ध एक लेख्य प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हों ने इस में से कुछ उद्धरण भी दिये हैं। अतः मैं अपनी ओर से भी हैदराबाद और विशेषतया तेलंगाना की स्थिति के सम्बन्ध में कुछ तथ्य बतला देना चाहता हूं। सदन में एक यह सुझाव दिया गया है कि हैदराबाद में साम्यवादियों के तथाकथित अत्याचारों की एक निष्पक्ष आयोग द्वारा जांच करवाई जाये। हम अपनी ओर से इस बात के लिये बिल्कुल तैयार हैं कि कोई सर्वथा निष्पक्ष संसदीय आयोग अथवा ऐसा ही कोई आयोग वहां जा कर तथ्यों का पता लगाये और इस विषय की अच्छाइयों और बुराइयों के सम्बन्ध में अपना निर्णय दे। अपने दल की ओर से मैं इस सुझाव को पुनः दोहराता हूं और प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह अपने भाषण में हमें इस विषय में कुछ बतायें।

हैदराबाद के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हमारे पास कोई मंत्र तो है नहीं जिस का उच्चारण करते ही किसान लोग हमारे सामने आ कर यह कहने लगें : हम तुम्हारे साथ हैं,

[श्री एच० एन० मुखर्जी]

हम मृत्यु पर्यन्त लड़ते रहेंगे। मैं डा० काटजू तथा प्रधान मंत्री को यह स्मरण करा देना चाहता हूं कि वास्तव में साम्यवादी तभी सफल हो सकते हैं जब वह लोगों की मांगों के पूर्णतया साथ हों। इसी कारण इतने अत्याचारों के होते हुए भी उन्हें कभी पराजित नहीं किया जा सकता। हैदराबाद में बिल्कुल यही हुआ है और वहां निज़ाम की मनमानी सामन्तशाही के विरुद्ध एक विशाल भूमि-सम्बन्धी आन्दोलन किये जाने के फलस्वरूप ही यह सब कुछ हुआ था। निज़ाम तथा रज़ाकारों के विरुद्ध इस भूमि सम्बन्धी अन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा और एक बहुत बड़े क्षेत्र पर किसानों का अधिकार हो गया, जिसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि निज़ाम के पिट्ठू देशमुखों को भी कुछ हद तक कष्ट उठाना पड़ा। हमारे प्रधान मन्त्री क्रान्तियों के इतिहासों के विशेषज्ञ हैं और वह जानते हैं कि ऐसी उथल-पुथल में कभी कभी कुछ ज़्यादतियां भी हो जाती हैं। वह यह कहेंगे कि हैदराबाद की इस प्रकार की भू-क्रान्ति को भारत सरकार की सेनाओं तथा सशस्त्र पुलिस ने बड़ी ही भयंकर रीति से और बहुत सा खून बहा कर कुचल दिया और वास्तव में हुआ भी यही था। हैदराबाद के सम्बन्ध में सरकार ने अपनी तथाकथित पुलिस कार्यवाही सितम्बर १९४८ में आरम्भ की थी। उस समय स्थिति यह थी कि २,००० से अधिक गांवों में किसानों ने अपना पंचायत राज स्थापित कर लिया था तथा अन्य १,००० गांवों में, जो कि निज़ाम के अधीन थे, शासन व्यवस्था पूर्णतया अस्त-व्यस्त हो गई थी। अन्त में इस पुलिस कार्यवाही में ४,००० किसान मारे गये और १०,००० बिना अभियोग चलाये बन्दी बना दिये गये। हैदराबाद में यातना कैम्प खोले गये जो कि अब भी मौजूद हैं। हैदराबाद के बन्दी-गृहों में १७० व्यक्ति अधिकांशतया यातना के कारण मर गये। डा० काटजू कहते हैं कि हमें न्यायालयों से निर्णय करवाना चाहिये। मैं हैदराबाद की बात बताता हूं। वहां बन्दी बनाने के छै मास बाद तो अभियोग चलाये गये और न्यायाधिकरणों की ओर से निदेश दिया गया कि एक दिन के अन्दर बचाव पक्ष को तैयार करके प्रस्तुत करो। ज़रा डा० काटजू उच्चतम न्यायालय में जा कर यह पता कर लें कि हैदराबाद के इन विशेष न्यायाधिकरणों ने कितनी भयंकर अनियमितितायें की थीं, किन्तु हमारे संविधान के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय कतिपय मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सका। इस प्रकार लगभग २०० व्यक्तियों को मृत्यु दण्ड दिया गया था। न केवल हैदराबाद में ही अपितु पश्चिमी बंगाल के काकद्वीप में भी लगभग १३५ व्यक्तियों को तीन वर्ष तक कारागार में रखा गया था। उनका मामला विशेष न्यायालय से आरम्भ हो कर उच्च-न्यायालय तक पहुंचा था और उस ने यह निर्णय दिया कि विशेष न्यायालयों का अध्यादेश संविधान के अर्न्तगत शक्ति परस्तात् था। इस निर्णय के बावजूद भी वह अभी कारागार में बिना अभियोग चलाये पड़े सड़ रहे हैं। जब हम न्यायालयों की शरण लेते हैं तो वहां भी हमारे सामने कठिनाइयां उपस्थित की जाती हैं। वकीलों को डराया धमकाया जाता है और इसलिये कोई उनकी पैरवी करने के लिये तैयार नहीं होता है। इन सब कठिनाइयों के बाबजूद भी साम्यवादियों ने यह दिखा दिया है कि लोग सरकार के साथ नहीं हैं। यद्यपि डा० काटजू के मन में कोया और लम्बाडा नामक पिछड़ी हुई आदि जातियों के प्रति बहुत सहानुभूति तथा प्रेम है किन्तु

उनका भी इस किसान आन्दोलन से सम्बन्ध होने के कारण उन्हें सामूहिक रूप से यातना शिविरों में भेज दिया गया था और यह शिविर अब भी चल रहे हैं, इस बात का हैदराबाद सरकार ने प्रतिवाद नहीं किया है। यह सब नीति सरकार हैदराबाद में बरत रही है। यह सब कुछ लोगों को भाषावार प्रान्त न मिलने तथा प्रान्तों का पुनर्वितरण न होने का ही परिणाम है।

डा० काटजू ने एक बात और कही थी और वह यह थी कि यदि संविधान में कुछ लिखा है तो उसका तुम्हें पालन करना चाहिये। किन्तु यदि संविधान में संशोधन की अवश्यकता हो तो उसे दोनों सदन मिल कर कर सकते हैं; और हम डा० काटजू से कहते हैं : यदि आप भारत के संविधान का निर्वचन करते हैं तो सारे संविधान को एक साथ लीजिये। मूल अधिकारों के अध्याय अथा सामाजिक नीति के निदेशक सिद्धान्तों की दृष्टि से यह विचार कीजिए कि क्या निवारक निरोध जैसे दण्डात्मक उपबन्धों को संविधान में रखना उचित है ? यदि आप तब भी इन्हें रखने का निश्चय करेंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा देश अभागा है जिसे ऐसी सरकार मिली है।

अन्त में मैं अपनी इस प्रार्थना को पुनः दोहराता हूं कि प्रधान मन्त्री हमें यह आश्वासन दें कि साधारण जनता के जीवन सम्बन्धी प्रश्नों के बारे में हमारी उपेक्षा नहीं की जायेगी और सदन के विचारों की ओर उचित ध्यान दिया जायेगा।

श्री रघुरामय्या (तेनालि) : मैं इस सदन का एक नया सदस्य हूं और एक सीधा साधा कांग्रेसी हूं तथा यहां कुछ सच्ची बातें कहने आया हूं।

[**श्री एम० ए० अय्यंगार** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे] ।

डा० काटजू के इतने सीधे-साधे तथा अत्यधिक आवश्यक वक्तव्य पर विरोधी दल के आक्रमणात्मक ज़रदार भाषणों को सुन कर मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। आन्ध्र देश के अनुभव से मैं यह बता सकता हूं कि हम लोग, जिन्होंने साम्यवादियों की लूट-पाट से कष्ट उठाये हैं, विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने के सम्बन्ध में दिये गये उनके इस आश्वासन को कृतज्ञता-पूर्वक स्मरण रखेंगे। मैं आन्ध्र प्रदेश से आया हूं जहां कि कुछ एक जिलों में लोगों की हत्यायें की गई थीं, उन के कान काट लिये गये थे, आंखें निकाल ली गई थीं और सारे के सारे गांव साम्यवादियों की लूट खसोट से भस्मसात् कर दिये गये थे। यदि दूसरी ओर बैठे हुए मेरे विद्वान् बैरिस्टर मित्र के पास कलकत्ते के समाचार पत्र हैं तो मैं भी तो एक बैरिस्टर हूं और मेरे पास भी ऐसे पत्रादि हैं जिन में आन्ध्र प्रदेश में किये गए अत्याचारों के चित्र दिये हुये हैं। हैदराबाद में तो वह किसान समस्या के कारण अपनी इन कार्यवाहियों को न्यायसंगत बताते हैं। किन्तु आन्ध्र प्रदेश में तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, फिर भी उन्होंने यह हत्यायें की हैं। मैं उन से यह पूछता हूं कि उन्हें इस देश के शान्तिप्रिय नागरिकों पर इस प्रकार के अत्याचार करने का क्या अधिकार है। किसी भी प्रजातन्त्र के रचनात्मक काल में सब से बड़ी आवश्यकता विधि और व्यवस्था को बनाये रखने की होती है। इस देश में जहां कि हमारे लाखों देश-वासियों ने कष्ट सह कर स्वतन्त्रता प्राप्त की है यह विरोधी दल है जो सब से अधिक विधि का उल्लंघन करने, हत्यायें करने तथा लूटने की प्रेरणा और प्रचार करने का दोषी है। क्या विरोधी दल इस देश में प्रजातन्त्र की प्रगति के लिये यही कुछ सहायता

[श्री रघुरामय्या]

कर सकता है ? सब से अधिक आश्चर्य तो मुझे डा० एस० पी० मुखर्जी को डा० काटजू पर कटाक्ष करते हुए देख कर हुआ। मेरी तो वस्तुतः यह समझ नहीं आता कि एक सच्चे वक्तव्य पर क्या आपत्ति हो सकती है ? निस्सन्देह विरोधी दल की आलोचना की तो कोई सीमा ही नहीं है। उस ने तो हमारे महान् नेता की विदेश-नीति पर भी आपत्ति उठाई है ।

उस ने विशेष रूप से हमारे अन्य देशों के प्रति मैत्रीपूर्ण रुख पर आपत्ति उठाई है। मैं यह कहता हूं कि सदन में इस ओर बैठने वाले हम सब को अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के इस नये अध्याय पर गर्व है । मैं यह कहने का साहस करता हूं कि यदि यही धड़े-बन्दियां चलती रहीं तो एक और महायुद्ध अवश्यम्भावी है जिस में कि विश्व की सारी सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो जायेगी । इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे महान् नेता ने अन्तर्राष्ट्रीय कूटनीति क्षेत्र में एक नया अध्याय आरम्भ किया है। यह १९वीं शताब्दि की गुप्त कूटनीति नहीं है न ही दो गुटों की भयावह राज नीति है। यह तो एक ऐसे व्यक्ति की राजनीति है जो संसार की सभीं निर्बल तथा दलित जातियों की रक्षा करना चाहता है । मैं ने सोचा था कि मेरे वह मित्र, जिन्हों ने रूस और चीन के समर्थन का इतनी ज़ोर से ढिंढोरा पीटा है, कम से कम हमारी चीन के प्रति की गई महान् सेवाओं के लिये कृतज्ञता का एक शब्द तो कहेंगे ही। इसी महान् देश ने तथा इसी महान् नेता ने राष्ट्रसंघ में चीन को मान्यता दिये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था । हमारे साम्यवादी मित्रों को सरकार के प्रति एक नया रुख अपनाना चाहिये और ऐसी बातों में सरकार का समर्थन करना चाहिये जो उन के विचारों से मिलती हों ।

कभी कभी यह कहा जाता है कि यह देश एक निष्फल तटस्थ नीति का अनुसरण कर रहा है । मैं कहता हूं हमारी तटस्थता उदासीन नहीं है । हम प्रत्येक देश का ध्यान रखते हैं और उस के हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं । किन्तु हम प्रत्येक चीज़ को मित्रतापूर्ण रीति से करने का प्रयत्न करते हैं । हम किसी को शत्रु नहीं बनाते । हम तो सब के साथ मित्रता रखना चाहते हैं ।

राष्ट्रमंडल के प्रश्न पर भी आपत्ति उठाई गई है । प्रायः यह कहा जाता है कि राष्ट्रमंडल इस्पात जैसा सुदृढ़ है, किन्तु इस का बन्धन हवा जैसा हल्का है । मैं यह बता दूं कि इस देश की राष्ट्रमंडल को सब से बड़ी देन यही है कि इस का बन्धन हवा से भी हल्का हो गया है । हम किसी भी समय इसे तोड़ कर इस से अलग हो सकते हैं । हम ने एक गणतन्त्र को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल में सम्मिलित कर दिया है । मैं जानता हूं कि विरोधी दल के मेरे मित्र यह चाहते हैं कि हम लौह आवरण के पीछे छिपे राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हो जायें । किन्तु हम अपनी प्रतिष्ठा तथा स्वतंत्रता का बलिदान करने को तैयार नहीं हैं ।

श्रीलंका तथा दक्षिणी अफ़्रीका के प्रश्न पर मेरे प्रतिपक्षी मित्रों ने बड़े कड़े शब्द कहे हैं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम भी इन्हें उतना ही अनुभव करते हैं । श्रीलंकावासी हमारे छोटे भाई हैं अतः हम उन के साथ सख्ती का बर्ताव नहीं कर सकते किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि उन्हों ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है । मुझे आशा है कि वह दक्षिण अफ़्रीका के पदचिन्हों पर नहीं चलेंगे। दक्षिण अफ़्रीका में तो जातीय भेदभाव इस हद तक बढ़ गया है कि वहां प्रजातन्त्र का सर्वनाश होता दिखाई देता है ।

रायलासीमा का उल्लेख किया गया है। मेरे माननीय साम्यवादी मित्रों ने यह पूछा है कि यदि यह सूखा पांच वर्ष से पड़ा हुआ है तो इस सरकार ने इस के लिये क्या किया है। यह आरोप तो उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों पर लगाना चाहिये जो कि इस के लिये उत्तरदायी हैं। इन्होंने तुंगभद्रा परियोजना आरम्भ की है। वह बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि अन्य परियोजनायें जो कि इस समय खोसला समिति के विचाराधीन हैं, क्रियान्वित करदी जायेंगी तो रायलासीमा में बिल्कुल अकाल नहीं पड़ेगा। मुझे आशा है कि खोसला समिति नन्दी कोंडा सिद्धेश्वरम् तथा अन्य परियोजनाओं को उचित महत्व देगी, जिन्हें क्रियान्वित करने पर लाखों एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

भाषावार प्रान्तों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि हम भी भाषावार प्रान्तों के पक्ष में हैं किन्तु यह प्रशासन की दृष्टि से सुविधाजनक होने चाहियें।

उन में से कुछ एक ने चुनावों का उल्लेख किया है। मैं भी एक उम्मीदवार रहा हूं और मुझे ज्ञात है कि उन्होंने आन्ध्र में किन किन हथकंडों का प्रयोग किया है। मैं विरोधी दल के सदस्यों से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने उत्तरदायित्व को समझें और सदन में एक नई प्रथा स्थापित करें।

विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने यह कहा था कि साम्यवादियों के अत्याचारों का कोई प्रमाण नहीं है। जिस समय यह अत्याचार किये गये थे मैं मद्रास सरकार का एक सचिव था। यदि इस सरकार ने कठोर कार्यवाही न की होती तो आन्ध्र का नाम निशान ही मिट गया होता। गांव गांव में भय और आतंक छाया हुआ था। यदि यही आप की स्वतंत्रता है तो ईश्वर हमें इस से बचाये। स्वतंत्रता सच्ची स्वतंत्रता होनी चाहिये। आप मारने की स्वतंत्रता चाहते हैं। हम जीवित रहने तथा अपने अहिंसा के आदर्श का प्रचार करने की स्वतंत्रता चाहते हैं।

श्री एस० के० पाटिल (बम्बई नगर—दक्षिण) : मैं अपना भाषण एक ऐसे प्रश्न से आरम्भ करता हूं जो मेरी सम्मति में कुछ संवैधानिक सा है। विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों ने अभिभाषण पर यह आपत्ति उठाई है कि यह अधूरा है, इस में बहुत सी कमियां हैं। लोगों के मन में यह कुछ निरर्थक सा विचार घर कर गया प्रतीत होता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक विश्वकोष या देश के सुख दुखों का एक सूचीपत्र होना चाहिये। मुझे ज्ञात नहीं कि यह विचार आया कहां से है।

संसदीय प्रजातन्त्र वाले देशों में राष्ट्रपति के अभिभाषण का एक विशेष महत्व होता है। हम ने यह प्रथा ब्रिटिश संसद् से ली है। मैं ब्रिटिश लोक सभा में सम्राट द्वारा दिये गये अभिभाषणों को गत २५ वर्ष से देखता रहा हूं। इस अभिभाषण में कोई मूल घोषणायें नहीं होती हैं। उन में तो संसद् को उस सत्र में जो विधान निबटाने होते हैं उन की वस्तुतः एक रूप रेखा होती है और उस में देश के समक्ष उपस्थित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख होता है। ब्रिटिश नमूना ही हमारे लिये सब से अच्छा है। राष्ट्रपति ने विचाराधीन विधानों का तथा कुछ राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाओं का उल्लेख किया है। अतः यदि किसी माननीय सदस्य को एक आध घटना का उल्लेख न मिले तो यह अभिभाषण की कमी नहीं है।

विरोधी दल के बड़े बड़े दिग्गजों का यह दावा है और वह यह कहते हैं कि सरकार को तो निर्वाचनों में केवल ४७ प्रतिशत मत मिले हैं और शेष ५३ प्रतिशत हमें मिले हैं। मेरे मित्र डा० मुखर्जी तथा संभवतः श्री

[श्री एस० के० पाटिल]

चटर्जी ने अनजाने में कांग्रेस को यह श्रेय दिया, "तुम ने ४७ प्रतिशत मतदाताओं से सदन में ७० प्रतिशत का बहुमत प्राप्त कर लिया है ।" एक कांग्रेसी होने के नाते मैं उन की इस श्रद्धांजलि को अत्याधिक कृतज्ञता-पूर्वक स्वीकार करता हूं । रूस को छोड़ कर, जहां कि मुझे ज्ञात हुआ है कि लोग ९९·९९ प्रतिशत मतों से चुने जाते हैं, सभी संसदीय प्रजातन्त्र देशों में यही होता है । यदि विपक्ष में अनेक दल न होते और देश में केवल दो ही दल होते तो कांग्रेस के मतों की प्रतिशतता बहुत अधिक होती ।

अब मैं विरोधी दल द्वारा उठाई गई बातों का विश्लेषण करता हूं । सदन में साम्यवादी दल के नेता मेरे मित्र श्री गोपालन ने अपना भाषण यह कह कर आरम्भ किया है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जनता के प्रति युद्ध घोषणा है । शब्दों में भी वह हिंसा करने से नहीं चूकते हैं, कार्यों में तो कहना ही क्या ? श्रीमान्, प्लेटो से महात्मा गांधी तक यह एक पुरानी राजनीतिक कहावत रही है कि जैसे लोग होंगे वैसे ही उन की संस्थायें होंगी । आप सरकार की गलतियां निकालते हैं । आप चाहते हैं कि आप की सरकार आदर्श हो, देवता स्वरूप हो, और आप एक गुप्त समानांतर सरकार बनाये रहें । मुझे तो यह सुन कर आश्चर्य हुआ है कि सदन में यह चुनौती दी जाये कि विधि द्वारा स्थापित तथा गुप्त सरकार के मध्य निर्णय करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जाय । मैं ने तो कभी इस प्रकार का दावा नहीं सुना । मैं गृह मंत्री जी को उन के ओजस्वी भाषण के लिये तथा उन के इस आश्वासन के लिये कि वह ऐसे लोगों से नर्मी का व्यवहार नहीं करेंगे, धन्यवाद देता हूं । अभद्र मनुष्यों को नागरिक स्वतंत्रता, विधि को न मानने वालों को नागरिक स्वतंत्रता, उन लोगों को नागरिक स्वतंत्रता जो दिन दहाड़े हत्यायें करते हैं । जिन लोगों ने तेलंगाना में २५० व्यक्तियों की शस्त्रों से हत्या कर दी वही नागरिक स्वतंत्रता की पुकार मचा रहे हैं । मेरे मित्र श्री गोपालन ने निर्धनता, भुखमरी, कष्टों तथा कठिनाइयों का शोर मचाया था । मैं कहता हूं कि यह तो उन की जीविका के साधन हैं । यदि लोग भूखे न मरें. उन्हें कष्ट न हों तो आप लोग कभी भी इस सदन में नहीं आ सकते ।

माननीय सदस्य यह कहते हैं कि तुम ने पांच वर्ष के अन्दर क्या किया है ? बड़े बड़े चमत्कारों की आशा थी—उन्हें आशा थी कि सारी सरकार अदृश्य (भूमिगत) हो जायेगी और संभवतः यह बड़े चमत्कार दिखायेगी । परन्तु दुर्भाग्य की बात तो यह है कि सरकारें अदृश्य नहीं होती हैं । यदि आप उस के कृत्यों को पहिचानें तो आप कुछ और ही कहेंगे, सारा संसार तो इस देश की सराहना कर रहा है । बाहर के लोग इस चीज से आप की शक्ति को नहीं आंकते कि आप के सामने छोटे मोटे आन्तरिक संकट आये और आप ने उन पर विजय प्राप्त करली किन्तु वह तो राष्ट्रीय ख़तरों को प्रभावशून्य बनाने की आप की सामर्थ्य से ही आपको जांचते हैं । एक ऐसे समय में जब कि हमारे पास सब साधन नहीं थे और विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखना असंभव था हम विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने में सफल हुए । हम इस देश में ५०० से कुछ अधिक भारतीय रियासतों को समाप्त करने में सफल हुए । हम लगभग सत्तर लाख मनुष्यों को फिर से बसाने म, कम से कम उन्हें भोजन और आश्रयस्थान देने में, सफल हुए । क्या यह कुछ छोटी सफलतायें हैं ? आप कहते हैं कि प्रधान मंत्री

की विदेश नीति ग़लत है क्योंकि इस का झुकाव प्रजातन्त्री गुट की ओर है। मुझे अनेकों राष्ट्रों के प्रतिनिधि मिले हैं जो यह समझते हैं कि हमारी नीति का रूसी गुट की ओर अधिक झुकाव है। वह समझते हैं कि संभवतः हम दोनों के बीच में हैं। मेरे मित्र श्री गोपालन कहते हैं कि गांव गांव में अमरीकन गुप्तचर हैं और मेरे मित्र इन सब गुप्तचरों से भयभीत हैं। साम्यवादी तो वीर होते हैं। आप लोग जब गुप्त रूप से कार्य करने से नहीं डरते तो इन 'गुप्तचरों' से क्यों डरते हैं ?

क्या गत पांच वर्षों में हम ने यह नहीं दिखा दिया है कि इस देश को मिलने वाले कुछ तात्कालिक लाभों की चिन्ता न कर के भी हम प्रजातन्त्र राष्ट्रों तथा रूसी गुट दोनों से बिल्कुल अलग रहे हैं ? क्या वह भूल गये हैं—कम से कम कृतज्ञता प्रकट करने के लिये विरोधी दल के कुछ सदस्यों को इतना तो कहना ही चाहिये था—कि भारत ही एक ऐसा देश था जिस ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिये लाल चीन के पक्ष का पोषण किया था ? हमारे बारे में ग़लतफहमी हुई, हम कई तात्कालिक लाभों से वंचित हो गये, किन्तु हम फिर भी इस पर डटे रहे। क्या इन सब को वह भूल गये हैं ? हम भले ही राष्ट्रमंडल के सदस्य हों, किन्तु दक्षिण अफ़्रीका, श्रीलंका तथा ट्यूनिशिया के बारे में हम दृढ़ हैं और हम ने अपनी नीति की घोषणा कर दी है, चाहे हमें इस से कोई भी लाभ या हानि क्यों न हो। इस प्रकार की नीति को पक्षपातपूर्ण, प्रजातन्त्र राष्ट्रों या आंग्ल-अमरीकी गुट के प्रति झुकाव की नीति कहना सत्य को छिपाना है। आप कहते हैं आप जनता के सच्चे प्रतिनिधि हैं। आप ने आन्ध्र और हैदराबाद में अपने विरोधियों को हटा कर न जाने क्या मैदान मार लिया है। आप के नेता तो मेरे नगर बम्बई से चुनाव में खड़े हुए थे। वह भी एक बड़े नेता थे। किन्तु लोग आये और उन्होंने कांग्रेस को बहुत बड़ी संख्या में मत दिया क्योंकि वह समझते थे कि केवल कांग्रेस ही हमारा उद्धार कर सकती है, साम्यवादी दल नहीं। इसलिये हमें सरकार के सभी कामों की आलोचना नहीं करनी चाहिये। उस के मार्ग में बड़ी बाधायें हैं और यह प्राकृतिक बाधायें नहीं हैं यह आप लोगों की ही पैदा की हुई हैं—हर जगह हड़तालें होती हैं, कोई काम नहीं होता है, काम कम होता है और हर जगह सुस्ती है। तो आप कैसे यह आशा कर सकते हैं कि देश समृद्धिशाली बने ?

मैं एक बात और कह कर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा और वह खाद्य साहाय्य के वापस ले लिय जाने के सम्बन्ध में है। मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री ने इस सम्बन्ध में बड़े तर्कसंगत तथा उचित कारण बतलाये थे। उन की युक्तियों का सार यह था कि यदि साहाय्य पर ५० करोड़ रुपये व्यय करने की उपेक्षा इस धन को अन्य परियोजनाओं जैसे छोटी छोटी सिंचाई योजनाओं आदि के लिये जिन से खाद्य उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, दे दिया जाय तो यह अधिक अच्छा होगा। मैं उन से सहमत हूं। मेरा उनसे इस विषय में कोई विवाद नहीं है। किन्तु मैं उन से अत्यधिक नम्रतापूर्वक एक प्रश्न पूछता हूं। सत्य यह है कि आजकल बेचारे निर्धन लोग बिल्कुल निराश हो गये हैं और इस के परिणामस्वरूप इन विरोधी दल वालों को प्रचार का एक अच्छा साधन मिला हुआ है। उन की तो यही जीविका है। मेरी सम्मत्ति में यदि इस साहाय्य को एक दम हटा कर लोगों को अत्यधिक कष्ट पहुंचाने की अपेक्षा धीरे धीरे तीन या चार वर्षों में हटाया जाता तो अधिक अच्छा होता।

[श्री एस० के० पाटिल]

यदि भारत सरकार, राज्य सरकारें तथा उपभोक्ता समान रूप से इस भार को वहन करें तो स्थिति बिल्कुल ही भिन्न हो जायगी। मैं इसे केवल एक रचनात्मक सुझाव के रूप में रख रहा हूं। माननीय वित्त मंत्री के आंकड़े तो ठीक हैं किन्तु तथ्य यह है कि लोग भूखे हैं और उन के पास अनाज खरीदने को पैसा नहीं है। मुझे आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसी योजना बनायेंगे जिस से कि साहाय्य को एक दम हटाने की अपेक्षा क्रमशः कुछ वर्षों में हटाया जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के प्रति उन के अभिभाषण के लिये कृतज्ञता प्रकाशित करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कर्नल ज़ैदी (जिला हरदोई—उत्तर-पश्चिम व ज़िला फ़र्रुखाबाद—पूर्व व ज़िला शाहजहांपुर—दक्षिण) : हम में से बहुतों को बड़ी बड़ी आशायें थीं क्योंकि पहली बार सदन में एक शक्तिशाली विरोधी दल बना था। किन्तु मुझे यह कहना पड़ता है कि हमें बड़ी निराशा हुई है। हम तो यह चाहते हैं कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य खूब चौकन्ना हो और आलोचना भी रचनात्मक प्रकार की होनी चाहिये। मैं तो यह अनुभव करता हूं कि हम ने अपनी पुरानी विचारधारा को अभी छोड़ा नहीं है। अंग्रेजों के समय में हमारे पास कोई शक्ति नहीं थी और न हम पर कोई उत्तरदायित्व था। हम पीछे बैठ कर आलोचना और आन्दोलन कर सकते थे। इन आलोचनाओं से ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे इस देश में कोई विदेशी सरकार राज कर रही हो। बहुत से लोग समझते हैं कि क्योंकि अब हमारी अपनी सरकार है, इसलिये हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सरकार ही कर लेगी। यह भी ग़लत है। अपनी सरकार के अधीन हमें अपने कर्त्तव्य को और अच्छी तरह निभाना चाहिये।

केवल हमारे मित्र डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश में अकाल और भुखमरी का सामना करने के लिये एक रचनात्मक सुझाव दिया है और वह यह है कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को अपने ४० रुपये के दैनिक भत्ते में से दस रुपये दुर्भिक्ष सहायता निधि के लिये देने चाहियें। किन्तु मैं अपने विरोधी दल के मित्रों से यह जानना चाहूंगा कि उन्होंने इस दुर्भिक्ष, खाद्यान्न की कमी तथा भुखमरी का सामना करने के लिये, जिस के कि वह इतने भयानक चित्र खींचते हैं, अपनी ओर से क्या किया है? मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि अकाल और खाद्यान्न की कमी नहीं है। यह तो देश में है ही और इस के लिये निर्धनों के साथ सब की सहानुभूति है। जब हमारे प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि वह खाद्य समस्या को युद्ध स्तर पर सुलझायेंगे तो हमें इसमें उनका हाथ बटाना चाहिये और अपना अधिक से अधिक सहयोग देना चाहिये। सरकार की निन्दा करके उसके हाथों को दुर्बल नहीं बनाना चाहिये। मैं न केवल विरोधी दल के सदस्यों से अपितु अपने दल के सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि वह हमें यह ठीक ठीक बतायें कि उन्होंने अकाल को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है। कांग्रेस दल, समाजवादी दल, साम्यवादी दल तथा अन्य दल वाद-विवाद में परस्पर होड़ न करें, अपितु अकाल तथा अन्न की कमी से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा करने में एक दूसरे से होड़ करें। यदि समाजवादी दल अथवा साम्यवादी दल कांग्रेस की अपेक्षा अधिक अच्छा काम करेगा तो कांग्रेस और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार को भी लज्जित होना पड़ेगा तथा वह अधिक अच्छी प्रकार कार्य करेंगे।

सामाजिक पुनर्निर्माण तथा समाज सेवा के क्षेत्र में तो गैर सरकारी संस्थाओं को आगे बढ़ कर कार्य करना चाहिये और इस में सरकार का हाथ बटाना चाहिये। आजकल आचार्य विनोबा भावे क्रान्तिकारी सुधार करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कांग्रेस के लिये यह गर्व की बात है कि उस ने आचार्य विनोबा भावे जैसे महान व्यक्ति को पैदा किया है। क्या अन्य दलों ने भी कोई आचार्य विनोबा भावे पैदा किया है ? केवल आलोचना करने से कोई लाभ नहीं, देश की समस्याओं को हल करने के लिये उपाय सुझाने चाहियें। औद्योगिक क्षेत्र में तो संभवतः सरकार अधिक अच्छा कार्य कर सकती है। किन्तु सामाजिक पुनर्निर्माण तथा समाज-सेवा का कार्य तो सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा ही अधिक अच्छा किया जा सकता है।

कल यह कहा गया था कि प्रधान मंत्री ने यह अनुरोध किया है कि हमें प्रतिदिन एक बार भोजन करना चाहिये। कितने लोग दिन में एक बार भोजन करके दुर्भिक्ष सहायता निधि में अपना अंश दान कर रहे हैं ? स्वयं कुछ किये बिना बड़ी २ बातें बनाने तथा सरकार की आलोचना करने से देश की सेवा नहीं हो सकती।

हम इस देश में सदा साम्प्रदायिकता, प्रान्तीयता और जातीयता की बातें करते रहते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में भी इस की ओर संकेत किया हुआ है। किन्तु मैं समझता हूं कि हमारा सब से बड़ा शत्रु स्वार्थपरता है। मेरे विचार से तो कुछ हद तक साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता भी स्वार्थ के कारण ही पैदा होती है। हर चीज में हमारी स्वार्थपरता ही दिखाई देती है। और यदि मैं यह कहूं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ साथ हमारे अन्दर देशभक्ति की अपेक्षा स्वार्थपरता अधिक आ है तो मेरे विचार से यह गलत नहीं होगा। यह आशा करना कि सरकार हमारे लिये सब कुछ कर देगी और भारत में घी-दूध की नदियां बहने लगेंगी एक स्वप्न मात्र है। दूसरे देशों में जब लोगों से त्याग करने के लिये कहा जाता है और उन्हें हर चीज बड़ी नियमित मात्रा में दी जाती है तो वह इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, किन्तु हमारे देश में जब लोगों से जरा सा त्याग करने के लिये कहा जाता है तो हमें क्रोध आ जाता है और हम गुर्राने लगते हैं। और फिर भी हम अपनी देशभक्ति का ढिंढोरा पीटते हैं। यह आशा करने से पहिले कि सरकार हमारे लिये सब कुछ कर दे हमें अपने कर्त्तव्य को भी समझना चाहिये और अपने उत्तरदायित्व को निभाना चाहिये।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं और वह यह है कि हम अभी तक अपनी ब्रिटिशकाल की विचारधारा को नहीं बदल सके हैं। का इस एक पहलू हमारा प्रशासन भी है। अंग्रेजों के समय में शासक लोगों का—चाहे वह गोरे थे या काले—एक अलग ही वर्ग था। उन्हें साधारण जनता के साथ मेल मिलाप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। उन का काम तो विधि और व्यवस्था को बनाये रखना था। उन्हें लोगों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है हमारे शासकवर्ग में अब भी वही मनोवृत्ति काम कर रही है। मैं अपने पदाधिकारियों की आलोचना करना नहीं चाहता, उन में से बहुत से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और वह अपने दृष्टिकोण के अनुसार देश की सेवा कर रहे हैं। किन्तु उन में अब भी अंग्रेजों के समय की परम्परा का अधिक प्रभाव है। वह देश के लिये अच्छा काम करते हैं किन्तु उसे लोगों को बताते नहीं हैं। सरकार जो अच्छा काम कर रही है उस का पर्याप्त प्रचार नहीं किया जाता है जिस से कि लोगों का सहयोग प्राप्त किया जा सके। इसी कारण लोगों में सरकार के कार्यों के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाई देता। लोगों के

[कर्नल ज़ैदी]

स्वेच्छा तथा बुद्धिमत्तापूर्ण सहयोग को प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। चीन में लोगों को सरकार के प्रत्येक काम के विषय में प्रदर्शनियों तथा भाषणों द्वारा सब कुछ बताया जाता है। लोग इस प्रकार सब चीज़ों को अच्छी प्रकार समझ जाते हैं और सरकार के कार्यों की सराहना करते हैं और उसमें अपना भरसक सहयोग देते हैं जिस से सरकार और उसके पदाधिकारियों में एक नया आत्मविश्वास पैदा हो जाता है। हमें लोगों को यह बतलाना चाहिये कि सरकार क्या करना चाहती है और इस प्रकार उनका सहयोग प्राप्त करना चाहिये। मुझे विश्वास है कि लोगों में सहयोग की भावना की कमी नहीं है।

११ म० पू०

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम लोगों से निरन्तर सहयोग का अनुरोध करेंगे और उन्हें हर बात समझाने की चेष्टा करेंगे तो उन से हमें असीम सहयोग मिलेगा।

पंडित फोतेदार (जम्मू तथा काश्मीर) : मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के हेतु खडा हुआ हूं। कुछ स्वार्थी तत्वों ने काश्मीर के प्रश्न के सम्बन्ध में जो ग़लतफहमी फैला दी मैं मुख्यतया उसे ही दूर करने का प्रयत्न करूंगा। काश्मीर की समस्या पर कुछ कहने से पूर्व मैं एक दो बातें और कहना चाहता हूं।

मैं यह मानता हूं कि एक ऐसा विरोधी दल, जो कि देश के अधिकतम हित के लिये कार्य करे और जिस में पारस्परिक ईर्ष्या और द्वेष न हों, प्रजातंत्र का एक आवश्यक अंग होता है। यदि सच्चे अर्थों में कोई विरोधी दल न हो तो वह तो तानाशाही हो जायेगी। किन्तु इस महान् संसद में यह जो विरोधी दल है—इस के बारे में तो जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है—यह बहुत ही अशिष्ट और विनाशकारी सिद्ध हुआ है। इस का एक मात्र उद्देश्य देशभक्ति और मानवता की दुहाई दे कर संविधान तथा देश के हितों का नाश करना है। मुझे तो इस सदन के विरोधी दल में एक ही चीज दिखाई दी है और वह है संसदीय शिष्टाचार तथा अनुशासन का अभाव। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि विरोधी दल ने संसद तथा साधारण सभाओं के बीच कोई भेद नहीं किया है। विरोधी दल वालों ने यह आरोप लगाया है कि कांग्रेसी सरकार कुछ भी नहीं कर सकी है। कांग्रेसी सरकार की सफलताओं का वर्णन तो मैं आयव्ययक की चर्चा के समय करूंगा, किन्तु मैं एक बात कहना चाहता हूं और मुझे निश्चय है कि इस तथ्य के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता कि कांग्रेसी सरकार की यह सबसे बड़ी सफलता है कि इस ने काश्मीर में मानवता को, धर्म निरपेक्षता को और प्रजातंत्र को मध्यकाल की बर्बरता के राक्षसी चंगुल में जाने से बचा लिया है और फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि विरोधी दल की ओर से इस सब के बारे में धन्यवाद का एक शब्द भी नहीं कहा गया है।

विदेशी राजनीति तथा विदेश नीति के सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। परन्तु मुझे विश्वास है कि सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि हमारे स्वर्गीय श्रद्धेय नेता सरदार पटेल ने भारत का राष्ट्रीय एकीकरण किया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया है। और आज हम देखते हैं कि पांच वर्ष के इस थोड़े से समय में ही भारत ने संसार के राष्ट्र-परिवार में एक सम्मानित स्थान प्राप्त कर लिया है। हमें यह देख कर आश्चर्य होता है और साथ साथ दुख भी होता है कि विरोधी दल वालों ने हमारे उस नेता को जिसने कि राष्ट्र की नींव

डाली थी, जिस ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की नींव को हिला दिया था और जो साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा विस्तारवाद का कट्टर शत्रु है, एक प्रतिक्रियावादी तथा एक ऐसा व्यक्ति जो भारत को अमरीका के हाथों बेचना चाहता हो, कहने का साहस किया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि किस पुरुषसिंह ने सब से पहिले पीकिंग सरकार को मान्यता प्रदान की थी ? किस ने राष्ट्र संघ को ३८वें अक्षांश से आगे न बढ़ने की चेतावनी दी थी ? किस ने प्रजातंत्र के नाम पर हिन्देशिया के सम्बन्ध में एशियन सम्मेलनबु लाया था ? ट्यूनीशिया के प्रश्न को कौन महत्व दे रहा है? यह हमारे भारत का महान् नेता ही तो है जिसने अन्य देशों को आत्मनिर्णय का अधिकार प्राप्त करने तथा विदेशियों से मुक्ति पाने में सहायता की है। मैं विरोधी दल वालों को सदा के लिये यह बतला देना चाहता हूं कि हमारे समाज की चाहे कोई भी आर्थिक-व्यवस्था क्यों न हो उस पर सदा ही भारतीयता की छाप होगी, रूस या किसी अन्य देश की नहीं।

यह बड़े दुख की बात है कि कुछ एक तथाकथित हिन्दू धर्म के ठेकेदारों ने इस काश्मीर समस्या के आरंभ होने के पूरे पांच वर्ष पश्चात् इस महान् सदन को काश्मीर के सम्बन्ध में अपने गलत विचारों केप्र चार का अखाड़ा बनाने की चेष्टा की है। मुझे इस में लेशमात्र भी सन्देह नहीं है कि काश्मीर तथा भारत के मध्य वर्तमान मित्रता और प्रेम के बन्धन सद्भावना तथा सौहार्द के वातावरण में ही सुदृढ़ हो सकते हैं, काश्मीर के महान् नेता शेख अब्दुल्ला के विरुद्ध शरारतपूर्ण तथा भ्रमात्मक प्रचार के वातावरण में या काश्मीरियों को साम्प्रदायिक कह कर उनकी निन्दा करने से नहीं। जो काम जिन्ना नहीं कर सका उसे यह हिन्दू धर्म के तथाकथित रक्षक आज पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु मैं उन्हें तथा सदन को यह बता देना चाहता हूं कि काश्मीर के बारे में हमारा यह रुख है, "काश्मीरी एक हैं तथा काश्मीर अखण्ड है, काश्मीर भारत का है तथा भारत काश्मीर का।" (**साधु साधु**)

अन्य कोई मार्ग नहीं है। गांधी जी ने यही मार्ग काश्मीरियों को दिखाया था, इसी मार्ग को ४० लाख काश्मीरियों के माने हुए नेता शेख मुहम्मद अब्दुल्ला ने अपनाया था। हमने इस मार्ग को स्वीकार कर लिया है और किसी प्रकार के शरारतपूर्ण प्रचार, लालच या डराने-धमकाने से हम काश्मीरी सच्चाई और मानवता के इस मार्ग से नहीं हट सकते। मैं कहता हूं—और यह निरा घमण्ड ही नहीं है—कि काश्मीरी राष्ट्रपिता द्वारा दिखाये हुए मार्ग को छोड़ने की अपेक्षा उसके अनुसरण में अपने प्राणों की आहुती दे देंगे।

मैं एक बात कहना चाहूंगा। काश्मीर का भारत के साथ यह मिलाप केवल शेख अब्दुल्ला का पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलाप नहीं है। यह तो ४० लाख काश्मीरियों का ४० करोड़ भारतीयों के साथ मिलाप है। यह तो विचारधाराओं का मिलाप है, हृदयों का एकीकरण है। मैं डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी से कहता हूं कि इसे धन के रूप में आंका नहीं जा सकता। यह तो हमारे जीवन और मरण का प्रश्न है। किन्तु एक बात निश्चित है कि काश्मीर का भविष्य उज्जवल है और काश्मीर भारत के साथ मिलकर न केवल भारत के किलों पर अपितु विश्व के किलों पर गांधी जी का झण्डा फहरा देगा।

एक गलत समाचार के आधार पर शेख अब्दुल्ला की गत २० वर्ष की सेवाओं तथा त्याग की ओर ध्यान न देते हुए उसे स्वपक्षत्यागी कह कर उसकी निन्दा की जा रही है। अच्छा होता कि श्री चटर्जी तथा डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी सन् १९४७ में, जब कि वह मंत्री थे, उस समय जब कि पश्चिमी तथा पूर्वी पंजाब में साम्प्रदायिकता की भयानक अग्नि

[पंडित फोतेदार]

दहक रही थी और हिन्दू तथा मुसलमान अपने प्राणों की रक्षा के लिये इधर उधर भाग रहे थे, वह काश्मीर गये होते। पाकिस्तानियों के उकसाने से किया गया आक्रमण हमारे दरवाजों तक पहुंच चुका था और कबायली हमारे द्वार तोड़ रहे थे, जब महाराजा छोड़ कर चला गया था और सारा शासनतंत्र अस्त-व्यस्त हो गया था। उस समय काश्मीर और पाकिस्तान के बीच कौन सी बाधा थी? क्या यह राष्ट्रीयता तथा भ्रातृत्व की भावना नहीं थी, जिसने काश्मीर को बचा लिया? हमने बिना शस्त्रों के हाथों में पत्थर लेकर आक्रमणकारी का सामना किया और अपने देश की रक्षा की, और आज हम धर्मनिरपेक्ष भारत के साथ हैं। हम भारत के पास धन के लिये नहीं गये थे। हम भारत के साथ इसलिये मिले थे क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष तथा प्रगतिशील राज्य है और हमारे स्वतंत्रता संग्राम की सराहना करता है। इसी सवतंत्रता तथा धर्मनिरपेक्षता की रक्षा के लिये हम भारत के साथ मिले थे और भारत के साथ हैं तथा भारत के साथ रहेंगे।

कहा जाता है कि प्रजा परिषद् जैसी साम्प्रदायिक संस्थायें भी हैं। किन्तु मैं तो नेशनल कान्फ्रेंस के अतिरिक्त और किसी जनता की संस्था को जानता ही नहीं। नेशनल कान्फ्रेंस ने चुनाव लड़े और उसमें विजय प्राप्त की।

यह कहा गया है कि जम्मू में आतंक का राज्य है। श्री चटर्जी कहते हैं कि उन्हें किसी ने बताया है कि वहां आतंक फैला हुआ है। किन्तु अपने इस आरोप को सिद्ध करने के लिये वह हमें यह नहीं बता सके हैं कि वहां कितने व्यक्तियों को बन्दी बनाया गया, कितनों को फांसी पर लटकाया गया, कितनों पर अभियोग चलाये गये और कितनों को दंड दिया गया। काश्मीर गत पांच वर्षों से बड़े नाजुक समय से गुजर रहा है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें बड़ी सावधानी से चलना चाहिये क्योंकि अनजाने में किया हुआ भी कोई काम भारत तथा काश्मीर दोनों के हितों के लिये हानिकारक सिद्ध हो सकता है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : हमें यह आशा थी कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में सरकार की आन्तरिक तथा बाह्य नीति के सम्बन्ध किसी व्यापक नीति की घोषणा होगी। किन्तु हमें इसमें किसी व्यापक नीति की अभिव्यक्ति को न देख कर बड़ी निराशा हुई है। कण्डिका ७ में हम यह देखते हैं कि "हम ने संसार के सभी देशों से मैत्री की नीति बराबर बरती है। और यद्यपि कभी कभी इसके बारे में भ्रान्ति हुई है तो भी इस नीति को दूसरे लोग अधिकाधिक समझने लग गये हैं और इसका फल निकलने लगा है।" मैं ने इन फलों को ढूंढने का बड़ा प्रयत्न किया है किन्तु मुझे तो सन् १९५१-५२ की वैदेशिक-कार्य मंत्रालय की रिपोर्ट से यही ज्ञात होता है कि अन्य देशों ने हमारी इस मित्रता की नीति का कोई अच्छा प्रति उत्तर नहीं दिया। हमने सन् १९५१-५२ में इस पर लगभग ६ १/२ करोड़ रुपये व्यय किये हैं किन्तु इसके परिणाम हमारे लिये कुछ अधिक हितकर नहीं हुए हैं। इस देश के समक्ष इस समय सब से कठिन समस्या दक्षिण अफ्रीका तथा श्रीलंका की है। सरकार इन प्रश्नों को कहां तक सुलझा सकी है यह उक्त रिपोर्ट के निम्नलिखित उद्धारण से जाना जा सकता है :

> "दक्षिण अफ्रीका में गत वर्ष क्षेत्र विभाजन अधिनियम को लागू करने के लिये विभिन्न अधिसूचनाओं तथा विनियमों के जारी होने के कारण वहां भारतीयों की स्थिति और भी खराब हो गई है।"

आगे यह भी कहा गया है कि "संयुक्त राष्ट्रीय साधारण सभा के दिसम्बर, १९५० के संकल्प को क्रियान्वित करने के लिये भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया पत्र-व्यवहार असफल सिद्ध हुआ है और दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय प्रधान प्रदेष्टा के सचिव, जो प्रधान प्रदेष्टा की अनुपस्थिति में उस के कार्यालय के प्रभारी थे, स्थानान्तरित कर दिये जाने के कारण दक्षिण अफ़्रिका छोड़ चुके हैं····अब सहायक सचिव उस कार्यालय के प्रभारी हैं।"

इस से पता चलता है कि केन्द्रिय सरकार दक्षिण अफ़्रीका के मामले में कितना उत्तर-दायित्व तथा रुचि दिखा रही है। मैं जानता हूं कि दक्षिण अफ़्रीका का मामला बहुत पुराना है और महात्मा गांधी के त्याग से भी वहां सफलता नहीं मिल सकी थी।

श्रीलंका के सम्बन्ध में विदेश मंत्रालय सन् १९५१-५२ की रिपोर्ट में बतलाया गया है कि "श्रीलंका की सरकार ने सारे वर्ष व्यापार तथा सेवाओं में लंकावासियों को ही सेवायुक्त करना जारी रखा। जब कभी वहां भारतीयों को कठिनाई हुई तो उसे श्रीलंका स्थित भारतीय प्रधान प्रदेष्टा ने श्रीलंका की सरकार से दूर करवाया।" मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या इस प्रश्न को उच्च स्तर पर सुलझाने के लिये और इस बात का पता लगाने के लिये कि इस में किस हद तक सम-झौते की संभावना है, केन्द्रीय सरकार ने कोई प्रबन्ध किया है ? मैं यह सुझाव देता हूं कि स्वयं माननीय प्रधान मंत्री को अथवा अन्तरंग मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य को इन दोनों देशों को यह जानने के लिये भेजा जाये कि इन दो अत्यावश्यक विषयों पर किस हद तक समझौते की संभावना है।

काश्मीर के सम्बन्ध में सभी को रुचि है। अतः मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि सरकार ने इस समस्या को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिये कौन से विशेष प्रयत्न किये हैं।

इस सम्बन्ध में मैं केन्द्रीय सरकार की विदेश नीति को निर्धारित करने के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण सिद्धान्तों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। अब तक वह इस विषय में केवल निजी या मंत्रिमण्डल समिति के निर्णयों पर ही निर्भर रहे हैं। मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि भारत तथा विदेशों में रहने वाले भारतीयों के हित के लिये यह नितान्त आवश्यक है कि सरकार विरोधी दल से अधिक से अधिक परामर्श करने की नीति का अनुसरण करे। ब्रिटेन में भी यही प्रथा है। देश के प्रशासन के सम्बन्ध में सरकार तथा विरोधी दल के सदस्यों में अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिये और इस के लिये व्यक्तिगत रूप से परामर्श करने की नीति को अपनाया जा सकता है। मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा उन के मंत्रिमंडल के समक्ष यह सुझाव रखता हूं और वह इस पर विचार करें।

श्री सी० डी० पांडे (जिला नैनीताल व जिला अलमोड़ा--दक्षिण पश्चिम व जिला बरेली--उत्तर) : आज प्रातः कुछ सदस्यों के भाषणों से सदन में कुछ भ्रम सा फैल गया है ; मैं उसे दूर करना चाहता हूं। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा है कि साम्यवादी हैदराबाद में सामन्तशाही के विरुद्ध लड़ रहे थे। यह बात बिल्कुल झूठी और ग़लत है। वास्तव में वह कासिम रिजवी के लोगों के साथ मिल कर लड़ रहे थे। हैदराबाद राज्य के माननीय सदस्यों ने मुझे बतलाया है कि वह कासिम रिजवी के साथ मिलकर लड़ रहे थे और लायक अली सरकार ने उन्हें शस्त्रास्त्र दिये थे जो कि अब भी उन के पास हैं।

अब मैं सरकार की विदेश नीति को लेता हूं। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हमारी

[श्री सी० डी० पांडे]

विदेश नीति लोकतंत्रीय स्वतंत्रता तथा शान्ति के दो मुख्य सिद्धान्तों पर आधारित है। आज कल संसार में भारत की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए वर्तमान कांग्रेसी सरकार और कोई नीति अपना ही नहीं सकती थी।

वह यह पूछते हैं कि हमने अब तक कौन सी सफलताएं प्राप्त की हैं और कितने मित्र बनाये हैं। मैं कहता हूं कि एक हमारे जैसा सैनिक शक्ति से विहीन राष्ट्र इस से अधिक और कुछ कर ही नहीं सकता था। जरा गत पांच वर्ष के इतिहास पर दृष्टिपात तो कीजिये। सब से पहला उदाहरण तो हिन्देशिया की स्वतंत्रता का ही है। हमारे प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप से ही उसने स्वतंत्रता प्राप्त की। और वह लोग आज भी हमारे प्रति कृतज्ञता प्रकाशित करते हैं। संभवतः हमारे आलोचकों को यह स्मरण नहीं है और वह हमें इसका श्रेय नहीं देना चाहते। हम ने अपने निकटतम पड़ौसी नैपाल की ८० लाख जनता को राणाओं की दासता से मुक्त करा दिया है।

हम ने मध्य-पूर्व में जो कुछ किया है वह उसे भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान एक अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक आन्दोलन चला रहा था। यदि उस का यह आन्दोलन सफल हो जाता तो हमें बड़ी कठिनाई होती। किन्तु मध्य-पूर्व में हमारी कूटनीति ने इस अन्तर्राष्ट्रीय इस्लामिक आन्दोलन की जड़ काट दी है और अरब लीग ने इस में सम्मिलित होने से इन्कार कर दिया है। हमें इस पर गर्व होना चाहिये कि मध्य-पूर्व के देश पाकिस्तान की अपेक्षा मित्रता तथा पथप्रदर्शन के लिये हमारी ओर निहार रहे हैं। यह कोई कम सफलता नहीं है कि मिस्र हमारे साथ मित्रता करना चाहता है तथा अफ़ग़ानिस्तान हमारा मित्र है, पाकिस्तान का नहीं। हम एशिया के पद-दलित देशों को एक करने का प्रयत्न कर रहे हैं और हमें इस में काफ़ी हद तक सफलता भी मिली है। यदि हम इस क्षेत्र में न होते तो बहुत से देशों ने अपनी स्वतंत्रता गंवा दी होती और उन में से अधिकांश को स्वतंत्रता न मिली होती। यह कहा जा सकता है यदि हम किसी गुट्ट में सम्मिलित हो जाते तो अधिक अच्छे रहते, किन्तु क्या हम तब अपनी शान्ति तथा लोकतंत्रीय स्वतंत्रता की नीति का पालन कर सकते थे। क्या वह यह चाहते हैं कि हम भी रूसी गुट्ट में सम्मिलित हो कर चेकोस्लेवाकिया, रूमानिया या चीन का अनुसरण करें? हम रूस की लौह दीवार के अन्दर जाने की अपेक्षा दास बनना पसन्द करेंगे।

एक महानुभाव, श्री एच० एन० मुखर्जी ने कहा था कि वह एक देशभक्त हैं। मुझे यह सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। कोई साम्यवादी देशभक्त कैसे हो सकता है? आप की देशभक्ति तो आप की पितृभूमि रूस के प्रति होगी। यदि भारत हार जाये तो आप को कोई चिन्ता नहीं, किन्तु यदि रूस को कुछ हो जाये तो आप को बड़ा दुःख होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य सभापति को सम्बोधन करें।

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, आप की अनुमति से मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय सदस्य इस प्रकार एक दूसरे को सम्बोधित न करें। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

श्री सी० डी० पांडे : मैं यह कह रहा था कि क्योंकि हम सच्चे अर्थों में प्रजातंत्रवादी हैं, अतः हम रूस के साथ किसी भी अवस्था में नहीं मिल सकते ।

हम अमरीकन गुट्ट में इसलिये सम्मिलित नहीं होते क्योंकि वह उपनिवेशों को स्वतंत्रता देना नहीं चाहता, वह उन की स्वतंत्रता में बाधा पहुंचाता है । वह अपने देश में अश्वेत जातियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है अतएव हम ने इस निष्पक्ष मार्ग को अपनाया है । भारत जैसे महान देश को स्वतंत्रता तथा शान्ति के स्वतंत्र मार्ग पर चलना चाहिये । यदि हम रूस के साथ मिलेंगे तो हमारे यहां भी चेकोस्लोवाकिया पोलैण्ड और हंगरी जैसी अवस्था होगी । लोगों को देश छोड़ कर भागना पड़ेगा, आत्महत्यायें होंगी और कइयों का सफ़ाया कर दिया जायेगा ।

विरोधी दल के सदस्यों ने पंच वर्षीय योजना के सम्बन्ध में बड़ी अधीरता दिखलाई है और कहा है कि इन पांच वर्षों में कुछ हुआ ही नहीं और आगे कुछ होने की आशा भी नहीं है । मैं उन्हें बता दूं कि रूस ने भी पंच वर्षीय योजना बनाई थी और वहां सैंकड़ों की नागरिक स्वतंत्रता को कुचल कर उस ने कुछ सफलता प्राप्त की थी । हमारे यह मित्र इतना मूल्य नहीं चुका सकेंगे ।

पंडित ए० आर० शास्त्री (ज़िला आज़मगढ़—पूर्व व ज़िला बलिया—पश्चिम): अध्यक्ष महोदय मैं एक प्रार्थाना प्रधान मंत्री से करना चाहता हूं । मैं यह अनुरोध करता हूं कि वह अपना भाषण राष्ट्रभाषा हिन्दी में दें ।

सभापति महोदय : माननीय प्रधान मंत्री तथा सदन के सभी सदस्य जिस भाषा में चाहें बोल सकते हैं । सदन में दोनों ही भाषाओं में बोला जा सकता है ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद-पर आसीन थे]

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ने इन चार दिनों के वादविवाद को ध्यान से सुना है और कभी कभी मुझे कुछ बातों को सुन कर कुछ आश्चर्य भी हुआ । विरोधी दल के माननीय सदस्यों की अपेक्षा मेरी स्थिति कुछ भिन्न है क्योंकि मुझे कुछ संयम से बोलना होता है और मैं बड़े तथा छोटे देशों की यदा कदा निन्दा अथवा अत्यधिक प्रशंसा नहीं कर सकता । हो सकता है कि मैं किसी अन्य देश के कार्य अथवा उस के कथन से सहमत न हूं किन्तु माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि सरकारों की विदेश नीति को सार्वजनिक सभाओं की तरह नहीं चलाया जा सकता और जब उत्तरदायी व्यक्ति अन्य देशों की चर्चा करते हैं तो वह विरोधी दल के माननीय सदस्यों की सामान्य भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते ।

सब से प्रथम मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो ग़लत धारणा फ़ैली हुई है उस का उल्लेख करना चाहूंगा । माननीय सदस्यों ने सैंकड़ों संशोधनों की पूर्वसूचना दी है और अपने भाषणों में यह कहा है कि अभिभाषण में कितनी ही चीज़ें नहीं हैं । अभिभाषण कोई सब कार्यों की सूची नहीं होती है । यह तो संसद् के आगामी सत्र में क्या होने वाला है उस का एक संक्षिप्त विवरण होता है जिस में विदेश नीति का कुछ उल्लेख होता है । यह सत्र तो विशेष रूप से आयव्ययक सत्र है और, जैसा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में बतलाया भी गया है, इस में विधान निर्माण का कार्य अधिक नहीं हो सकता । चाहे कुछ भी हो, मैं समझता हूं कि न तो यह संभव है और न ही यह वांछनीय है कि राष्ट्रपति

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

के अभिभाषण में उन सब चीज़ों की एक लम्बी सूची हो जिन्हें हम करना चाहते हैं ।

बहुत सी बातें हैं । उदाहरण के लिये, मनीपुर के एक माननीय सदस्य ने आदिम-जातियों का और विशेष रूप से नागाओं का उल्लेख किया था । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तो भारत की आदिमजातियों को बहुत महत्व देता हूं और मुझे आशा है कि सदन भी इस विषय पर यथासमय विचार करेगा, क्योंकि भारत में आदिमजाति वाले बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं, उन की एक विशेष स्थिति है और उन की अपनी विशेष संस्कृति है और मैं समझता हूं कि हमें उस संस्कृति की रक्षा करनी चाहिये और उसे अपनी ही रीति से पनपने में सहायता देनी चाहिये ।

इसी प्रकार शरणार्थियों के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि उन के बारे में कुछ नहीं कहा गया है । पिछली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण में शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में पूरी पूरी बातें बतलाई गई थीं । मुझे तो बार बार उन्हें दुहराने की कोई आवश्यकता नहीं दिखाई देती ।

अतः मैं यह चाहूंगा कि भविष्य में सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संक्षेप से चर्चा की जाये । मैं किसी भी विषय पर चर्चा करने की सदन की स्वतंत्रता को सीमित करना नहीं चाहता । किन्तु हम इसके विस्तार में कुछ ऐसे खो से जाते हैं कि इस प्रकार के वादविवाद की मुख्य मुख्य बातें हमारी दृष्टि में नहीं आ पातीं । इस में सन्देह नहीं कि चर्चा काफ़ी लम्बी हुई है और बहुत सी बातें सामने भी आई हैं और मैं उन में से कुछ बड़े विषयों की ओर यदि समय मिला तो कुछ छोटी छोटी बातों की भी चर्चा करूंगा ।

सब से पहले मैं डा० मुखर्जी तथा विरोधी दल के एक या दो अन्य सदस्यों की बातों के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहूंगा । उन्होंने सरकार से अपनी नीति के निर्धारण तथा उस के पालन में विरोधी दल का सहयोग प्राप्त करने के लिये कहा था । मैं यह बता देना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी पक्ष का सम्बन्ध है हम तो इस सदन के प्रत्येक सदस्य के, चाहे वह सदन में इस ओर बैठता हो या उस ओर बैठता हो, सहयोग का स्वागत करेंगे । संभव है कि कुछ महत्वपूर्ण विषयों में कुछ आधारभूत मतभेद हों, किन्तु मुझे पक्का निश्चय है कि अधिकांश बातों में सहयोग हो सकता है और मतभेद के विषयों में भी दूसरों की सम्मति जान कर अपनी सम्मति निर्धारित करना बहुत अच्छा होता है । स्वाभाविकतया सरकार निर्णय करने के अपने उत्तरदायित्व को किसी और पर नहीं डाल सकती, किंतु वह इसके लिये निश्चय ही सदन के अन्य सदस्यों के, चाहे वह कोई भी क्यों न हों, विचार जानना चाहती है ।

किन्तु, सदा इस मार्ग का अनुसरण नहीं किया जा सकता । कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात पर बल दिया है कि सदन में बहुसंख्यक दल किसी प्रकार की गणना के अनुसार केवल ४७ दशमलव कुछ प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है । इसे मैं ठीक माने लेता हूं, किन्तु यह प्रश्न उठता है कि गणना के अनुसार दूसरी ओर बैठने वाले माननीय सदस्य कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं (साधु, साधु) । संभवतः सदन यह जानना चाहेगा कि साम्यवादी दल और हैदराबाद का लोकतंत्रीय मोर्चा आदि मिल कर ४·४५ प्रति-

शत का प्रतिनिधित्व करते हैं। समाजवादी दल सब से अधिक का अर्थात् १०·५ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। किसान मजदूर प्रजा पार्टी ५·८ प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है, जन संघ ३ प्रतिशत का, अनुसूचित जाति संघ २·३ प्रतिशत का, स्वतंत्र १५ प्रतिशत का तथा इसी प्रकार अन्य दल कुछ अंशो का प्रतिनिधित्व करते हैं। और फिर विरोधी पक्ष में कट्टर वामपन्थियों से ले कर कट्टर दक्षिण पन्थियों तक सभी प्रकार के व्यक्ति हैं। वह केवल बहुमत के गुट्ट के विरुद्ध कुछ विरोधी भावना होने के कारण इकट्ठे हो गये हैं। मैं इस बात की आलोचना नहीं करता। मैं तो केवल यह कह रहा हूं कि इतनी विभिन्नता के कारण उन से परामर्श आदि करना बहुत सरल नहीं है। किन्तु मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जहां कहीं भी संभव हो परामर्श और सहयोग करने के इच्छुक हैं।

हम इस सदन में विरोधी दल के सदस्यों के आगमन का स्वागत करते हैं। किसी भी सदन में एक शक्तिशाली विरोधी दल का होना आवश्यक है जिस से कि सरकार या बहुसंख्यक दल आत्मसंतोषी न हो जाये। जब मैं अपने पुराने साथियों को विरोधी दल में बैठा हुआ देखता हूं तो कुछ पुरानी स्मृतियां फिर से जाग उठती हैं। मैं उन्हें भुलाना नहीं चाहता और मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि उन के साथ सहयोग का कोई तरीका नहीं निकल सकता जिन के साथ हम ने भूतकाल में मिल कर काम किया है।

एक माननीय सदस्य ने मुझे बताया कि मैं ने कुछ चांदी के टुकड़ों के लिये इतिहास में अपना स्थान खो दिया है। खैर, इस का इतना महत्व नहीं कि इतिहास में मुझे कौन सा स्थान मिलता है। किन्तु भारत तथा उस के लाखों लोगों को जो कुछ होता है वह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं व्यक्तिगत पहलू को छोड़ कर इस स्थिति की कुछ आधारभूत बातों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

जब हम देश की कतिपय आर्थिक समस्याओं पर विचार करते हैं तो उद्देश्य और ध्येय के सम्बन्ध में काफ़ी हद तक एक दूसरे से सहमत हो सकते हैं और उस को प्राप्त करने के ढंग, उस की रफ्तार, उस की लागत तथा और बहुत सी चीज़ों में हम में मतभेद भी हो सकते हैं। किन्तु इन समस्याओं तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण ढंग है जो कि मेरे मन पर एक बोझ सा बना हुआ है।

१२ मध्यान्ह

जरा आज से साढ़े चार वर्ष पूर्व की भारत की स्थिति को सोचिये जब कि स्वतंत्रता अभी मिली ही थी क्योंकि आप को प्रत्येक स्थिति को उस की परिस्थितियों के अनुसार ही आंकना है। आप अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों को परिस्थितियों से अलग नहीं कर सकते। भारत के साम्यवादी दल ने गत कुछ वर्षों में कई बार अपनी नीति बदली है। यह सब उसे इसलिये करना पड़ा क्योंकि भारतीय जनता का उस में विश्वास नहीं रहा था। आप अपने आदर्शों को परिस्थितियों तथा परिणामों पर विचार किये बिना आगे नहीं बढ़ा सकते।

यहां उपस्थित बहुत से सदस्य यूरोप तथा अन्य देशों के हाल के इतिहास को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि बड़े बड़े देशों में प्रगतिवादी शक्तियों में किसी संघर्ष की समाप्ति पर किस प्रकार उन शक्तियों की विजय न हो कर बिल्कुल नग्न रूप में फासिस्तवाद की विजय हुई। ऐसा चीजें

[श्री ज़वाहरलाल नेहरू]

होती हैं। लोग क्रान्ति की बातें करते हैं और इसे लाने की भी चेष्टा करते हैं। परन्तु क्योंकि वह परिस्थितियों का ठीक प्रकार से अनुमान नहीं लगाते, क्योंकि वह गलत तरीक़े से कार्य करते हैं, अतः वह वस्तुतः प्रति क्रान्ति को निमंत्रण देते हैं। केवल बड़े बड़े आदर्शों को प्राप्त करने की चेष्टा करना ही पर्याप्त नहीं है, इस बात का भी इतना ही महत्व है कि उन्हें उचित ढंग से प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाये। मुझे यह कहा जा सकता है कि यह तो एक व्यर्थ की बात है जैसा कि हमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में व्यर्थ की बातें हैं। संसार के सभी महान् सत्य व्यर्थ की बातें तो हैं ही। परन्तु इन प्राचीन और सत्य व्यर्थ की बातों का उत्तर वह घिसी घिसाई तथा ऊट पटांग बातें तो नहीं हैं जो कि विरोधी दल के माननीय सदस्य कभी कभी कहा करते हैं।

इस प्रकार हम ने देखा कि प्रगतिवादी आन्दोलनों के कतिपय आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करने के बावजूद भी उन की पराजय हुई और एक बिल्कुल प्रतिक्रियावादी चीज़ ने उस का स्थान ले लिया जैसा कि यूरोप के कुछ देशों में हुआ है। अब इस पृष्ठभूमि के आधार पर अगस्त, १९४७ से पूर्व के भारत पर दृष्टिपात कीजिये वह समय अब इतिहास की बात हो गई है और जनता की स्मरणशक्ति बहुत कम होती है। इस समय हमें नवीन स्वतंत्रता मिली ही थी और अंग्रेज़ों ने तो बड़ी शान्तिपूर्वक इस का हस्तान्तरण किया था जिस से कि हमारा उस के पश्चात् निर्माण का कार्य सरल हो गया था। परन्तु इसके पश्चात् पाकिस्तान में, सीमान्त के इस पार हमारी ओर तथा उस पार उन की ओर, बड़ी भारी उथल-पुथल प्रव्रजन, हिंसा और हत्यायें आदि हुईं। इस उथल पुथल के अतिरिक्त हमें एक दम अचानक एक ऐसे नये देश का सामना करना पड़ा जहां सेना, पुलिस, सेवायें, टेलीफ़ोन, तार, बेतार के तार, रेलें, यातायात आदि सभी चीज़ें एक ही रात में बंट गई थीं और उस के साथ यह उथल-पुथल और बड़े पैमाने पर हिंसा हुई। और उस के बाद यह लाखों दुःखी लोग अपना सब कुछ खो कर आने लगे। मुझे इतिहास का एक भी ऐसा उदाहरण ज्ञात नहीं जिस में कि किसी देश को बिल्कुल इसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ा हो। हमें इस के साथ कुछ और कार्यवाहियों का भी सामना करना पड़ा। सभी प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने, जो कि अंग्रेज़ों के हाथ से राष्ट्रीय सरकार को शक्ति का हस्तान्तरण पसन्द नहीं करती थीं, उस सरकार को पलटना चाहा। इस बात का इस से कोई सम्बन्ध नहीं था कि इस में कांग्रेसियों की अधिकता थी। यह तो एक राष्ट्रीय और थोड़ी बहुत प्रगतिवादी सरकार थी। सामान्तशाही, साम्प्रदायिक तथा अन्य सभी प्रकार की प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने यह सोचा कि यह सरकार आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तन के लिये कार्य करेगी, और वह यह चाहते नहीं थे, अतः वह इसे पसन्द नहीं करते थे। अतः भारत में उस साम्प्रदायिक विद्रोह की शक्ति की आड़ में सारे उत्तरी भारत में सब प्रकार के क्रान्तिविरोधी हिंसात्मक आन्दोलन उठ खड़े हुए। हमारे दक्षिणी भारत के मित्र इस का अनुमान नहीं लगा सकते, किन्तु हम तो इस प्रतिक्रियावादी उथल पुथल में उत्तरी भारत में रह चुके हैं जहां सब प्रतिक्रियावादी शक्तियां प्रभुत्व प्राप्त करने के लिये परस्पर लड़ रही थीं। उन में प्रभुत्व प्राप्त करने की शक्ति तो नहीं थी और इसलिये उन्हें अपने उद्देश्य की पूर्त्ति में सफलता भी नहीं

मिली। किन्तु उन में तोड़ फोड़ की शक्ति थी और यदि यह सफल हो जाती तो सारे भारत में फैल जाती। हम ने इसे दबा दिया क्योंकि भारतीय जनता मूल रूप से स्वस्थ्य है। यदि हम इस विप्लव को न रोकते तो देश की वही अवस्था होती जिस के कारण अंग्रेज़ यहां आये थे, जब कि देश में गड़ बड़ फैली हुई थी, राज्य आपस में लड़ रहे थे और किसी को देश की चिन्ता नहीं थी।

हमें इस स्थिति का काफ़ी देर तक सामना करना पड़ा। धीरे धीरे कई मास पश्चात् न केवल मानव कष्टों अपितु प्रव्रजन आदि के रूप में तथा अन्य प्रकार से एक बड़ा मूल्य चुका कर हम ने इस पर क़ाबू पाया। किन्तु इस गंभीर स्थिति पर नियंत्रण करने में, शरणार्थियों को पुनः बसाने तथा अन्य सब कुछ करने में वर्षों लग गये। उस समय भारत में चाहे जो भी सरकार होती उस का सब से पहिले काम क्या होता? सरकार का सब से पहिला काम देश में "विधि तथा व्यवस्था" स्थापित करना या यों कहिये कि भारत की एकता और स्थिरता को बनाये रखना होता। जब तक भारत में एकता न हो तथा देश में शान्ति और स्थिरता न हो आप के आर्थिक या सामाजिक आदर्शों से कोई लाभ नहीं हो सकता। अतः इस विचार से इस पर अधिक बल देना आवश्यक हो गया था।

हमारे पास पुराना सामन्तशाही हैदराबाद था जिस के पीछे पाकिस्तान से सदा ही संघर्ष होता रहता था। मैं आप को स्पष्ट बताता हूं कि इन वर्षों में कोई नहीं जानता था कि कब पाकिस्तान से युद्ध छिड़ जाये हम नहीं जानते थे कि काश्मीर का संग्राम या पाकिस्तान या हैदराबाद का प्रश्न या और कुछ कब युद्ध का रूप धारण कर ले। हम पाकिस्तान से लड़ना नहीं चाहते थे, किन्तु हमें ज्ञात नहीं था कि पाकिस्तान के लोग या पाकिस्तान की सरकार न जाने क्या कर बैठे। इसलिये हमें सभी अवस्थाओं के लिये तैयार रहना पड़ता था। उस महान् राष्ट्रीय ख़तरे के समय, कांग्रेस या किसी दल पर ख़तरे के समय नहीं, अपितु राष्ट्रीय ख़तरे के समय हमें उन विभिन्न गुटों तथा दलों से क्या सहायता मिली जिन के प्रतिनिधि दूसरी ओर बैठे हुए हैं? सभी साम्प्रदायिक दलों ने विनाशकारी प्रवृत्तियों को सहायता दी तथा प्रोत्साहित किया। हमारे साम्यवादी दल के मित्रों ने छोटे मोटे ढंग से देश भर में गड़ बड़ फैला कर और जब यह ख़तरा अपने अन्तिम महीनों में पूरे जोरों पर था तब यह तेलंगाना की गड़बड़ आरंभ कर के इस राष्ट्रीय कठिनाई से लाभ उठाने का प्रयत्न किया। जरा इस पृष्ठभूमि पर विचार तो कीजिये। मैं नहीं समझता कि विरोधी दल के माननीय सदस्य, जो इतने बुद्धिमान और ऊंचे बोलने वाले हैं, इस पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ हों। उन्होंने एक ऐसी चीज की थी जिससे भारत के टुकड़े टुकड़े हो जाते अतः माननीय सदस्यों के साथ उनके उच्च आदर्शों की चर्चा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

माननीय सदस्य ऐतिहासिक शक्तियों तथा ऐतिहासिक प्रवाह की बात करते हैं। किन्तु मैं यह कहता हूं कि उस समय भारत की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखना ही सब से अधिक आवश्यक था, और उस के साथ साथ आप समाजिक तथा आर्थिक उन्नति भी कर सकते थे।

माननीय सदस्य प्रायः एक दूसरे देशों में परस्पर तुलना किया करते हैं। किन्तु मैं तो ऐसी द्वेषपूर्ण तुलनायें नहीं कर सकता और न ही मैं किसी देश के बारे में बुरा-भला कह सकता हूं। मैं आप की इन तुलनाओं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

से डरने वाला नहीं। मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि एक सरकार के रूप में हम ने कोई ग़लतियां नहीं की हैं अथवा हम जो कुछ भी कर सकते थे वह सभी कुछ हम ने किया है और जो बातें हमें नहीं करनी चाहिये थीं उन से हमें बचना नहीं चाहिये था। मैं तो अपनी भूल मानता हूं। किन्तु मैं सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने—और यदि यह कहा जाये कि इस कांग्रेस दल ने—एक अत्यावश्यक ऐतिहासिक कार्य किया है और वह ऐतिहासिक कार्य भारत को संयुक्त रखने का कार्य था, कतिपय आधारभूत नींवें डालने का काम था जिस पर कि आप भारत के भविष्य के समाजिक तथा आर्थिक ढांचे का निर्माण कर सकें, क्योंकि उन नींवों के बिना आप के सब प्रयत्न असफल होते। हम ने यह काम किया। और आज भी कांग्रेस इस देश में एक ऐतिहासिक आवश्यकता को पूरा कर रही है और इसे बहुत हद तक जनता की सहानुभूति प्राप्त है। जिस क्षण यह अपने उस ऐतिहासिक कार्य को करना बन्द कर देगी और नये ऐतिहासिक कार्य को करने के लिये अपने आप को नहीं बदलेगी उसी क्षण कांग्रेस दल या कोई भी अन्य दल प्रभावशाली नहीं रहेगा। यह व्यक्तियों का, चाहे वह कितने ही बुद्धिमान् या चतुर क्यों न हों, यह चुनाव संघटनों का प्रश्न नहीं है, किन्तु यह तो अपने आप को मानवीय घटनाओं तथा इतिहास के अनुकूल बनाने का प्रश्न है। यदि आप यह करते हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। इस के विपरीत यदि आप उस से अलग थलग हो जाते हैं तो आप सड़ने लगते हैं और समाप्त हो जाते हैं—चाहे यह कांग्रेस हो या साम्यवादी दल हो या कोई अन्य दल हो।

साम्यवादी दल के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उस में बहुत से वीर लोग हैं, किन्तु वह कभी कभी बिल्कुल पुराने तरीक़े के प्रतीत होते हैं। एक ऐसे दल के सम्बन्ध में, जो अपने आप को मानव प्रगति का अग्रदूत समझता है, यह कहना कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है! मैं मानता हूं कि साम्यवादी विचारधारा में कुछ चीज तो है जिसे हम अग्रदूत कह सकते हैं और जिसे अनिवार्यतः सारा संसार अन्त में अपनायेगा, यदि यह उस से पहिले ही चकनाचूर न हो गया तो। किन्तु उन में पुराने धर्मान्ध व्यक्तियों जैसी कुछ कट्टरता आ गई है। मैं ने तो कभी किसी धर्म की कट्टरता के आगे सिर नहीं झुकाया है और मैं इस नये धर्म की कट्टरता के आगे भी नहीं झुकूंगा।

हमें मानव इतिहास की वर्तमान धाराओं को समझना चाहिये। हमें इस बात का निश्चय करना है कि संसार कौन सा मार्ग अपनाये और उसी ओर हमें अपना सहयोग देना चाहिये। मैं बिल्कुल ठीक ठीक तो नहीं जानता, किन्तु साधारतया उस दिशा को जानता हूं जिस ओर हमें या किसी भी अन्य देश को चलना चाहिये। एक बात का मुझे पक्का निश्चय है कि हमें या किसी भी देश को युद्ध मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिये। इस युद्ध में 'शीत' युद्ध भी सम्मिलित है जिस का परिणाम शस्त्र युद्ध होता है और यह लोगों को असभ्य बना देता है और नीचे गिरा देता है क्योंकि इस से हमारा जीवन धीरे धीरे घृण, क्रोध और हिंसा मय हो जाता है।

मैं इस का कोई तर्क संगत प्रमाण तो नहीं दे सकता, किन्तु इस बात का मुझे पक्का विश्वास है कि घृण तथा हिंसा या क्रोध पर

निर्भर किसी भी मार्ग का अन्त व फल ग़लत ही होगा। सत्य तो यह है कि यदि युद्ध हुआ तो इस का परिणाम मानवता के लिये बड़ा विनाशकारी होगा और मेरी यह समझ नहीं आता कि इतने भयंकर महायुद्ध के पश्चात् आप अपनी मनचाही सामाजिक अथवा आर्थिक व्यवस्था का निर्माण कैसे कर सकते हैं, क्योंकि महायुद्ध की क्षति को पूरा करने तथा मानव अस्तित्व के निम्नतम स्तर तक पहुंचने में वर्षों लग जायेंगे। मेरी यह समझ नहीं आता कि जो लोग साम्यवाद से घृणा करते हैं और उसे अपना शत्रु समझते हैं वह साम्यवाद को युद्ध से समाप्त करने की बात कैसे सोचते हैं। उस युद्ध के पश्चात् क्या होगा यह तो मैं नहीं जानता, किन्तु इतना अवश्य जानता हूं कि उस के पश्चात् विशाल पैमाने पर महाविनाश होगा और संसार के बहुत बड़े भाग में गड़बड़ी फैल जायेगी, जीवन स्तर गिर जायेगा तथा इसी प्रकार की बातें होंगी।

अतः मेरे विचार से हमारे लिये व्यक्तिगत रूप में अथवा एक राष्ट्र के रूप में ऐसे मार्ग का अनुसरण करना ठीक नहीं है जो हमें असभ्य बना दे या नीचे गिरा दे और जिस से यह अन्तर्राष्ट्रीय असभ्यता प्रकट हो जो हमें चारों ओर दिखाई देती है। विरोधी दल के माननीय सदस्य मुझे क्षमा करेंगे, राष्ट्रीय क्षेत्र में उन्होंने जो ढंग अपनाये हैं, चाहे उन के उद्देश्य कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्होंने उन्हें असभ्य बना दिया है और नीचे गिरा दिया है। मैं यह नहीं कहता कि सदन के इस ओर बैठे हुए मेरे सहयोगी व्यक्तिगत रूप में अथवा संयुक्त रूप में जो ढंग अपनाते हैं वह सदा ही अच्छे या दोषरहित होते हैं अथवा उन में अशिष्ठता नहीं होती है। वह भी प्रायः ऐसी बहुत सी बातें करते हैं। हमें इस चुनौती का उत्तर भी तो देना होता है। किन्तु एक गुट्ट या दल के रूप में जानबूझ कर किसी ऐसे ढंग को अपनाने में, जो कि लोगों को अशिष्ट तथा नीचा बना दे, तथा मानव स्वभाव की दुर्बलताओं के कारण उस में पड़ जाने में भेद है। अतः मैं अधिक से अधिक सहयोग के लिये तैयार हूं, किन्तु मुझे आशा है कि हिंसा तथा अशिष्टता और असभ्यता के साथ बिल्कुल सहयोग नहीं किया जायेगा।

मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि वह इसी भावना से सोचें और कार्य करें। वह अपने सिद्धांतों पर पूर्णतया डटे रहें, क्योंकि, इस बात के अतिरिक्त भी, कि हिंसा, असभ्य व्यवहार तथा अशिष्टता लोगों पर बुरा प्रभाव डालती है तथा उन्हें नीचा गिरा देती है—यदि एक बार आप उन्हें अपने अन्दर आने देंगे तो आप सरलता से उस से छुटकारा नहीं पा सकते—और इस के अतिरिक्त भारत एक विशाल तथा रंगबिरंगा देश है और इस में बहुत सी शक्तियों ने इस के भौतिक रूप में अलग अलग हो जाने पर भी बुद्धि की दृष्टि से इसे एक कर रखा है और इस के बहुत से छोटे छोटे टुकड़े हो जाने पर भी इसे सांस्कृतिक रूप से एक बनाये रखा है। भारत में बहुत सी विध्वंसकारी प्रवृत्तियां तथा शक्तियां भी हैं। भूतकाल में संभवतः इसका इतना महत्व नहीं था, किन्तु वर्तमान काल में इस बात का बहुत महत्व है कि यह विध्वंसकारी शक्तियां भारत में प्रबल न हो जायें। किसी शक्ति विशेष के अस्तित्व में चाहे कुछ औचित्य भी हो किन्तु यदि यह बहुसंख्या की दृष्टि से विध्वंसकारी शक्ति है तो यह एक ऐसे आड़े समय में भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती है जब कि भारत को एक रहना चाहिये। और फिर यदि किसी ऐसे कार्य के लिये जिसे कोई अच्छा समझता हो हिंसा का प्रयोग किया जाये तो मुझे इस में रत्ती भर भीस

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नहीं कि उस का परिणाम भी विध्वंस होगा। उस का परिणाम गृहयुद्ध होगा और यदि आप के यहां गृह युद्ध हो तो जहां तक असभ्यता, अशिष्टता और हिंसा की भावना का सम्बन्ध है यह अन्तर्राष्ट्रीय महायुद्ध से भी कहीं अधिक बुरा होगा। इसी कारण सरकार का या इसी आधार पर ठीक प्रकार से सोचने वाले किसी भी गुट्ट या व्यक्ति का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह विधि और व्यवस्था को बनाये रखने में सहायक हो, हिंसा को रोके, हमारे सार्वजनिक जीवन को गिरने न दे, और हमारे सार्वजनिक जीवन में कटुता और संघर्ष न होने दे। इस के बिना आर्थिक उन्नति का होना बिल्कुल असम्भव है। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। अधिक से अधिक आप यह कह सकते हैं: हम पहिले गृहयुद्ध कर लेते हैं, उस के पश्चात् भयानक क्षति उठा चुकने के बाद हम आर्थिक उन्नति करेंगे।

अन्य देशों का उल्लेख किया जाता है और मैं रूस और चीन आदि जैसे देशों की सफलताओं की प्रशंसा करता हूं। वहां जो कुछ भी हुआ है मैं उस सब की प्रशंसा नहीं करता। सब से पहिली स्मरणीय बात वह भयंकर मूल्य है जो रूसी क्रान्ति में चुकाना पड़ा था। मैं नहीं जानता कि हम भारतवासी कहां तक उस मूल्य को चुकाने के लिये तैयार हैं। निश्चय से, मुझे यह भी सन्देह है कि यदि रूसी नेताओं को वही मूल्य चुकाने का एक और अवसर मिले तो वह अन्य उपायों से अपने आदर्शों को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। परन्तु यह तो अपनी अपनी सम्मति है। हमें यह भूलना नहीं चाहिये कि उन्हें बड़ा भयंकर मूल्य चुकाना पड़ा था। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि उनकी क्रान्ति को हुए लगभग ३५ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। इतने लम्बे समय के कार्यों के फल से तुलना करना उचित नहीं है--और जब कि वह बिल्कुल नये सिरे से काम कर रहे थे और उन्हें मनचाहे अधिकार प्राप्त थे, फिर भी उन्हें काफी समय लगा है।

एक माननीय सदस्य ने शिक्षा की बात कही थी। शिक्षा निश्चय ही बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे अत्यन्त खेद है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना कि हमें करना चाहिये था। किन्तु मैं एक बात बता दूं। क्रान्ति के पश्चात् रूसी जनता तथा रूसी नेताओं ने प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य शिक्षा को सब से अधिक महत्व दिया था और यह ठीक भी था। और उनकी इस तीव्र इच्छा होने के बावजूद भी उन्हें अपने सारे देश में इसे जारी करने में १३ वर्ष लगे थे। मैं जानता हूं कि रूसी क्रान्ति के प्रारम्भ के वर्षों में कई वर्ष तक गृहयुद्ध छिड़ा रहा तथा और भी कठिनाइयां थीं और बाहर की सेनाओं ने भी आक्रमण किये थे किन्तु यह सब कठिनाइयां तो होती ही हैं। यदि आप तलवार उठा लें और यदि मैं भी तलवार उठा लूं तो और लोग भी तलवार उठा लेंगे भारत में यदि हम तलवार उठा लेंगे तो और लोग भी तलवार उठा लेंगे। यह कोई नहीं जानता कि अन्त में किस की विजय होगी। परन्तु चाहे परिणाम कुछ भी हो आप की अत्यधिक हानि तो होगी ही। समय के नष्ट होने के अतिरिक्त लोगों पर कष्ट आ पड़ते हैं, मानवीय साधनों को क्षति पहुंचती है और आपकी प्रगति और पीछे जा पड़ती है। चीन का ही उदाहरण लीजये। मैं उसके बड़े प्रशंसकों में से हूं विरोधी दल के मेरे माननीय मित्र श्री हीरेन मुखर्जी ने हमें चीन का अनुकरण करने के लिये कहा था जहां तक मैं चीन का अनुकरण कर सकता हूं मुझे, ऐसा करने में बड़ी प्रसन्नता होगी क्या मैं उन्हें यह

स्मरण करा सकता हूं कि लगभग एक वर्ष पूर्व यह कहा जाता था कि चीन में भ्रष्टाचार व चोरबाजारी तथा इसी प्रकार की अन्य बुराइयां बिल्कुल समाप्त कर दी गई हैं ? यह एक बड़ा आश्चर्यजनक उदाहरण था। छै मास पूर्व चीन की सरकार ने यह कहा था कि चीन में जितना भ्रष्टाचार है उसे देख कर उसे बहुत धक्का पहुंचा है और उसने इसके विरुद्ध बड़ा आन्दोलन चलाया, जिस में कि बड़े बड़े लोग सम्मिलित थे, उसने उन के विरुद्ध प्रभावशाली कार्यवाही की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि पहिले जो चित्र हमें दिखाया गया था वैसी स्थिति आजकल नहीं है। संभव है उन की सरकार बड़ी प्रभावशाली ही और हमें भी अधिक प्रभावशली होना चाहिये।

इस प्रकार मैं इतिहास के उस काल की ओर फिर लौट आता हूं जिस में से हम उस समय गुजर रहे थे जब कि हमें निरन्तर कठिनाइयों, गड़बड़ और आपत्तियों का सामना करना पड़ रहा था। युद्धोत्तर काल की कठिनाइयां थीं, विभाजन की कठिनाइयां थी और पाकिस्तान से निरन्तर खिचाव होने की कठिनाइयां थीं। भूकम्प, बाढ़, सूखा तथा इसी प्रकार की आन्तरिक प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त काश्मीर की समस्या थी, हैदराबाद की समस्या थी तथा अन्य बहुत सी समस्यायें थी। हमें प्रतिवर्ष किसी न किसी प्राकृतिक आपदा के लिये व्यवस्था तो करनी चाहिये। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा इस विषय में बड़ा दुर्भाग्य रहा है। ऐसी परिस्थितियों में हम से इन विरोधी दल वालों ने कितना सहयोग किया था ? हम से सहयोग करने के लिये कहा जाता है। मैं अपना सहयोग का हाथ बढ़ाता हूं। इन चार या पांच वर्षों में बड़ी बड़ी नीति की बातों के सम्बन्ध में नहीं, जिन में कि उनका मतभेद हो सकता था अपितु प्रतिदिन की साधारण बातों में भी उन्होंने कहां तक सहयोग किया था ? खाद्य समाहार को ही लीजिये—यह एक अत्यन्त आवश्यक चीज है। हम खाद्य सहाय की तथा और बहुत सी बातें करते हैं, और जब हम खाद्य समाहार करने लगते हैं तो कई प्रतिष्ठित लोग इस कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। उन में से बहुत से आग लगाने की नीति को अपनाने के लिये कह रहे थे, ताकि सरकार को अनाज न मिल सके। जरा कल्पना कीजिये। यह कितनी आश्चर्यजनक चीज है। सदन इस बात को देख सकता है कि सहयोग तो दूर, सारा दृष्टिकोण ही सरकार को हानि पहुंचाने का था। और कैसे हानि पहुंचाने का ? भारत की जनता को हानि पहुंचाकर सरकार को हानि पहुंचाने का उद्देश्य था। किसी भी विरोधी दल को सरकार का विरोध करने का अधिकार है। किन्तु यह एक बड़ी खतरनाक और बुरी बात है कि किसी सरकार को हिलाने या दुर्बल बनाने के लिये आप भारत के उन्हीं लोगों को मारें जिनकी कि सेवा आप करना चाहते हैं।

और इस प्रकार हमें इन गत चार या पांच वर्षों में निरन्तर निन्दा के झूंठे प्रचार को सहन करना पड़ा। मैं विरोधी दल के माननीय सदस्यों से सच्चे हृदय से यह पूछता हूं : क्या वह प्रचार सचमुच उचित था ? मैं अपनी सफलताओं के सम्बन्ध में, इस देश में गत चार या पांच वर्षों में जो कुछ भी हुआ है, किसी भी देश से तुलना करवाने को तैयार हूं, मुझे स्मरण है, लगभग २० या २४ वर्ष पूर्व जब रूसियों ने अपनी प्रथम पंच वर्षीय योजना में नीपरस्ट्रोय के बांध की उस बहुत बड़ी योजना को आरम्भ किया था, तो सारा सोवियेत संघ उस महान् कार्य से गूंज उठा था, क्योंकि उस समय वह जानते थे कि यह अन्य बहुत सी योजनाओं का आधार बनेगा। किन्तु हम यहां उससे भी बड़े बड़े कार्य करते हैं और हमारी निन्दा तथा आलोचना की जाती है।

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

हमारे पास आज तीन बड़ी बड़ी योजनायें हैं जो उससे कहीं अधिक बड़ी है। किन्तु फिर भी हमारी आलोचना की जाती है। मुझे पूरा निश्चय है कि यदि यही चीन या रूस में हुआ होता तो विरोधी दल के माननीय सदस्य इस की अवश्य प्रसंशा करते।

यदि यही चीज चीन या रूस में हुई होती तो विरोधी दल के माननीय सदस्य इस की प्रशंसा करते कि "देखो, चीन कैसे प्रगति कर रहा है, रूस कैसे प्रगति कर रहा है ?" क्या यह एक पक्षपात पूर्ण दृष्टिकोण नहीं है ? यह सत्य है कि हमें अपने सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए बड़ी बड़ी योजनाओं को नहीं सोचना चाहिये। हमें छोटी छोटी योजनायें बनानी चाहियें जिनका तुरन्त फल मिले। मैं इस बात से सहमत हूं, हमें यह अवश्य करना चाहिये। किन्तु इस के साथ ही हमें कुछ बड़ी बड़ी योजनायें भी बनानी चाहियें, क्योंकि स्मरण रखिये यदि आप औद्योगिक करण करना चाहते हैं तो उस को नापने का तो केवल एक ही तरीका है कि आप कितनी विद्युत शक्ति पैदा करते हैं। अपने उद्योगों की उन्नति के लिये विद्युत शक्ति का होना आवश्यक है। इस लिये कृषि आदि की उन्नति के अतिरिक्त विद्युत् शक्ति के उत्पादन के लिये जल-विद्युत् के जनन केन्द्र बनाना भी आवश्यक है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय भारत में जो कुछ किया जा रहा है वह कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि न केवल अमरीका, इंगलैण्ड, जर्मनी तथा तुर्की आदि विदेशों से अपितु रूस और चीन से भी आये हुए लोगों ने प्रायः हमारी इन सफलताओं पर आश्चर्य प्रकट किया है। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने हमारी नीति को या किसी अन्य चीज को पसन्द किया है, किन्तु उन्हें आश्चर्य अवश्य हुआ क्योंकि अपने सीमित साधनों के कारण उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि यहां भी यह सब चीजें हो रहीं हैं। जिन लोगों ने उन्हें भारत के बारे में कुछ जानकारी दी उन्होंने या तो अपने ही विचार प्रकट किये या यहां की सब चीजों की निन्दा की। यह तो सभी जानते हैं कि यदि आप किसी की बिल्कुल निन्दा ही निन्दा करें तो इसका अधिक महत्व नहीं होता है। सारी चीज को देख कर जहां श्रेय देना हो वहां श्रेय दीजिये और जहां दोष देना हो वहां दोष दीजिये तब तो इस में कुछ सच्चाई होती है। मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य कुछ एक बड़ी बड़ी नदी घाटी योजनाओं को जाकर देखें। हम उन का स्वागत करेंगे। वह दिल्ली में हमारी कुछ एक बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं को देखें। जिस किसी भी देश के लोगों ने इन्हें देखा। उन्हें इस वैज्ञानिक युग में हमारे इन वैज्ञानिक उन्नति के आधारों को देख कर आश्चर्य हुआ है। हम सदा ही अमरीका, रूस या चीन की सहायता पर निर्भर नहीं रह सकते। हम अपने संसाधनों और अपने वैज्ञानिकों का निर्माण करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे यहां अधिक से अधिक वैज्ञानिक पैदा हों और इस काम में हम अपने विश्वविद्यालयों की अधिक सहायता कर सकें। मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि हमारे देश ने इस थोड़े से समय में वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं के निर्माण में जो ठोस प्रगति की है वह किसी भी अन्य देश ने जिस में रूस भी सम्मिलित है, नहीं की है। इस में सन्देह नहीं कि वह हम से बहुत अधिक आगे बढ़े हुये हैं। मैं प्रारम्भिक अवस्था की बात कह रहा हूं। एक बार आप आगे बढ़े जायें, तो निरन्तर प्रगति करते जायेंगे। उदाहरण के लिये सिन्दरी के इस बड़ी फैक्टरी को, हमारे बंगलौर की टेलीफोन फैक्टरी को, चितरंजन के इंजिनों के कारखाने को ही लीजिये, यह सब चीजें

वस्तुतः बड़ी अमूल्य हैं और इन सब चीजों की झूठी निन्दा करना ठीक नहीं है।

हमारे बहुत से देशवासी विदेश गये हैं—मैं केवल विरोधी दल के माननीय सदस्यों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, और भी बहुत से लोग हैं जिनका मुख्य काम विदेशों में हमारे देश की निन्दा करना रहा है। अन्य देशों में यह प्रथा नहीं है, वह अपने लड़ाई-झगड़ों को घर में ही छोड़ देते हैं; जब वह विदेशों में जाते हैं तो वहां अपने देश की प्रशंसा करते हैं, विदेशयों के समक्ष उसकी निन्दा नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारी मूल बातों के विरुद्ध कुछ कहा है, चाहे यह हमारा राष्ट्र ध्वज हो, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र हो, या राष्ट्र गीत हो, यह किसी दल के चिन्ह नहीं है, यह तो राष्ट्रीय चिन्ह हैं। यदि कोई गुट्ट या दल इन्हें स्वीकार नहीं करता तो वह गुट्ट या दल राष्ट्रीय विचार का अपमान करता है अन्य देशों की प्रशंसा करना और उन से कुछ सीखने का प्रयत्न करना और बात है। हमें यह करना चाहिये। किसी अन्य देश को अपने देश से अधिक प्यारा समझना एक बिल्कुल ही भिन्न चीज है।

इस वाद-विवाद के आरम्भ से ही विरोधी दल के माननीय सदस्यों नें कुछ ऐसी बातें कही हैं, जो ध्यान देने योग्य हैं; एक माननीय सदस्य ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भारतीय जनता के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कहा था। उन्हें इन शब्दों को प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार है। यदि वह यह अनुभव करते हैं तो उनके और हमारे बीच युद्ध है। (**साधु, साधु**)। मैं यह स्पष्ट कहता हूं, क्योंकि इस से अधिक मनगढ़न्त, मूर्खतापूर्ण और झूठी बात की मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि वह यहां अथवा अन्यत्र कहीं मेरे साथ बैठकर राष्ट्रपति के भाषण को लेकर अक्षरशः मुझे यह बतायें कि उन के इस कथन का क्या तात्पर्य है। एक और माननीय सदस्य ने इसे निर्दयतापूर्ण कहा था। उन्हें यह कहने का अधिकार है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण निरर्थक बातों से भरा पड़ा है। किन्तु इसका ठीक ठीक तात्पर्य क्या है? किन लोगों के विरुद्ध युद्ध घोषणा की गई है? क्या वह भारत के लोग हैं? ४७ या ४९ प्रतिशत या जो कुछ भी हो हम भी तो यहां भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। (साधु, साधु)। हमारे राष्ट्रपति को भी तो भारत के लोगों ने ही चुना है। क्या हमें यह बताया जा रहा है कि केवल विरोधी दल के माननीय सदस्यों को ही भारत की जनता का विश्वाश प्राप्त है और केवल वे ही उनकी ओर से बोल सकते हैं? यह तो एक बड़ी विचित्र बात है। आप किसी अर्थशास्त्र के सिद्धान्त का प्रतिपादन करें और कहें कि सरकार गलत है, तो यह तो समझ में आ सकता है किन्तु इस प्रकार की बातें करना तो सरासर मूर्खतापूर्ण और हास्यस्पद है.....

श्री एच० एन० मुखर्जी : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 'मूर्खतापूर्ण' शब्द संसदोचित है?

अध्यक्ष महोदय : यह पूर्णतया संसदोचित है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे आश्चर्य है कि माननीय सदस्य 'मूर्खतापूर्ण' शब्द पर आपत्ति कर रहे हैं। मैं इस के स्थान पर कोई और शब्द भी प्रयोग कर सकता हूं किन्तु मैं किसी पर कोई आघात किये बिना यह बतला देना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के सम्बन्ध में इस वाक्यांश का प्रयोग कर के उन्होंने ठीक नहीं किया है। यह सब बिना सोच समझ कर कहने का ही परिणाम है। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि अतीत में क्या हुआ है। मैं उसे भूलाने को तैयार हूं। किन्तु जरा गत कुछ सप्ताह की

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

घटनाओं की ओर तो देखिये। हम ने विभिन्न विधान सभाओं में राज्यपाल या राजप्रमुखों के आने पर सभा से उठ कर चले जाने के दृश्य देखे। यह एक असाधारण बात है। साधारणतया जब किसी राज्य का प्रमुख आता है तो उस के प्रति सभी सम्मान प्रदर्शित करते हैं चाहे उससे कोई कितनी भी घृणा क्यों न करता हो। किन्तु यहां तो राज्य के प्रमुख का जान-बूझ कर अपमान किया जाता है, और यह इतना बढ़ गया है कि लोग इसे बाहर उठ कर जाने वाले कुछ दलों का एक व्यवसाय सा समझने लगे हैं। मेरी तो यह समझ में नहीं आता। क्या इसी प्रकार लोग सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं? मुझे इन बातों की अधिक चिन्ता नहीं, क्योंकि मुझे आशा है कि यह तरीके छोड़ दिये जायेंगे, यह तो अतीत के स्मृति चिन्ह मात्र हैं।

श्री टी. के. चौधरी (बरहामपुर) : श्रीमान्, एक औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में यहां तो कोई उठ कर बाहर नहीं गया।

अध्यक्ष महोदय : वह देश की स्थिति का उल्लेख कर रहे हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारत में हमारे समक्ष बड़ी बड़ी गम्भीर आर्थिक समस्यायें हैं तथा अन्य समस्यायें भी हैं। यदि कोई सरकार या यह सरकार उन्हें सुलझाती नहीं है तो वह कोई उपयोगी कार्य नहीं करती है। जब तक यह सरकार या यह दल, जिस की सरकार बनी हुई है, इस देश म एक मुक्त कराने वाली शक्ति के रूप में विद्यमान है, तब तक तो ठीक है और यह कार्य करती रहेगी और जब यह एक मुक्त कराने वाली शक्ति न रह कर एक बाधा डालने वाली और दमन करने वाली शक्ति बन जायेगी उस समय यह अपने आप समाप्त हो जायेगी। किन्तु इतिहास के एक बड़े भारी चुनाव के पश्चात् हम यहां वापस आ गये हैं इसी बात से यह प्रकट होता है कि भारत की जनता या उस का अधिकांश भाग हमें अब भी मुक्त कराने वाली शक्ति समझते हैं।

बाबू रामनारायण सिंह (हजारीबाग पश्चिम) : नहीं, नहीं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे इस में जरा भी सन्देह नहीं कि जिस माननीय सदस्य ने 'नहीं' कहा है उन के सम्बन्ध में वह ऐसा नहीं सोचते। हम तो औरों की बात कर रहे हैं, आप की नहीं। अतः इस पर सदन में मत लेने की आवश्यकता नहीं है। अन्य शक्तियां उस दल या गुट्ट को समाप्त कर देंगी।

मैं कुछ बातों का संक्षेप से उल्लेख करना चाहूंगा। डा० मुखर्जी ने पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल और आसाम आदि के बीच पार-पत्र प्रणाली आरम्भ करने के विषय में उल्लेख किया था। इस के बारे में हमारा एक सम्मेलन भी हुआ था और उस में हम अभी तक किसी समझौते पर नहीं पहुंच सके हैं। मैं इस के बारे में अधिक कुछ नहीं कह सकता। किन्तु सदन को ज्ञात है कि भारत सरकार ने पहले भी पारपत्र प्रणाली लागू करने के प्रस्ताव को पसन्द नहीं किया, क्योंकि इस से पूर्वी पाकिस्तान तथा बंगाल और आसाम के बीच यातायात में बाधा पड़ेगी। और ढ़ाई वर्ष पूर्व प्रधान मंत्रियों के मध्य हुए करार का यही उद्देश्य था। हम ने इस का विरोध किया, किन्तु यदि पाकिस्तान अपनी ओर कोई पारपत्र प्रणाली जारी कर दे तो हमें भी अपनी ओर से आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ेगी। यह स्पष्ट है और इस बात में रत्ती भर भी सन्देह नहीं है कि पूर्वी बंगाल में अल्पसंख्यकों के साथ

बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है और अब भी हो रहा है और इस सदन तथा इस देश की बहु संख्या की सहानुभूति उन के साथ है । हम ने उन की सहायता के लिये कुछ व्यवस्था करने का प्रयत्न किया है, और जहां तक हमारा बस चलेगा, हम यह करते रहेंगे । किन्तु कुछ सीमायें भी होती हैं । जब दो स्वतंत्र देश एक दूसरे से व्यवहार करते हैं, तो वह कूटनैतिक दबाव डाल सकते हैं, वह अन्य प्रकार से दबाव डाल सकते हैं और यह अन्य प्रकार का दबाव ही हम डालना नहीं चाहते क्यों कि इस से कष्ट और बढ़ेगा ।

श्री मेघनाथ साहा (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : केवल पूर्वी बंगाल के अल्पसंख्यकों ने ही इस पार-पत्र पद्धति से असहमति प्रकट नहीं की है, अपितु पश्चिमी बंगाल के बहुत से मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी यह आशंका व्यक्त की है कि इस से स्थिति और बिगड़ जायेगी । मेरा तात्पर्य नबाव मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में मिलने वाली प्रतिनिधि मंडल से है ।

अध्यक्ष महोदय : वह तो इसी का उल्लेख कर रहे हैं ।

श्री जवाहरलाल नेहरु : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह कोई हिन्दू या मुस्लिम प्रश्न नहीं है, किन्तु यह सभी लोग दोनों देशों के बीच स्वतंत्र सम्बन्ध चाहते थे और मैं समझता हूं कि यह पार-पत्र प्रणाली एक बहुत ही अवांछनीय चीज है ।

इस के अतिरिक्त भाषावार प्रान्तों का प्रश्न है जिस के सम्बन्ध में हम अपनी स्थिति अनेक बार स्पष्ट कर चुके हैं । मैं सदन को बिल्कुल स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि कुछ दृष्टियों से तो भाषावार प्रान्त अच्छे हैं, किन्तु मेरे अच्छा या बुरा समझने का कोई महत्व नहीं है क्यों कि यदि लोग उन्हें चाहते हैं तो वह उन्हें ले कर रहेंगे । हम उन के मार्ग में बाधा डालना नहीं चाहते । मेरा निजी विचार यह है कि गत कुछ वर्षों में जब हम भारत को एक कर रहे थे उस समय कोई भी विध्वंस-कारी कार्य बुरा था । अतः यद्यपि भाषा, वार प्रान्त कहीं कहीं अच्छे हो सकते हैं किन्तु जिस समय हम एकीकरण के संघर्ष में लगे हुए थे वह समय इन के लिये उपयुक्त समय नहीं था, जब उचित समय आये तो इन्हें हर तरह से प्राप्त कीजिये । हम ने यह भी नियम बनाया था कि सम्बन्धित व्यक्तियों या प्रान्तों में परस्पर अधिकतम सहमति होनी चाहिये, क्यों कि इस प्रकार के विभाजन या नव निर्माण में चारों ओर के प्रान्तों या गुट्टों के हित निहित होते हैं। हम से कभी कभी दूसरों पर अपनी इच्छा लादने या बन्दूक की नोक पर कुछ करने के लिये कहा जाता है किन्तु मेरे विचार से यह बिल्कुल गलत है । यदि अधिकतम सहमति हो जाये तो हम इसे कर देंगे यद्यपि हम इसे ऐसी रीति से करना चाहेंगे जिस से अन्य चीजों में कोई गड़बड़ी न हो । वित्तीय प्रश्न तथा अन्य बातें भी उठेंगी जिस से उस भाग की तथा संभवतः देश के अन्य भागों की भी प्रगति मन्द पड़ जायेगी ।

आदिम जातियों के प्रश्न को मैं बहुत महत्व देता हूं । आसाम में तथा अन्यत्र विभाजन के कारण उन्हें बड़ी हानि उठानी पड़ी है । विभाजन के पश्चात् उन में से बहुतों के आजीविका के साधन छिन गये हैं । पहाड़ी मार्गों पर सड़कें बनाने में बहुत खर्च होता है । हम ने कुछ एक सड़कें बनाई हैं और बना भी रहे हैं । लगभग एक पखवारे में आदिम जातियों के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक सम्मेलन होने वाला है ।

मनीपुर के माननीय सदस्य ने युद्ध क्षति के लिये कुछ प्रतिकर दिये जाने की बात कही थी । वस्तुतः मुझे इस का पूर्व-इतिहास

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

ज्ञात नहीं है । साधारणतया युद्ध-क्षत्ति के लिये प्रतिकर देना ब्रिटिश सरकार का काम था । किन्तु हम ने कुछ हद तक वहां इस दायित्व को अपने ऊपर ले लिया था और मैं समझता हूं कि हम ने २५ या ३० लाख तक प्रतिकर दिया भी था । इसे उचित ढ़ंग से देने का प्रयत्न किया गया था, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि इस में पूर्णतया सफलता ही मिलती थी । मैं यहां से इस बात की प्रत्याभूति नहीं दे सकता । कुछ दावा पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं और स्थानीय लोगों की स्थानीय परिषदों के परामर्श से यह दिया जा रहा है । यह काम अभी जारी है और दावों पर अभी भी विचार किया जा रहा है ।

त्रावनकोर के एक माननीय सदस्य ने मोनाजाइट के सम्बन्ध में कुछ कहा था । कुछ समय पूर्व तक तो मोनाजाइट बड़े परिमाण म बिल्कुल कौड़ियों के भाव बेचा जाता था । इस के पश्चात् यह युद्ध की दृष्टि से अत्याधिक महत्वपूर्ण तथा मूल्यवान खनिज पदार्थ हो गया । कुछ कारणों से हाल में हम न इस का निर्यात बन्द कर दिया है, यद्यपि इस का कुछ अंश अनुज्ञप्तियों के अधीन अब भी भेजा जाता है । यह उतना मंहगा नहीं है जितना कि माननीय सदस्य ने बताया था । उन्हों ने कहा था कि इस का भाव २५० पौण्ड प्रति टन है । इस समय अमेरिका में इस का भाव इस से आधा है । सत्य तो यह है कि हम ने इल्मेनाइट से मोनाजाइट को तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं को अलग करने के लिये अल्वाये में एक फैक्टरी भी बनाई है जो त्रावनकोर राज्य तथा भारत के लिये बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी । हम सदा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कितने परिमाण में इस का निर्यात किया जा सकता है । कुछ समय पूर्व हम ने यह नीति बनाई थी कि जो कोई भी चीज परमाणु बम के निर्माण में प्रयोग की जाती है उस का भारत से निर्यात नहीं किया जाना चाहिये क्यों कि हम अन्य देशों द्वारा हमारे से सामग्री ले कर परमाणु बम तैयार करने के काम में फंसना नहीं चाहते थे । किन्तु जहां यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता हम इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हैं कि हम कितना मोनाजाइट विदेशों को भेज कर इस से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं ।

काश्मीर का उल्लेख किया गया था इस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है । मैं सदन को यह स्मरण कराना चाहूंग। कि अधिकांश युक्तियां तथ्यों के सम्बन्ध में नहीं दी गई हैं, अपितु शेख अब्दुल्ला के उन कतिपय भाषणों के सम्बन्ध में दी गई हैं जिन्हें बाद में ठीक कर दिया गया था । जो लोग काश्मीर के गत ४ या ५ वर्ष के इतिहास को जानते हैं वह उस की पृष्ठ भूमि को और वहां काम करने वाली बहुत सी शक्तियों को और इस बात को कि किस प्रकार कुछ साम्प्रदायिक तत्व एक बहुत ही ग़लत और हानिकारक प्रचार करते रहे हैं, समझ सकते हैं । शेख अब्दुल्ला का कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, किन्तु यह एक ऐसी चीज है जिस से पाकिस्तान को बहुत अधिक सहायता मिली है ; इसी दृष्टिकोण से हमें इन कुछ एक भाषणों पर विचार करना है ।

डा० मुखर्जी ने काश्मीर की संवैधानिक स्थिति के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछा था कि क्या काश्मीरी भारतीय हैं या नहीं अथवा वह क्या हैं । निस्सन्देह वह संवैधानिक रूप से तथा वैधानिक रूप से भारतीय हैं । यदि वह विदेश जाने के लिये पार-पत्र लेना चाहें तो उन्हें भारतीय पार-पत्र लेना पड़ता है । सदन को स्मरण होगा कि चार या

पांच वर्ष पूर्व जब रियासतों के संविलय का प्रश्न पहिले पहल सुलझाया गया था, तो लग भग सभी पुरानी भारतीय रियासतें केवल तीन विषयों अर्थात् विदेशी मामलों, रक्षा तथा संचरण के सम्बन्ध में ही मिली थीं। प्रत्येक ने ऐसा ही किया था। कुछ समय पश्चात् जब काश्मीर पर आक्रमण हुआ तो काश्मीर भी इन तीन विषयों में मिल गया। अन्य रियासतों में बाद में और घटनायें घटीं और वह और अधिक विषयों में मिल गई और एक नया नक्शा आंखों के सामने आया। किन्तु इस बीच काश्मीर में पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, आक्रमण तथा युद्ध इत्यादि हुआ और इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंप दिया गया। अतः इस उथल पुथल तथा युद्ध और काश्मीर के प्रश्न के संयुक्त राष्ट्र संघ को सौंपे हुए होने पर इस समय काश्मीर तथा भारत के सम्बन्धों में कोई परिवर्तन करना बिल्कुल असम्भव और अशक्य है। यही मूल विषय हैं—काश्मीर ने इन्हें भारत को सौंप दिया है और वह भारत का एक अंग है—किन्तु अन्य विषयों के सम्बन्ध में, जैसा कि स्पष्ट है, काश्मीर की जनता को अर्थात् उस की संविधान सभा को अपनी इच्छानुसार विधान बनाने का अधिकार है। यही संवैधानिक स्थिति है और इस के सम्बन्ध में कोई कठिनाई नहीं है, क्यों कि इस समय यही वस्तुस्थिति भी है। वित्तीय एकीकर तथा इसी प्रकार के अन्य विषय हैं जिन के सम्बन्ध में हम विचार विनिमय कर रहे हैं और धीरे धीरे यह भी हल हो जायेंगे। इस प्रश्न को सदा अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की पृष्ठ-भूमि को ध्यान में रख कर ही देखना होगा और इसी कारण इतनी अधिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं।

शरणार्थियों के पुनर्वास के सम्बन्ध में मैं सदन को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि यद्यपि हमें पूर्वी बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में आने वाले शरणार्थियों का ध्यान है, जिन्हें कि अभी पुनर्वास तथा सहायता आदि की आवश्यकता है, किन्तु यदि सारी स्थिति को देखा जाय और विशेष रूप से पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की अवस्था को देखा जाये तो मैं समझता हूं कि पुनर्वास का कार्य प्रशंसनीय हुआ है संसार के अन्य बड़े बड़े भागों में भी यह पुनर्वास तथा शरणार्थियों की समस्या रही है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने उस पर बड़ी बड़ी धन राशियां व्यय की हैं तथा अन्य देशों ने भी इसे हल किया है, और इस काम के विशेषज्ञ विभिन्न देशों से यहां आये हैं तथा उन्हों ने हमारा काम देखा है और इस सम्बन्ध में हमारी सफलताओं पर आश्चर्य प्रकट किया है। सदन को यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि हम ने यह सफलता विदेशों संयुक्त राष्ट्र संघ या किसी अन्य से जरा सी भी वित्तीय या अन्य किसी प्रकार की सहायता के बिना ही प्राप्त की है और इस का सम्पूर्ण व्यय स्वयं ही वहन किया है। मैं यह भी कहूंगा कि यदि यह बहुत से विस्थापित व्यक्ति अपना कार्य स्वयं न करते तो कोई भी सरकार सफल नहीं हो सकती थी। उन्हों ने साहस और उत्साह दिखाया और अपने आप को बनाया और अन्त में प्रव्रजन की यह बड़ी दुखद घटना वस्तुतः हमारे लिये आशा का एक प्रतीक बन गई है। इस से यह प्रकट तो हो ही गया है कि हमारे लोग कितनी वीरता से आपत्ति का सामना कर सकते हैं और इस पर विजय पा सकते हैं।

मैं ने सदन का बहुत सा समय लिया है जिस के लिये मैं सदन से क्षमा चाहता हूं। मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा कि जहां तक हमारी सरकार का सम्बन्ध है हम सहायत तथा सहयोग का स्वागत करते हैं। मुझे खेद है कि मुझे विदेशनीति तथा खाद्य नीति तथा

[श्री जवाहरलाल मेहरु

अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर कुछ कहने का समय नहीं मिला। उन पर अन्य अवसरों पर कहा जा चुका है और मुझे आशा है कि हमें इन पर विस्तार से विचार करने का फिर अवसर मिलेगा ।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन के समक्ष यह प्रस्ताव है :

> "१६ मई, १९५२ को एक साथ समवेत हुए संसद् के दोनों सदनों को राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उस के लिये इस सत्र में एकत्रित लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अत्यन्त आभारी हैं ।"

इस में सत्ताइस संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मैं प्रत्येक संशोधन को अलग अलग नहीं पढ़ूंगा । किन्तु मैं उन संशोधनों की संख्या बोलूंगा और भविष्य की सारी कार्यवाहियों में भी हम केवल संख्यायें ही बोलेंगे :—

संख्या १, १५, २५, ३७, ५०, ६६, ६७, ७१, ९३, ९६, १०१, १०५, १५७, १५८, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १७६, १७७, १८४, १९०, १९१, १९२ तथा १९३.

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई संशोधन छूट तो नहीं गया है ।

१ म० प०

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, संशोधन संख्या ७७ छूट गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। अतः अब हम इस प्रक्रिया का अनसरण करेंगे । यदि कोई सदस्य अपने संशोधन को विशेष रूप से अलग न कर ले तो मेरा विचार इन २७ संशोधनों को मतदान के लिये एक साथ प्रस्तुत करने का है। अन्यथा प्रत्येक संशोधन पर मत लेने से व्यर्थ में समय नष्ट होगा। इसलिये किसी संशोधन विशेष पर कोई मतदान कराना चाहता है ?

डा० लंका सुन्दरम (विशाखा-पटनम्) : इस ओर बैठे हुए हम लोगों ने संशोधनों के सम्बन्ध में परस्पर एक दूसरे की सम्मत्ति ली है । इस बात पर अधिकांश सदस्य सहमत हैं कि केवल संशोधन संख्या १५८ तथा ५० पर ही मत लिया जाये। शेष को वापिस लिया हुआ समझा जाये ।

[**संशोधन संख्या** १, १५, २५, ३७, ६६, ६७, ७१, ९३, ९६, १०१, १०५, १५७, १५९, १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १७६, १७७, १८४, १९०, १९१, १९२ तथा १९३ सदन की अनुमति से वापिस ले लिये गये ।]

अध्यक्ष महोदय : शेष दो संशोधनों संख्या ५० तथा १५८ पर वह अलग अलग मत लेना चाहते हैं अथवा एक साथ ?

डा० लंका० सुन्दरम : अलग अलग, श्रीमान् । इस के अतिरिक्त सदन के इस ओर बैठने वाले दल तथा गुट इस बात में, अधिकांशतया सहमत हैं कि पहले संशोधन संख्या १५८ पर मत लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : प्रस्ताव के अन्त में यह जोड़ दिया जाये :—

> "but regret that the address refers to the shortage of food problem in a vers superficial manner and con-

sequently grieviously fails to note the grave food situation in many parts of the country which are in the grim grip of dire famines which are primarily caused by the system of British brand administration still operating in this country; the address has also failed to notice that the method of procurement and the ruinously unremunerative prices given to the producers of foodgrains —particularly in the Bombay state—have substantially contributed to the shortage of foodgrains and to the failure of the Grow More Food campaign."

["किन्तु खेद है कि अभिभाषण में खाद्य की कमी की समस्या का नाम मात्र को उल्लेख किया गया है और इस देश में अब भी ब्रिटिश काल जैसी शासन पद्धति के जारी रहने के कारण देश के जो बहुत से भाग भयंकर अकाल के चंगुल में फंसे हुए हैं उन की गंभीर खाद्य स्थिति की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया है, अभिभाषण में इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया गया है कि समाहार के ढंग तथा अनाज उपजाने वालों को — विशेषतया बम्बई राज्य में— दिये जाने वाले बिल्कुल अलाभकारी मूल्यों के कारण खाद्यान्नों की कमी तथा अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की असफलता काफी बढ़ गई है।"]

शान्ति, शान्ति । मैं श्री शान्ताराम मोरे का संशोधन संख्या १५८ प्रस्तुत कर रहा हूं । संशोधन बड़ा लम्बा है । क्या मैं इसे पढ़ा हुआ समझ लूं ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखता हूं कि ना-पक्ष वाले अधिक हैं । यदि "हां" कहने वाले माननीय सदस्य विशेषरूप से उत्सुक न हों .....

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : हम मत विभाजन करावाना चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों कि पहले ही एक बज कर दस मिनट हो चुके हैं अतः समय को बचाने के लिये मैं इस मत विभाजन को संक्षेप में करना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि "हां" वाले अपने स्थानों पर खड़े हो जायें । इस के पश्चात् "नहीं" वाले अपने स्थानों पर खड़े हो जायेंगे । सम्भव है कुछ निष्पक्ष भी हों । वह भी खड़े हो सकते हैं । लाबी में जाने से कम से कम आधा घंटा लग जायेगा ।

संसद कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : नाम लिखवाने में बहुत समय लगेगा ।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : हम चाहते है कि नाम लिखे जायें ।

अध्यक्ष महोदय मैं "हां" वालों तथा "निष्पक्षों" के नाम लिखवा लूंगा । जो माननीय सदस्य इस संशोधन के पक्ष में हैं वह अपने स्थानों पर खड़े हो जायें ।

[अध्यक्ष महोदय]

१०० हां पक्ष में हैं । एक माननीय सदस्य श्री जी० डी० सोमानी निष्पक्ष हैं । शेष नापक्ष में हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : मत विभाजन को ठीक ठीक जानने के लिय ना-पक्ष वालों की भी गिनती की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : अत्याधिक बहुमत तो स्पष्ट ही है। यह उन की प्रथम शक्ति परीक्षा है, इसी लिये मैं ने मत लिखवा दिये हैं। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को ज्ञात हो गया है कि उन की शक्ति कितनी है । संशोधन अस्वीकृत हो गया है ।

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

डा० लंका सुन्दरम : जो माननीय सदस्य यहां नहीं हैं उन के नामों का क्या होगा? सामने बैठे हुए माननीय सदस्यों के सम्बन्ध में भी ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जब ऐसा अवसर आयेगा तो हम देख लेंगे ।

डा० लंका सुन्दरम : हम इस संशोधन पर हुए मतदान से सन्तुष्ट हैं और आप की अनुमति से मैं अपना संशोधन संख्या ५० वापिस लेना चाहता हूं ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम) : माननीय सदस्य को यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उन के संशोधनों पर भी इतने ही मत मिलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : हमें उन के सोच विचार से कोई प्रयोजन नहीं ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं । प्रश्न यह है कि :

राष्ट्रपति को इन शब्दों में एक अभिनन्दन भेंट किया जाये ।

"१६ मई १९५२ को एक साथ समवेत हुए संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया उस के लिये इस सत्र में एकत्रित लोक-सभा के सदस्य राष्ट्रपति के अत्यन्त आभारी हैं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक शुक्रवार २३ मई, १९५२ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हो गई ।